खण्ड-229, अंक-4
गुरूवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1884
(19 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२५७—२६१
प्रश्नोत्तर	२६२—२८३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा नियम १०६ के अन्तर्गत सूचनायें तथा जानकारी (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२८३—२८४
समाचार-पत्रों में सदस्य का गलत दल छापने पर आपत्ति	२८४—२८५
नाविक जल मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर में भूख हड़ताल करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२८५—२८८
१९६२—६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	२८८—३४२
नस्थियां	३४३—३४८

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १९ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप राजा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशी नाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री

गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जय गोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री

नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रुभूषणप्रतापसिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री

मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल,श्री
मैनेजर, श्री
माहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर'
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती

विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरणसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १९ अप्रैल, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलरामपुर में पंजवा चौराहे पर मन्दिर के निकट मकबरा बनाने का विरोध

१—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिल गोंडा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर में गंगा बख्श सिंह का चौराहा उर्फ पंजवा चौराहा, जिला गोंडा में प्राचीन मंदिर के पास एक नया मजार बनाने का आयोजन चल रहा है जिसके सम्बन्ध में जनता में बड़ा रोष उत्पन्न है ?

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—बलरामपुर के एक निवासी ने इस चौराहे के एक सड़क के किनारे तथा एक पुराने हिन्दू मन्दिर से २०—२५ गज की दूरी पर स्थित एक कब्र पर मकबरा बनवाने के लिये नगरपालिका बलरामपुर से अनुमति मांगी है। इसके विरोध में नगरपालिका बलरामपुर में जनता की ओर से कई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार यह बतायेगी कि उन प्रार्थना-पत्रों पर, जो उसके विरोध में आये हैं, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जिन साहब का यह आवेदन-पत्र आया था वह कब्र के ऊपर मकबरा बनाना चाहते हैं। उनसे कहा गया कि चूंकि आपका नक्शा ठीक नहीं है, इसलिये इसको आप दुरुस्त कीजिये। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने उसके पक्ष में और कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवेदन-पत्र दिये। अब यह मामला वहां के एक्जिक्यूटिव आफिसर को जांच के लिए दे दिया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इस बात को देखते हुए कि दोनों स्थान इतने पास-पास हैं सम्भावना हो सकती है कि किसी समय ब्रीच आफ ला ऐंड आर्डर हो, खास कर इस दृष्टि से देख कर जो वहां नया मकबरा बनाने की चेष्टा है उसको रोकने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मामला एक्जिक्यूटिव आफिसर को दे दिया गया है। एक बात मैं और बता दूं कि कांस्ट्रक्शन म्युनिसिपल बाई लाज के भी खिलाफ़ है। तो आशा यही है कि जो चीज़ बाईलाज के खिलाफ़ है उसको करने के लिए इजाजत दी जाय इसमें मुझे संदेह है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां पर पहले से कब्र थी जहां पर वह नये तरीके से मजार बना रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—यह बात सही है कि वहां पर पहले से कब्र थी और वहां पर पहले से पुराना मन्दिर भी था। दोनों बातें सही हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके इस सुझाव पर विचार करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि मन्दिर, मस्जिद, मजार और समाधि को लेकर अक्सर फिरकापरस्तों के बीच दंगे हो जाया करते हैं, इसलिये इस बात का स्टैंडिंग आर्डर गवर्नमेंट निकालने का विचार करेगी कि जहां मन्दिर हो उसके करीब में मस्जिद न बनने पाये, जहां मस्जिद हो उसके करीब में कोई मन्दिर न बनने पाये, जहां कोई समाधि हो उसके करीब कोई मजार न बनने पाये, जहां कोई मजार हो उसके करीब कोई समाधि न बनने पाये ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, नगरपालिकाओं के आलरेडी बाईलाज हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नई बात सोचने की पैदा होती नहीं।

चीनी मिलों पर सेस तथा परचेज टैक्स का बकाया

२—श्री यादवेन्द्रदत्त** तथा श्री गयाप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सूबे की भिन्न-भिन्न शुगर फैक्टरीज पर कितना प्रदेशीय सरकार का सेस का देय बाकी है ?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—इस प्रदेश की भिन्न-भिन्न चीनी मिलों पर सेस तथा पर्चेज टैक्स का रुपया ७५८.५८५ लाख २८-२-६२ तक बकाया था जिसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इस रकम में ब्याज तथा दंड शामिल नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४३-३४४ पर ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह देखते हुए कि साढ़े सात करोड़ रुपये सरकार के टैक्सेज के मिलों पर बाकी हैं इसकी प्राम्प्ट वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१९५९-६० के सीजन का १५४.४५ लाख रुपया सेस का है, इसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू कर दिया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मेरा प्रश्न टोटल के बारे में था, मंत्री जी ने केवल १९६०-६१ के बारे में.....

श्री अध्यक्ष—फिर से पूछ लीजिए।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो पिछला बकाया है वह सब कितने वर्ष का है और उसकी प्राम्प्ट वसूली के लिए क्या कदम उसने उठाये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१९५९-६० का १५४.४५ लाख रुपया है और उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू हो गये है। १९६०-६१ का जो बकाया है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह हिदायत दे दी गई है कि उसका २/३ ३१ मार्च, सन् १९६२ तक वसूल कर लिया जाय। १९६१-६२ की रकम के ५० प्रतिशत १६१.९८५ लाख रुपये को वसूल करने के लिए डी० एम० से कह दिया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—घाटे का बजट देखते हुये और योजना के काल में खर्च की आवश्यकता को देखते हुए इतने ज्यादा टैक्सेज बकाया में पड़ गये, इसका क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जो टैक्सेज बकाया है कायदे के अनुसार वह वसूल किये जा रहे हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं पूछता हूं जमीन की बात और उत्तर मिलता है आसमान का। कम से कम आप उनसे सही उत्तर तो दिलवायें।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बकाया है उसमें किस मिल का सब से ज्यादा है और किसका सब से कम है, और सब से पुराना बकाया किसका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—किस किस मिल पर कितना कितना रुपया बकाया है, यह सब तालिका में दिया हुआ है, अगर आप कहें तो मैं देखकर बता दूं।

श्री झारखंडे राय—जिसका सब से ज्यादा हो और जिसका सब से कम हो वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—यह अभी देख कर वह बता देंगे ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बकाया रकम की वसूली के लिए अब तक कितने मिल मालिकों के खिलाफ कुर्की, जब्ती या गिरफ्तारी के वारण्ट निकाले गए हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने अर्ज किया था कि १५४.४५ लाख रुपया जो १६५६–६० का है उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं और १६६०–६१ के लिए यह हो गया है कि उसका २/३ हिस्सा ३१ मार्च, सन् १६६२ तक अदा कर सकते हैं, उसके बाद ही उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट ईश्यू करने का सवाल पैदा हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि एक तो वारण्ट आफ अरेस्ट होता है, एक होता है वारेन्ट आफ अटैचमेण्ट .....

श्री झारखंडेराय—मैंने यह पूछा है कि अब तक कितने मिल मालिकों के ऊपर पुराना बकाया पड़ा हुआ है और जो अनड्यू लेट हो रहा है उनमें से कितने के खिलाफ कुर्की या जब्ती या गिरफ्तारी का वारण्ट निकला है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कुर्की और वारण्ट निकालने के सम्बन्ध में स्थिति यह रही है कि पिछले वर्ष जो गन्ने की और शक्कर की हालत रही है उसमें सरकार की यह चेष्टा रही है कि इस बात की पहले चेष्टा की जाय कि सारा गन्ना जितना कि पैदा हो गया है वह इन मिलों से पेरवाया जाय और उसके पेरवाने के सिलसिले में फैक्ट्रियों को राजी किया जाय कि जितनी मात्रा में उन्हें गन्ना दिया गया है उसे वे पेर दें । साथ ही में जहां कहीं किसी मिल का शार्टकाल रहा है उस का जो गन्ना है वह जिस मिल को दिया जाता है वह उसे पेर दें । पिछले वर्ष और इस वर्ष भी माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान है कि शक्कर के अधिक उत्पादन हो जाने से मिलों को जो पैसा बैंकों से मिलता है और जो उधार मिलता है, उसके मिलने में काफी दिक्कत रही है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—वह जवाब दे रहे हैं । आप क्यों घबड़ाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—काफी दिक्कत रही है । इस सरकार ने इस बात को अदूर-दर्शिता की बात बराबर समझा है कि सरकार गन्ना पेरने का पहले प्रबन्ध न करे और कुर्की इत्यादि निकाल कर उस कार्य में रुकावट डाल दे कि जिस कार्य के द्वारा गन्ना तेजी के साथ और जल्द से जल्द पेरा जा सके इन फैक्टरियों और मिलों के द्वारा । माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि पिछले वर्ष जैसा मैंने कहा शुगर अधिक पैदा हो गई और न तो उसकी बिक्री देश के अंदर उतनी मात्रा में बढ़ी और न विदेश में ही वह शुगर भेजी जा सकी। इस कारण से शुगर गोदामों में पड़ी हुई है । मिलों को भी दिक्कत है क्योंकि बैंक उनको उतना ज्यादा रुपया नहीं देते हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो इस पर हमको सवाल पूछने की आज्ञा भी आप दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं रोक रहा हूं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि मिल मालिकों की जिस मजबूरी और बेबसी का उन्होंने वर्णन किया है उसी प्रकार की बेबसी और मजबूरी को देखते हुये गरीब किसानों के साथ वसूली में सख्ती की जाती है और मिल मालिकों के साथ सख्ती नहीं की जाती है तो इस प्रकार के भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक कि किसानों की सख्ती का सम्बन्ध है, प्रदेशीय सरकार का बराबर यह आदेश रहा है कि जिलाधीशों और गन्ना उद्योग के अधिकारियों को कि वह इस बात को देखें कि जो गन्ने की कीमत है वह अधिक से अधिक और तेजी के साथ मिल मालिक समय-समय पर पूरी मात्रा में अदा करते रहें। वह चेष्टा सरकार की बराबर रही है और आज भी जारी है।

श्री झारखंडेराय—मैंने यह पूछा था कि जनरल तौर पर किसान या दूसरे जनता के गरीब हिस्से के साथ सरकार वसूली करने में सख्ती करती है और रियायत नहीं करती और मिल मालिकों की इस बेबसी में उन के साथ रियायत करती है तो इस भेदभाव की नीति का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—जो उत्तर दिया गया है वह यह है कि हम मिल मालिकों से केन ग्रोअर्स को उनके गन्ने की कीमत दिलाने की चेष्टा करते हैं। चूंकि मिल मालिकों से केन ग्रोअर्स को कीमत मिल जाती है इस वजह से आप कहते हैं कि लगान वसूली में दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यदि इस पर माननीय मुख्य मंत्री को और कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सवाल झारखंडेराय जी ने पूछा है कि किसानों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार होता है, मैं समझता हूं उसका संबंध केवल गन्ने से नहीं किन्तु जनरल लैंड रेवेन्यू से संबंध है। जब किसानों पर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कठिनाई आती है, किसी बाढ़ के सिलसिले में या सूखे या ओले के कारण, किसानों को सरकार को लगान अदा करने में दिक्कत होती है तो उस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार जब मुनासिब समझती है किसानों की दिक्कत का अहसास कर इस तरह के स्टे आर्डर इशु करती है। यह सिलसिला बराबर जारी है। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती तो जिलाधीश सिफारिश करते हैं तब बराबर सरकार स्टे आर्डर ईशू करती है उनके केस में भी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो मिल मालिकों पर बकाया रह गया है उसके बकाया रहने का क्या कारण है ? सरकार वसूल नहीं करती या मिल मालिक ठीक से पेमेण्ट नहीं करते ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी शुगर बिकी नहीं है और वह शुगर गोदामों में पड़ी हुई है। केन्द्रीय सरकार ने बहुत प्रबन्ध करने की चेष्टा की कि विदेशों में उसे काफी मात्रा मे बिकवा दें, लेकिन उसमें केन्द्रीय सरकार को कोई सफलता नहीं मिली। केवल ३ टन शुगर बाहर भेजी जा सकी। इसलिये शुगर जब गोदामों में पड़ी हुई है और बैंक उनको रुपया नहीं दे रहे हैं तो एक वास्तविकता सरकार के सामने है और सरकार ने उस वास्तविकता को सामने रखकर समय-समय पर निर्णय लिया है। आज भी सरकार की यह बराबर चेष्टा है कि जो गन्ना खड़ा हुआ है उस गन्ने को पिरवा दिया जाय। यदि कोई ऐसा प्रोसेस सरकार जारी कर दें जिससे मिल बन्द हो जाय तो यह सरकार का कार्य किसानों को सहायता देने वाला नहीं होगा। उनकी दिक्कत बढ़ जायगी और यह प्रोसेस उनकी करोड़ों की सम्पत्ति को नष्ट-भ्रष्ट करने वाला होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि २/३ हिस्सा वसूल करने का प्रयत्न किया गया है तो बकिया के हिस्से की छूट क्या वह मिल मालिकों को देने जा रहे हैं या उसे बाद में वसूल किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह छूट देने नहीं जा रहे हैं। कुछ मिल मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया, उन्होंने परचेज टैक्स को अवैध घोषित कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर ल लिया है।

श्री रामकुमार (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आनन्दनगर शुगर मिल, गोरखपुर और तुलसीपुर शुगर फैक्टरी, गोंडा पर किसानों की बकाया रकम अब तक कितनी है ?

श्री अध्यक्ष---अगर सूचना हो तो बता दीजिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस वक्त तो यह सूचना नहीं है, लेकिन वहां की एक खास दिक्कत मैं बता दूं....

श्री अध्यक्ष---वह तो फीगर्स पूछ रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो वसूली उन्होंने ३१ मार्च तक होने का आदेश दिया था उसमें से कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---इस संबंध में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि ३१ मार्च तक कितना रुपया वसूल हो सका है ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---शामली मिल पर ३ लाख ४३ रुपया और अमरोहा मिल पर जो १५ लाख से ज्यादा रुपया बाकी है वह कितने दिन से बाकी है और इसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह कुल रुपया तालिका में लिखा हुआ है और इस मिल पर कितना रुपया किस सीजन का है इसकी तफसील इस समय नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत---मैं तालिका से ही पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसकी वसूली के लिये क्या प्रयत्न हो रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---जैसा मैंने अर्ज किया, १९५९-६० सीजन के मुताल्लिक जिन मिलों के पास रुपया बकाया है उनके लिये सर्टिफिकेट इश्यू हो गये हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय चतुर्वेदी जी बिना आज्ञा के सदन में आ गये हैं जबकि पहले आपकी व्यवस्था हो चुकी है कि वह यहां नहीं आ सकते हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---जहां तक माननीय मुख्य मंत्री के पी० ए० का सवाल है, मेरा खयाल है कि अभी हाल ही में मैंने यह अनुज्ञा दे दी है कि वह आवश्यकता पड़ने पर यहां आ सकते हैं।

श्री उग्रसेन---केवल चतुर्वेदी जी ही आ सकते हैं या अन्य विभागों के सेक्रेटरी भी आप से आज्ञा लेकर आ सकते हैं। इस पर भी कुछ आर्डर हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैंने केवल माननीय मुख्य मंत्री के पी० ए० को अनुज्ञा दी है और दूसरे सचिव मेरी आज्ञा पर अन्दर आ सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय---अभी आपने जबाव में यह कहा कि चीनी मिलों के पास काफी स्टाक इकट्ठा है, तो उसके निर्यात के लिये या बिक्री के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या फल मिला है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---यह जो स्टाक हैं वे मिल मालिकों के हैं और वे अपने हित में काफी कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी बिक जायं । इसमें सरकार के इन्तजाम करने का सवाल नहीं उठता ।

जूट मिलों के श्रमिकों को अन्तरिम सहायता

**३—श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या श्रम मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जूट वेज बोर्ड ने जूट मिल में काम करने वाले कारीगरों के लिये जो अन्तरिम भत्ता दिया है वह कितना है और कब तक लागू होगा ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जूट वेज बोर्ड ने जूट मिलों के श्रमिकों को १ अक्तूबर, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक २ रु० ८५ न० पै० प्रति माह और १ जनवरी, १९६१ से ३ रु० ४२ न० पै० प्रति माह की दर से अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की थी, जो २५ अप्रैल, १९६१ को राजाज्ञा द्वारा लागू की जा चुकी है ।

**४—श्री उग्रसेन तथा श्री नरसिंहनारायण—क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस फैसले को हुये कितने दिन हुये और अभी तक क्यों नहीं लागू कराया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो राजाज्ञा २५ अप्रैल, १९६१ को जारी की गयी उसको मानकर प्रदेश की कितनी जूट मिलों ने यह भत्ता दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस राजाज्ञा को शुरु में किसी ने नहीं माना और हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन दायर कर दी। उनका फैसला होने के बाद मिल मालिकों और मजदूरों ने बैठकर आपस में समझौता कर लिया इस राजाज्ञा को लेकर ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस राजाज्ञा के मुताबिक किन-किन यूनियनों ने मिल मालिकों से बात करके बोनस देने का फैसला किया है और क्या ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, बोनस का इसमें सवाल कहां आता है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि अब तक इस अन्तरिम भत्ते को किन-किन मिल मालिकों ने मजदूरों को दिया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारे पास, समझौता जिस तारीख को हुआ, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई । लेकिन यह फैसला जे० के० जूट मिल में हुआ कि उसके मुताबिक जो अन्तरिम भत्ता होगा उसको हम हर महीने देते जायंगे । जून, जुलाई और सितम्बर में जो पिछला अन्तरिम भत्ता देने को बकाया था उसकी बराबर बराबर किश्त दे देंगे। अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है कि उस समझौते के मुताबिक उनको पैसा नहीं मिल रहा है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महाबीर जूट मिल, सहजनवां , जिला गोरखपुर, का कौन सी यूनियन से समझौता हुआ है इस भत्ते के संबंध में ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उस यूनियन का नाम मेरे पास नहीं है, मगर यह समझौता हो गया है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट में मुकदमा चले जाने के बाद और जब हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया, उस बीच के समय का जो अन्तरिम भत्ता जूट मिल मालिकों ने नहीं दिया, उनके खिलाफ वे कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसमें कोई क्रिमिनल व्यू लेबर ला का नहीं लिया गया और न इस दृष्टि से देखा गया । जब उन दोनों में फैसला हो गया तो यह सवाल नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---[२५ अप्रैल, १९६२ के लिए प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[१९ अप्रैल, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२---श्री बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह (जिला प्रतापगढ़), श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री बेदराम (जिला एटा)---[३ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*३---श्री बालेन्दुभूषण प्रतापसिंह, श्री बाबूलाल तथा श्री बेदराम---[३ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

कानपुर के निकट रावतपुर गांव में बम विस्फोट

*४---श्री बेदराम, श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ११ जनवरी, १९६२ के लगभग कानपुर में कुछ बम विस्फोट हुये थे ? अगर हां, तो उसके सम्बन्ध में तब से कितने लोग पकड़े गये और क्या-क्या बातें पता चलीं ? इन विस्फोटों से संबंधित खाकसार संस्था के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर---जी हां। १० जनवरी, १९६२ को कानपुर के निकटवर्ती रावतपुर गांव में जामिन अली के मकान में एक बम फटने की दुर्घटना हुई थी। मामले की पूरी छानबीन की गई जिससे पता चला कि उक्त बम काफी अर्से से दीवार में रखा हुआ था। सिवाय इसके कि जामिन अली के पिता जिनकी मृत्यु हुये ११ वर्ष हो चुके खाकसार थे, इस दुर्घटना का, अभी तक की जांच से, कोई संबंध खाकसार संस्था से नहीं पाया गया। इस कारण इस संस्था के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। इस सिलसिले में २ व्यक्ति Explosive Substances Act के अन्तर्गत और ३३ व्यक्ति शान्ति भंग होने से बचाने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे।

*५---श्री बेदराम, श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री बसन्तसिंह---क्या सरकार खाकसार जमात को गैर कानूनी करार देने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या मन्त्री जी बतायेंग कि बम फटन के बाद यह जानकारी कैसे हुई कि काफी दिनों से रखा था या थोड़े दिनों सें रखा था ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जामिन अली की पत्नी अपने मकान में सफाई कर रही थी। दीवाल में एक छेद था, उसमें से एक ईंट गिरी और एक गोला-सा निकला। उनको धोखा हुआ कि शायद इसमें जेवर या धन दौलत बन्द की गई होगी। जब उन्होंने उसको तोड़ा तो बम फट गया और उनके हाथ में चोट लग गई। जब वह दीवाल के अन्दर गड़ा हुआ था तो यह एक मोटी-सी बात है कि वह बम पुराना था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या यह सही है कि जामिन अली और उनके मित्र खाकसार दल के कार्यकर्त्ता हैं ?

श्री नवलकिशोर---मैंने बताया कि जामिन अली के पिता जिनको ११ साल मरे हुये वह खाकसार थे, जामिन अली का इससे कोई संबंध नहीं है।

सैनिक स्कूल, लखनऊ

*६--श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)--क्या सरकार ने नवयुवकों को सैनिक कालेजों में भर्ती के योग्य बनाने के लिये उनके पूर्व प्रशिक्षण की कोई विशेष योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा यह प्रशिक्षण कहां-कहां होगा ?

नियोजन उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--सरकार ने लखनऊ में एक सैनिक स्कूल खोला है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के योग्य बालकों को नेशनल डिफेन्स एकडमी (National Defence Academy) में दाखिले के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा (Competitive Examination) में उत्तीर्ण कराना है। इस योजना का विवरण एक पुस्तिका† में दिया हुआ है जिसका शीर्षक है "U. P. Sanik schoool pens और जिसकी प्रति मेज पर रख दी गई है।

श्री रामचरण शाह--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक स्कूल के अलावा कोई और स्कूल भी प्रान्त में खोलने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

रिहन्द विद्युत् योजनान्तर्गत उत्पादन तथा व्यय

*७--श्री कृष्णपालसिंह तथा श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१ में रिहन्द विद्युत् योजनान्तर्गत कितना रुपया रक्खा गया तथा उसमें से कितना खर्च हुआ ? कम खर्च होने के क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--सन् १९६१-६२ में रिहन्द विद्युत् योजना पर खर्च करने के लिये ५००.६६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। मार्च, १९६२ तक इस वर्ष में २७३.९६९ लाख रुपये खर्च करने का अनुमान है। ग्रिड सब-स्टेशनों की मशीनरी तथा अन्य सामान समय पर न आ सकने के कारण खर्च कम हुआ।

*८--श्री कृष्णपालसिंह तथा श्री जे० पी० मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द विद्युत् परियोजना के बारे में निम्नांकित विषयों पर क्या तथ्य हैं--

(अ) मूल प्रस्तावित तथा वास्तविक लागत व अन्तर का कारण,

(ब) उत्पादन क्षमता तथा वर्तमान उत्पादन,

(स) उत्पादित बिजली का वितरण, बिक्री की दरें व कुल आय, और

(द) निकट भविष्य में योजना में होने वाले परिवर्तन या सुधार व उन पर खर्चा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--(अ) १९५२ में योजना की लागत ३५.२१ करोड़ थी जो सामान, मजदूरी तथा मशीनरी कीमत बढ़ जाने के कारण १९५६ में ४६.०५ करोड़ हो गई।

(ब) उत्पादन क्षमता २,५०,००० किलोवाट है। इस समय ५० हजार किलोवाट की एक मशीन चालू है।

---

†पुस्तिका छापी नहीं गई।

(स) रिहंद बांध से उत्पादित बिजली का वितरण मुख्यतः इस प्रकार किया जायगा:—

	प्रतिशत
१—बड़े उद्योगों के लिये	५१
२—मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिये	११
३—रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिये ..	१५
४—सिंचाई के लिये	५
५—नगर तथा ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ..	८
६—मध्य प्रदेश के लिये	१०

बिक्री की सामान्य दरें सरकार के विचाराधीन हैं। कुछ बड़े कन्ज्यूमर्स से जिनकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं, उनके पूरी शक्ति लेने पर १६२.५५ लाख रुपये सालाना आय होने की आशा है।

(द) रिहन्द एरिया को सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिये सरकार ने १४.७६ लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है।

श्री ऊदल—क्या सरकार जो बिजली मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद नगर महापालिकाओं को दे रही है वह ६ आना प्रति यूनिट के हिसाब से दे रही है, लेकिन एल्युमिनियम कम्पनी को ५ न०पै० प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दे रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इस भेदभाव को कम करके दूसरे कंज्यूमर्स के रेट को कम करने की कृपा करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिजली लाइसेंसीज को किस हिसाब से दी जाती है और लाइसेंसीज उसको फिर किस हिसाब से कंजूमर्स को वितरित करते हैं, इसके कुछ प्रिन्सिपल्स हैं। एक खास चीज बिजली ऐक्ट में दी हुई है और वह यह है कि कोई भी बिजली कम्पनी ६ प्रतिशत से ज्यादा फायदा नहीं उठा सकती। अगर उससे ज्यादा फायदा उठाती है तो सरकार उसके रेट्स को कम कर दिया करती है। वह कायदे बहुत लम्बे हैं। उनको आप जानना चाहें तो मैं यहां भी बता सकता हूं अथवा आप मेरे कमरे में आकर मुझसे समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—यहां न बताइये।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रिहन्द डैम से जो बिजली तैयार की जा रही है और जिसमें से ६० हजार किलोवाट बिजली आप बिरला निर्मित एल्युमिनियम फैक्ट्री को दे रहे हैं, इसमें ऐसा सुना जाता है कि वे बिजली का अपना ही प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो बिजली बचेगी, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जायगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, अभी तो केवल उसकी बातचीत ही हो रही है, लेकिन बिजली की इतनी डिमांड है कि जितनी भी बिजली बचेगी उसकी खपत में कोई परेशानी नहीं होगी। हम एक ग्रिड बना रहे हैं जिसमें मऊ को गोरखपुर से जोड़ देंगे। इलाहाबाद और कानपुर को हरदुआगंज से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम रिहन्द डैम की बिजली को प्रदेश में हर जगह दे सकेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ग्रिड सब-स्टेशन की मशीनरी न मिल सकने के कारण किस-किस काम में देरी हो रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ग्रिड सब-स्टेशन का बहुत-सा सामान बाहर से न आने के कारण देरी हो गयी थी, लेकिन अब बहुत सा सामान आ गया है और वे जल्द से जल्द बन जायेंगे।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिहन्द की बिजली से ८० हजार रुपया प्रतिदिन नुक्सान हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी उस बिजली की दरों को कम करने की कृपा करेंगे जो कि सिंचाई के कामों के लिये दी जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने यह बात कभी नहीं कही कि नुक्सान हो रहा है। मैं नेकराम जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था और जो अनुपात मैंने बताये उसी के हिसाब से सिंचाई के कामों को भी बिजली दी जा रही है। बड़े उद्योग-धंधों और चुर्क फैक्ट्री को भी उसी हिसाब से देंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रिहन्द डैम की बिजली पावर हाउस कानपुर को कब तक दी जा सकेगी और क्या उसके वितरण में कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—कानपुर में तो हम अपने आप कुछ बिजली बना रहे हैं जो अक्तूबर तक १५ हजार किलोवाट बिजली हो जायगी और साथ ही रिहन्द डैम वाली बिजली भी वहां दो वर्ष में आ जायगी।

राजकीय सूक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ के विस्तार की योजना

*९—**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (जिला बाराबंकी), **श्री बल्देवसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री सूरजलाल** (जिला गोंडा)—क्या सरकार ने राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ के विस्तार की कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो वह क्या है, कब तक पूर्ण होगी, उस पर क्या खर्च होगा तथा वर्तमान स्थिति से उसमें कितना अन्तर होगा ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—जी हां। वर्तमान फैक्ट्री के विस्तार के लिये ३२ लाख २५ हजार रुपये की लागत की एक योजना बनाई गई है, जो तृतीय पंच वर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में पूरी होगी। उसके अनुसार फैक्ट्री में वाटर मीटरों का उत्पादन ३६,००० से १,०८,००० तथा अणुवीक्षण यंत्रों का उत्पादन ३०० से ९०० वार्षिक हो जायगा।

*१०—**श्री द्विजेन्द्र नारायण, श्री बलदेवसिंह** तथा **श्री सूरजलाल**—उक्त फैक्ट्री में कितने कर्मचारियों के स्थान मंजूर हैं ? उनमें से कौन स्थान भरे हैं तथा कौन-कौन खाली हैं, इन कर्मचारियों का वेतन कितना-कितना है व इन्हें महंगाई किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री बनारसीदास—फैक्ट्री में सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न पदों के विषय में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४५ पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस फक्ट्री को शुरू किया गया था तो उसमें किन-किन चीजों के निर्माण करने की योजना बनायी गयी थी ?

श्री बनारसीदास—जिस वक्त इस फैक्ट्री का निर्माण किया गया था उस वक्त वाटर मीटर्स माइक्रोस्कोप्स आदि बनाने का विचार था, लेकिन घड़ी वाली स्कीम नहीं हो पायी।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दो साल पहले कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने फैक्ट्री को यह सलाह दी थी कि यदि उसके कमरे शीत ताप नियंत्रित कर दिये जायं तो घड़ी के पुरजे भी यहां बन सकते हैं, यदि हां, जो सरकार उस योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जहां तक घड़ी के पुर्जे आदि बनाने का संबंध है, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रीसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में गत वर्षों में कितना लाभ होता रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस फैक्ट्री को बराबर ही लाभ होता रहा है। सन् १९६०-६१ में नेट प्राफिट ८,७६,३७१ रु० है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फैक्ट्री के विस्तार की जो योजना सरकार बना रही है, तो उसमें कोई नया सूक्ष्म यंत्र तैयार किया जायगा या जो वर्तमान सूक्ष्म यंत्र तैयार किये जा रहे हैं उनको ही विस्तृत किया जायगा ?

श्री बनारसीदास—वाटर-मीटर्स जितने पहले बनाये जाते थे, देश में उसकी आवश्यकता बराबर बढ़ती चली जा रही है। पहले यह सोचा गया था कि इसको डबल किया जाय, लेकिन हिन्दुस्तान की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, इसलिये अब उसका विस्तार तिगुने उत्पादन के लिये किया जा रहा है ?

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि यह कारखाना नया है और वहां के मजदूर बड़ी मेहनत से काम करके ८ लाख रुपये का नेट प्राफिट सरकार को दिये हैं, उनके वेतनक्रम को ठीक करने के लिये कोई वेतन कमेटी बैठायेंगे ?

श्री बनारसी दास—वेतनक्रम तो उनका ठीक ही है, उसके लिये कोई कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कुछ मुनाफा तो कमाती नहीं, इसलिये मजदूरों का हित पूरी तरह से सुरक्षित है ।

*११—**श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बेदराम** तथा **श्री बसन्तसिंह**—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिधौली थानान्तर्गत चुनाव में पराजित प्रत्याशी के घर तलाशी

*१२—**श्री बैजूराम** (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली (सीतापुर) थाने के किसी अधिकारी ने १८ मार्च, सन् १९६२ या इसके इर्द-गिर्द किसी दिनांक को तृतीय आम चुनाव में विधायक पद के हारे हुये उम्मेदवार के घर की तलाशी ली है ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों के घरों की तलाशी किस जुर्म के सिलसिले में ली गई है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां । गत १८ मार्च को सिधौली थाने के एक हेड कान्स्टेबिल ने एक व्यक्ति के घर की तलाशी ली जो गत आम चुनाव में विधान सभा के लिये खड़े हुये थे । कानपुर के जूही थाने में एक अल्पवयस्क बालिका के अपहरण के संबंध में प्राप्त शिकायत के सिलसिले में उक्त तलाशी ली गई थी ।

पंचायती चुनाव में काम करने वाले अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अध्यापकों को यात्रा भत्ता न मिलना

*१३—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायतों के गत चुनाव में काम करने वाले फर्रुखाबाद जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के कितने अध्यापकों को यात्रा भत्ता देना शेष है, अभी तक भत्ता उनका अदा क्यों नहीं किया गया ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—पंचायतों के पिछले आम चुनाव में काम करने वाले फर्रुखाबाद जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के १९६८ अध्यापकों का यात्रा भत्ता देना शेष है ।

अभी तक भत्ता न दिये जाने का कारण यह है कि संबद्ध व्यक्तियों द्वारा बिल समय के भीतर तथा नियमानुसार पेश नहीं किये जा सके ।

श्री होरी लाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन अध्यापकों को अपना भत्ता नियमानुसार देने के लिये जिला अन्तरिम परिषद से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में उन की व्यवस्था कर दी गई थी और इस विषय में जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई थी कि वह उन के बिलों को भिजवा दें परन्तु वे समय के अन्दर नहीं आये । इसी कारण से वे रुके पड़े हैं ।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार जिला अन्तरिम परिषद् को हिदायत करेगी कि अब समय ज्यादा हो चुका है और अध्यापकों को परेशानी है इसलिये वह ऐसी विशेष व्यवस्था करे ताकि उनका भत्ता जल्द अदा हो जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—वह वित्तीय वर्ष १९६१–६२ का था, और उसमें मार्च से पहले ५१,३३२ रुपया ३८ नये पैसे की व्यवस्था हो गई है और जिलाधीश के द्वारा आदेश दे दिये गये हैं कि बाकी की कार्यवाही भी जल्द हो जाय ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १९६८ अध्यापकों को भत्ता नहीं मिला है उन में से कितनों ने समय से बिल नहीं दिया था और कितनों ने दिया था ?

श्री अध्यक्ष—इस का जवाब तो वह दे चुके ।

श्री उग्रसेन—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सब ने समय के बाहर बिल दिया ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—उन्होंने एक साथ २२७ आदमियों का बिल भेजा था और उस पर ट्रेजरी से आपत्ति हुई कि वह हरएक का अलग-अलग आना चाहिये, इसलिये वह रुक गये ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश को सभी जिला अन्तरिम परिषदों के अध्यापकों का मार्ग व्यय अभी तक बाकी पड़ा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो भविष्य में इस की सूचना दी जा सकती है ।

कमलसागर भन्डार सहकारी समिति, जिला आजमगढ़ का भटनी चीनी मिल पर बकाया

*१४—**श्री रामसुन्दर**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भटनी चीनी मिल, देवरिया के ऊपर कमलासागर भंडार, जिला आजमगढ़ द्वारा दिये गये गन्ने की कीमत चालू सीजन का लगभग ७० हजार रुपया बाकी है ? यदि हां, तो इस मिल के ऊपर वसूली सार्टीफिकेट जिलाधीश ने कब जारी किया और परिणाम क्या हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्राप्त सूचनानुसार इस मिल पर कमल सागर भंडार सहकारी समिति, जिला आजमगढ़ का वर्तमान सीजन का १ फरवरी, १९६२ तक कुल गन्ने का दाम अठासी हजार रुपया वाजिब हुआ था जिसमें से चालीस हजार रुपये का भुगतान मिल ने कर दिया था और निर्दिष्ट तारीख को उक्त भंडार को केवल अड़तालीस हजार रुपया दिया जाना शेष था । रिकवरी सार्टीफिकेट अभी जारी नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी सार्टीफिकेट जारी न करने का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मिल ने यह सूचना दी है कि उन्हें रुपया देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की धारा ३५ के अनुसार जांच-पड़ताल हो रही है और उन्होंने कोई आथोराइज्ड एजेंट नहीं भेजा है इसलिये नहीं दिया है।

लये सार्टीफिकेट इशू करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता।

डाक्टरों की कमी

*१५—**श्री रामसुन्दर**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और सरकार की नियुक्ति करने की योजना क्या है?

चिकित्सा उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)—प्रदेश के ३२१ सरकारी अस्पतालों में इस समय डाक्टर नहीं हैं।

जहां तक नियुक्ति का संबंध है, निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अधिक से अधिक संख्या में डाक्टरों को उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है:—

१—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद में एक मेडिकल कालेज खोला गया है।

२—बी०एम०बी० एस० परीक्षा पास डाक्टरों को पी०एम०एस० द्वितीय में नियुक्त करना।

३—एम०बी०बी०एस० परीक्षा पास प्राइवेट प्रैक्टीशनरों को तीन साल के ठेके पर पी०एम०एस० (द्वितीय) निसंवर्ग पदों (ex-cadre posts) पर नियुक्त करना।

४—पी०एम०एस० (द्वितीय) पी०एस० एम० एस० अधिकारियों को मिलने वाले नान प्रैक्टिसिंग भत्ते की दर का बढ़ाया जाना तथा ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर स्थित चिकित्सालयों में नियुक्त डाक्टरों को डिस्पेंसरी भत्ता दिया जाना।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ३२१ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं यह कुल अस्पतालों का कितना प्रतिशत है।

श्री धर्मसिंह—जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके आधार पर प्रदेश में १६२७ एलोपैथिक अस्पताल हैं जिनमें से १३०६ में डाक्टर हैं और शेष ३२१ में नहीं हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—सरकार बतायेगी कि जो सरकार ने···

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने वालों को आप समय नहीं दे रहे हैं मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—अवश्य समय दिया जायगा।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि ३२१ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। इनमें से कितने अस्पताल शहरी क्षेत्र में और कितने देहाती क्षेत्र में हैं?

श्री धर्मसिंह—इस तरह के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अधिकतर देहातों से संबंधित अस्पताल हैं।

श्री रामसुन्दर—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनका तजुर्बा है कि डाक्टरों की कमी की पूर्ति किये जाने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं उनसे वह कमी पूरी हो जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्मसिंह—सरकार प्रयत्न कर रही है और उम्मीद की जाती है कि जो खराब हालत इस समय है उसमें सुधार होगा ।

श्री रामसुन्दर—सरकार बतायेगी कि जहां डाक्टर नहीं है वहां पर किस प्रकार से काम चलाया जा रहा है और विशेष घायल व्यक्ति या मरीज जब अस्पताल में जाते हैं तो उनकी देखभाल के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है । यदि कहीं डाक्टर नहीं हैं तो कम्पाउन्डर होंगे और अगर कहीं वह भी नहीं हैं तो आस-पास के अस्पतालों से इंतजाम करने की चेष्टा की जाती है ।

श्री उग्रसेन—जब तक ३२१ अस्पतालों में डाक्टरों की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक सरकार आयुर्वेद या बनारस विश्वविद्यालय से जो डाक्टरी पास हैं उनको स्थान देने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं और अगर डाक्टर उपलब्ध हों तो भेजने की कोशिश की जायगी ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—मंत्री जी इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि जो शहरों में ज्यादातर डाक्टर रहते हैं तो वहां दूसरों के जरिये से भी दवा हो सकती है अतः इन शहर वाले डाक्टरों को देहातों में भेजने पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—सरकार की तरफ से यह प्रयत्न होता है । पर यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो जहां तक सम्भव हो सकेगा इस पर विचार होगा ।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—मंत्री जी बतायेंगे कि इन ३२१ अस्पतालों में कितने महिलाओं के और कितने पुरुषों के अस्पताल हैं जहां डाक्टर नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—२६९ पुरुषों के अस्पताल हैं और ५२ जनाने अस्पताल है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—मंत्री जी बतायेंगे कि अविकसित क्षेत्रों में जहां अस्पताल में डाक्टर कई महीनों से नहीं हैं उस जगह किसी प्राइवेट प्रेक्टीश्नर के लिये व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक होता है सरकार की तरफ से तो प्रयत्न किया जाता है ।

श्री झारखंडेराय—जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और जहां पर कम्पाउंडर काम कर रहे हैं उनको डाक्टर का वेतन दिया जाता है अथवा कम्पाउंडर का ? यदि कम्पाउंडर का दिया जा रहा है, तो इस सुझाव पर विचार किया जायगा कि उनको डाक्टर का वेतन दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—जहां पर डाक्टर बिलकुल नहीं हैं और कम्पाउंडर काम करता है तो उसे कम्पाउंडर का ही वेतन दिया जाता है और कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाता ।

सूचना विभाग के प्रकाशन

*१६—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६१ व जनवरी व फरवरी, सन् १९६२ में कौन-कौन प्रकाशन छापे गये और किस रेट से बेचे गये ?

श्री बनारसीदास—नवम्बर, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक छापे गए प्रकाशनों की सूची† सलग्न है।

उक्त अवधि में प्रकाशित समूल्य प्रकाशन निम्नलिखित रेट से बेचे गए:—

१—नानासाहब पेशवा, प्रति कापी ३५ रु०,

२—सूचना डायरी, १९६२ प्रति कापी १ रु० ७५ न० पै०, शेष प्रकाशन निःशुल्क हैं।

श्री रक्षपालसिंह—क्या सूचना मंत्री बतलायेंगे कि उक्त निःशुल्क साहित्य कितनी मात्रा में छापा गया है ? उस पर सरकार का कितना व्यय हुआ है और किस प्रकार से वह वितरित किया गया है ?

श्री बनारसीदास—वह लम्बी सूची है। इस वित्तीय वर्ष के लिये १०० पुस्तिकायें छापने की हमने योजना बनाई है जिसमें से ८३ छापी जा चुकीं। कितना व्यय हुआ, इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जो निःशुल्क साहित्य दिया गया, वह किस पार्टी के द्वारा दिया गया ?

श्री बनारसीदास—निःशुल्क साहित्य के वितरण-बिक्री की व्यवस्था प्रत्येक जिले में जिला इन्फार्मेशन आफिसर, बलाक्स तथा सूचना केन्द्रों के द्वारा की जाती है।

उसरी ग्रामवासी, श्री राजवंशी के आश्रितों को पेन्शन

*१७—**श्री रामसुन्दर**—क्या मुख्य मंत्री ६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४८ एवं १४९ के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय राजवंशी के आश्रितों की स्वीकृत १९५७ की पेन्शन कब उन्हें प्राप्त हुई है और विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री नवलकिशोर—स्वर्गीय श्री राजवंशी की विधवा श्रीमती सम्पतिया को पेन्शन स्वीकृति के संबंध में १ फरवरी, १९५८ को सूचित कर दिया गया था परन्तु वे ट्रेजरी अफसर, आजमगढ़ के समक्ष पहली बार ६ मार्च, १९६२ को ही पेन्शन लेने के लिये हाजिर हुईं। चूंकि स्वीकृत होने के बाद पेन्शन वर्ष तक नहीं ली गई थी अतः नियमानुसार पेमेण्ट अथारिटी (Payment authority) एकाउन्टेन्ट जनरल से फिर से प्राप्त करने के लिये कार्यवाही हो रही है। पेमेण्ट आथारिटी प्राप्त होने के उपरान्त ही अब पेन्शन मिल सकेगी।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि स्वर्गीय राजवंशी की विधवा सम्पतिया को पेंशन देने का निर्णय सरकार द्वारा कब किया गया ?

श्री नवलकिशोर—सरकार ने ३० नवम्बर, १९५७ को ए० जी० तथा प्रधान पुलिस निरीक्षक को इसकी सूचना दे दी थी। जहां तक सम्पतिया का सम्बन्ध है मैंने जैसा उत्तर में कहा १ फरवरी, १९५८ को उसे सूचित कर दिया गया था और यह भी बतला दूं कि ६ मई, १९५६ से उसकी पेंशन स्वीकृत की गई थी।

श्री रामसुन्दर—क्या यह सही है कि मुसम्मात सम्पतिया को सूचना सवाल करने के बाद दी गई है, पहले कभी भी नहीं दी गई थी ?

श्री नवलकिशोर—जो सूचना मेरे पास है उससे यह बात साबित नहीं होती।

---

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री उग्रसेन——क्या यह सही है कि सम्पतिया को एक बार भी पेंशन नहीं मिली है यद्यपि उसका सैंक्शन १९५६ से है ?

श्री अध्यक्ष—उसका तो उत्तर दे दिया गया कि क्या दिक्कत हुई।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे पेमेण्ट अथारिटी जल्दी प्राप्त हो जाय उसके लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है और वह कब तक मिल जायगी ?

श्री नवलकिशोर—पेमेंट अथारिटी हासिल करने के लिये एकाउन्टेंन्ट जनरल को ट्रेजरी आफिसर ने १३ फरवरी, १९६२ को लिखा है। जैसे ही उनकी अथारिटी आ जायगी पेमेण्ट देना शुरू हो जायगा।

*१८—**श्री होरीलाल यादव**—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

भोगांव तथा बेवर टाउन एरिया को बिजली देने पर विचार

*१९—**श्री गणेशचन्द** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की टाउन एरिया, भोगांव व बैवर की जनता को बिजली कब तक मिल सकेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—भोगांव का विद्युतीकरण अभी हाल में ही राज्य विद्युत् परिषद् ने स्वीकार किया है और आशा है कि ४ या ५ महीने में काम परा हो जायगा।

बेवर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है और उसके पूरे होने के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि उस नगर का विद्युतीकरण अभी सम्भव होगा या नहीं ?

श्री गणेशचन्द—बेवर की जनता को बिजली दी जाय या न दी जाय इसकी जांच पड़ताल होकर रिपोर्ट कबतक आ जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—समय बताना तो अभी सम्भव नहीं होगा, लेकिन जांच करने के हमने आदेश दे दिये हैं। जिस वक्त रिपोर्ट आ जायगी उस पर विचार किया जायगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या यह बात सही है कि भोगांव के लोग बिजली नहीं चाहते थे केवल विद्युत् बोर्ड ने ही बिजली देने का फैसला किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उन लोगों की तो वे ही ज्यादा जानते है या आप ज्यादा जानते होंगे।

*२०—**श्री झारखंडेराय**—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद का नाम 'प्रयाग' रखने की प्रार्थना

*२१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद का नाम बदल कर 'प्रयाग' रखने का वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। इलाहाबाद के नागरिकों से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। भविष्य में इस विषय पर यदि कोई सुझाव प्राप्त हुआ तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से बनारस का नाम बदल कर सरकार ने वाराणसी कर दिया है उसी प्रकार इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग करने में उसको क्या-क्या बाधाएं हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बाधाओं का सवाल नहीं है। बनारस का नाम एक विशेष परिस्थिति में वाराणसी किया गया था। आपको याद होगा आपने इस बारे में पहले भी प्रश्न किया था, बुद्ध जयन्ती थी और कुछ बाहर के लोगों का और यहां के लोगों का ऐसा विचार था कि बनारस का नाम वाराणसी जैसा कि पुराने बौद्ध और दूसरे ग्रंथों में है कर दिया जाय। इलाहाबाद के बारे में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना भी दी और इस साल कुम्भ भी लगा, कुम्भ दो जगह लगता है, इलाहाबाद और हरिद्वार में, ऐसे विशेष अवसर पर माननीय सदस्य का और हम लोगों का यह सुझाव कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग रख दिया जाय, मानने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इलाहाबाद बहुत बड़ी जगह है और बहुत से लोग वहां रहते हैं। केवल दो आदमियों के कहने पर नाम बदल दिया जाय मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

*२२—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

चीनी मिलों में गन्ने की पेराई

*२३—**श्री नरसिंह नारायण**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ३० मार्च, सन्, १९६२ तक कुल कितना गन्ना प्रदेश की चीनी मिलों में पेरा जा चुका है तथा प्रत्येक मिल जोन में कितना गन्ना अभी तक खड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—३१ मार्च, १९६२ तक इस प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल ९.४५ करोड़ क्वींटल गन्ना पेरा जा चुका है। प्रत्येक मिल जोन में जो गन्ना अभी मिल को सप्लाई होना है उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

*२४—**श्री नरसिंह नारायण**—क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि राज्य के गन्ना विभाग द्वारा मिल क्षेत्रों में गन्ना का रिसर्वे (resurvey) कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार (resurvey) के फलस्वरूप राज्य के मिल क्षेत्रों में गन्ने की क्या स्थिति है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, किन्तु गन्ने की वास्तविक स्थिति रिसर्वे के आंकड़े प्राप्त होने पर ही मालूम हो सकेगी। यह आशा की जाती है कि समस्त उपलब्ध गन्ने की खपत हो जायगी।

*२५—**श्री नरसिंह नारायण**—क्या सरकार यह स्पष्ट घोषणा करने जा रही है कि प्रदेश की चीनी मिलों की तब तक पेराई बन्द करने की इजाजत नहीं दी जायगी जब तक उनके क्षेत्रों का सम्पूर्ण गन्ना पेर न डाला जाय तथा जो मिलें इस आदेश को पालन करने में शिथिलता बरतेंगी उन्हें सरकार अविलम्ब अपने हाथ में लेकर गन्ना पेरने का बन्दोबस्त करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्रयास किया जा रहा है कि मिलें अपने कोटे का गन्ना पेर कर ही बन्द हों। अभी तक कोई मिल अपने क्षेत्र का गन्ना छोड़ कर नहीं बन्द हुई हैं।

श्री नरसिंह नारायण—क्या इस बात को देखते हुये कि सीजन अब बहुत कम दिन रह गया है और यह रिसर्वे हुए ज्यादा दिन हो गये माननीय मन्त्री जी को यह कब सूचना मिलेगी कि रिसर्वे में कितना गन्ना खड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—रिसर्वे अप्रैल में हुआ करता है और अप्रैल अभी जारी है। लिहाजा माननीय सदस्य का यह कहना तो गलत ही होगा कि रिसर्वे को बहुत दिन हो गये।

श्री नरसिंह नारायण—जो रिसर्वे हुआ है उसकी सूचना माननीय मन्त्री जी कब तक देंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना—अप्रैल के आखिर तक रिसर्वे हो जायगा और मई के पहले हफ्ते तक आपको पता लग जायगा।

चम्बल घाटी के आत्मसमर्पणकारी डाकुओं के अभियोग उठाने पर विचार

*२६—श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन चम्बल घाटी (आगरा) के डाकुओं ने सन् १९६० में आचार्य विनोबा भावे के समक्ष आत्मसर्म्पण किया था और उनके विरुद्ध अभियोग चल रहे हैं क्या ये मुकदमें उठाने का सरकार इरादा कर रही है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें हैं और उनके छूटने के बाद उनके भविष्य निर्माण की क्या व्यवस्था की जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न विचाराधीन है।

क्षय रोग अस्पताल, इलाहाबाद

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इलाहाबाद के क्षयरोग के अस्पताल में कितने मरीजों के रखने की व्यवस्था है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—४५ मरीजों की।

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इलाहाबाद क्षय रोग के अस्पताल में outdoor patient के इलाज कराने वालों की संख्या १९६१-६२ में कितनी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—७,२७६ मरीज थे।

*२९—श्री हिम्मतसिंह—[३ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

खड्डा तथा छितौनी मिलों में गन्ने की पेराई

*३०—श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि देवरिया जिले में स्थित खड्डा चीनी मिल अपने रक्षित क्षेत्र के इस सीजन में गन्ने की पेराई पूरा कर लेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो सरकार उक्त गन्ने की पेराई के लिये कौन-सा प्रबन्ध कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा १० प्रतिशत चीनी का कोटा कम कर दिये जाने से इस मिल को अपने रक्षित क्षेत्र में लगभग २८.६५ लाख मन गन्ना पेरना था। गत दिसम्बर में मिल मशीनरी खराब हो जाने के कारण २३ दिन बन्द रहने से इसके क्षेत्र का १० लाख मन गन्ना अन्य मिलों को भेजने का प्रबन्ध किया गया। मिल शेष २३ लाख मन गन्ने में से २५ मार्च, १९६२ तक १३.१० लाख मन गन्ना पेर चुकी है और शेष गन्ना जून तक पेरे जाने की आशा की जाती है।

*३१—श्री शिवप्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि छितौनी चीनी मिल, बिहार क्षेत्र का इस सीजन का अब तक कितना गन्ना पेरा जा चुका है? क्या यह सही है कि बिहार क्षेत्र का कोटा पूरा हो जाने पर भी अतिरिक्त गन्ना लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

नोट—प्रश्न संख्या २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्दभानु गुप्त—वर्तमान सीजन में छितौनी चीनी मिल ने बिहार क्षेत्र का २५-३-६२ तक ३.०५ लाख मन गन्ना क्रश किया है। यह सही नहीं है कि बिहार क्षेत्र का कोटा पुरा हो जाने पर भी अतिरिक्त गन्ना लिया जा रहा है क्योंकि बिहार का कोटा अब इस मिल के लिये ३.७५ लाख मन निश्चित किया गया है।

सादात कस्बे को बिजली देने के लिये जांच-पड़ताल

*३२—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को पता है कि गाजीपुर जिले के सैदपुर टाउन से सैदपुर तथा अगैरिहार रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते में बिजली की व्यवस्था नहीं है? सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सड़कों में रोशनी का प्रबन्ध कराने का काम स्थानीय निकायों का है।

*३३—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सादात कस्बे को बिजली कब तक और कहां से मिलेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सादात कस्बे के विद्युतीकरण के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है और उसके पूरे होने के बाद ही यह निर्णय लिया जायगा कि उस कस्बे का विद्युतीकरण कब तक किया जा सकेगा।

किच्छा में चीनी मिल लगाने का प्रयास

*३४—**श्री अवधनारायण** (जिला गोंडा), **श्री प्रतापसिंह**, **श्री कृष्णपालसिंह** तथा **श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि किच्छा में खड़े किये गये चीनी मिल के चालू होने में अब क्या बाधायें हैं? इसमें कितना-कितना सरकारी तथा प्राइवेट रुपया खर्च हो गया है और कितने की और आवश्यकता है? सरकार उसमें क्या और द रही है, मिल चलाने के क्या प्रयास हो रहे हैं तथा मिल कब तक चालू हो जावेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिश्त इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन किच्छा में मिल लगाने के लिये पर्याप्त फंड्स इकट्ठा नहीं कर सकी। इसमें अब तक लगभग ८० लाख रुपया खर्च हो चुका है जिसमें सरकार द्वारा दिया गया ४० लाख रुपये का ऋण भी सम्मिलित है। मिल लगाने में लगभग २२० लाख रु० का तखमीना है। कुछ अन्य व्यक्तियों से इस मिल को चलाने की बातचीत हो रही है अन्यथा इसे सहकारिता के आधार पर चलाने का प्रयास किया जायगा।

*३५-३६—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३८—**श्री ऊदल**—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

भैंसही खरीद केन्द्र पर गन्ने की अधिकता तथा सरदारनगर चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*३९—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि भैंसही खरीद केन्द्र पर गन्ना बहुत ज्यादा पड़ा है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि मिल ने उस केन्द्र के कोटे से मिल तक गन्ना पहुंचाने का भाड़ा १ १/२ आने से इस समय तीन आने कर रखा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि कप्तानगंज चीनी मिल के भैंसही खरीद केन्द्र पर गन्ने की मात्रा अधिक है क्योंकि सड़क की खराबी से उक्त केन्द्र देर से अर्थात् १३-२-६२ से चालू हुआ। यह भी सही है कि यातायात की स्थिति को देखते हुये उक्त केन्द्र से मिल गेट तक का यातायात भाड़ा १८ नये पैसे प्रति मन की दर से निश्चित किया गया है, परन्तु किसानों द्वारा गन्ना गेट पर पहुंचाये जाने की दशा में मिल ने ६ नये पैसे प्रति मन गेट की दर से अधिक देना स्वीकार किया है।

*४०—**श्री बांकेलाल**—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदारनगर चीनी मिल के जिम्मे वहां के केन यूनियन की कितनी रकम गन्ने का दाम तथा कमीशन अब तक बाकी है और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल पर १५-३-६२ तक गन्ने के मूल्य के रूप में ३२.५७ लाख रुपया तथा कमीशन का १.८० लाख रुपया बकाया था। गन्ना आयुक्त ने इसकी वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है।

*४१—**श्री बांकेलाल**—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि जिन किसानों के गन्ने की कीमत बाकी है उनके ऊपर वारण्ट गिरफ्तारी तथा कुर्की आदि की कार्यवाही मालगुजारी तथा तकावी बकाया के लिये हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्राप्त सूचनानुसार जिले की तहसीलों में इस बात का कोई अभिलेख नहीं रहता कि किस मिल पर गन्ना किसानों की कितनी गन्ने की रकम बकाया है अतएव जबतक किसान पर्ची द्वारा गन्ने के मूल्य के बकाया का इत्मीनान न दिला दे तब-तक मालगुजारी आदि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता।

*४२—**श्री रक्षपालसिंह**—[३ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*४३—**श्री हिम्मतसिंह**—[३ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*४४—**श्री ऊदल तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[७ मई, १९६२ के लिए प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४५—**श्री दयाराम** (जिला फर्रुखाबाद)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

बिसवां थानान्तर्गत डकैतियां

*४६—**श्री गयाप्रसाद** (जिला सीतापुर)—क्या राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां, थाने जिला सीतापुर में पिछले ३ महीनों में (१ दिसम्बर, १९६१ से २८ फरवरी, १९६२ तक) कितनी डकैतियां पड़ी थीं तथा इसी काल में पिछले वर्ष डकैतियों की क्या संख्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में बिसवां थाना जिला सीतापुर में तीन डकैतियों की रिपोर्टें हुईं। इसी काल में पिछले वर्ष कोई डकैती नहीं पड़ी थी।

पंचवर्षीय योजनाओं की लागत

*४७—**श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर) तथा **श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार बतायेगी कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनायें कितनी लागत की थीं ?

(क) भिन्न-भिन्न योजनायें बनाने में कितना खर्चा हुआ ?

(ख) इन योजनाओं को क्रियात्मक रूप देने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई धनराशि पहले से निर्धारित नहीं की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कुल धनराशि २५३.०९ करोड़ रुपये थी तथा तृतीय योजना ५०२.२५ करोड़ रुपये की है।

इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

राज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कुल व्यय १५३.३६ करोड़ रुपये था। दूसरी योजना का अनुमानित व्यय २२८.३२ करोड़ रुपया है। इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित "तीसरी पंचवर्षीय योजना"की प्रतियां सदन में वितरित कर दी गयी हैं जिसमें वांछित सूचना उपलब्ध है।

*४८-४९—**श्री काशीनाथ** (जिला बलिया)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०—**श्रीविजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—[३ मई १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*५१—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रतापपुर तथा भटनी चीनी मिलों पर विभिन्न मदों में बकाया

*५२—**श्री कैलाशसिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया के प्रतापपुर तथा भटनी चीनी मिल के जिम्मे कितनी रकम गन्ने की कीमत, क्रय-कर तथा केन यूनियन का कमीशन अब तक बाकी है, उसके बकाया की वसूली का क्या प्रबन्ध अब तक किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देवरिया जिले की प्रतापपुर तथा भटनी चीनी मिलों पर गन्ने का मूल्य व सोसाइटी कमीशन के रूप में १५-३-६२ तक तथा क्रयकर के रूप में २८-२-६२ तक जो रकम बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। गन्ना आयुक्त ने इस बकाया रकम की वसूली के लिये भटनी चीनी मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

*५३—**श्री कैलाशसिंह**—क्या यह सही है कि गन्ना के किसानों की कीमत मिलों के जिम्मे बाकी रहते हुये उन्हीं किसानों के ऊपर सरकारी पावना के वास्ते वारेन्ट, गिरफ्तारी तथा कुर्की की कार्यवाही सरकार द्वारा हुई है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्राप्त सूचनानुसार जिले की तहसीलों में इस बात का कोई अभिलेख नहीं रहता कि किस मिल पर गन्ना किसानों का कितना गन्ने का मूल्य बकाया है। अतएव जब तक किसान 'पर्ची' द्वारा गन्ने के मूल्य के बकाया का इत्मीनान नहीं दिला देता तब तक माल-गुजारी आदि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता।

*५४—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—[१ मई, १९६२ के लिये प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पुलिस कमीशन द्वारा भत्ता व वेतन वृद्धि सम्बन्धी सिफारिशें

*५५—**श्री काशीनाथ**—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि पुलिस कमीशन ने पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तथा भत्ता वृद्धि के सम्बन्ध में क्या सिफारिश की है और सरकार ने उनमें से किन-किन सिफारिशों को मान कर लागू कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वेतन तथा भत्ते में वृद्धि करने के बारे में पुलिस कमीशन द्वारा की गई सिफारिशें कमीशन के प्रतिवेदन में दी हुई हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। इन सिफारिशों में से सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से मान ली गई सिफारिशों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४७–३४८ पर)

*५६—**श्री रघुवीरसहाय** (जिला फतेहपुर)—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सुन्दरपुर गांव के लिये विद्युतीकरण की स्वीकृति

*५७—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद तहसील के गांव सुन्दरपुरी को एलेक्ट्रीफाई करने का निश्चय हो चुका है और खर्च का तखमीना भी बन चुका है? अगर हां, तो कब तक वहां बिजली पहुंच जायगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सुन्दरपुर गांव के विद्युतीकरण के लिये राज्य विद्युत् परिषद् ने स्वीकृति दे दी है। व्यय का तखमीना बन रहा है और विद्युतीकरण कार्य शीघ्र ही सम्पन्न हो जाने की आशा है।

घाटमपुर को टाउन एरिया बनाने की प्रार्थना

*५८—**श्री शिवनाथसिंह** (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर तहसील घाटमपुर के गांव पंचायत घाटमपुर को टाउन एरिया बनाने के लिये गत वर्षों से जो प्रश्न सरकार के विचाराधीन था उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया? क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत टाउन एरिया बन जायगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भाग (१)—अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भाग (२)—अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उक्त ग्राम कब तक टाउन एरिया बन जायगा।

*५९-६०—**श्री शिवनाथसिंह**—[३ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गांधी पार्क अस्पताल, मथुरा को सहायता न मिलना

*६१—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा समिति, मथुरा की ओर से संचालित गांधी पार्क, मथुरा के अस्पताल को सरकार द्वारा कितनी सालाना सहायता दी जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सेवा समिति, मथुरा की ओर से संचालित गांधी पार्क, मथुरा के नाम से शासन द्वारा अभी तक कोई सालाना सहायता नहीं दी गयी है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा नियम १०६ के अन्तर्गत सूचनायें तथा जानकारी

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और कई एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आई हैं और यह सब मेरी समझ में नियम के अन्तर्गत नहीं हैं और इन सबको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को डंडों से मारा है और सभा नहीं होने दी है, छर्रा गांव है श्रीमन् अलीगढ़ में, उस पर कम से कम सूचना मंगा लें ।

श्री अध्यक्ष—मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार न कर सका ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, नियम १०६ के अन्तर्गत जो अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में जब वोटिंग हो रहा था, इस पर पहले भी जब वाद-विवाद उठाया गया था तो सब लोगों ने एक स्वर से यह मांग की थी कि जहां तक हो सके सरकारी अधिकारियों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये । अंतरिम जिला परिषद् के ऐक्ट में...

श्री अध्यक्ष—ठीक है । आप क्या चाहते हैं ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि आप उसे जल्दी ले लें वरना यह इनअफेक्टिव हो जायगा । अगर मंत्री जी तैयार हों तो अगले सोमवार को दे दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं उसे देख रहा हूं । आपने पौने ग्यारह बजे भेजा था । मैं उसको देखकर यथोचित कार्यवाही करूंगा ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कामरोको प्रस्ताव दिया था.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये । वह अस्वीकृत हो चुका है । अब माननीय श्रम मंत्री-नाविक जल मजदूर संघ के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं जानकारी के लिये एक सूचना चाहता हूं । पहले यह पद्धति थी कि नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो अस्वीकृत होते थे तो पढ़कर सुना दिये जाते थे । लेकिन आपने उसको बदला है । यदि आप चैम्बर में करने वाले हैं तो सदन के समने बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—जहां तक उसका सवाल है मैं देखूंगा कि खेर साहब की पद्धति थी या नहीं । किन्तु जहां तक मुझे स्मरण है, वह यह कि वे कहा करते थे कि जो अस्वीकृत हो गये हैं उनके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । एक सूचना जिसको मैं अस्वीकार करूं उसको पढ़कर सदन का समय नष्ट करूं, गलत बात है । जिसको मैं स्वीकार करूंगा उसके प्रति सदन का ध्यान आकृष्ट करना तो मेरी समक्ष में आता है, लेकिन जिसको मैं अस्वीकार करता हूं, जिस पर सदन को विचार नहीं करना है तो उसके सम्बन्ध में मेरा मत है कि उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं देखूंगा कि यदि पहले ऐसी पद्धति रही है तो पुनः विचार करके बदल दूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आपने जो बात कही वह एक दृष्टि से सही हो सकती है । लेकिन अगर चैम्बर में रिजेक्ट करते हैं तो माननीय सदस्य को बुलाकर उसका कारण तो बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह आप दूसरी बात कह रहे हैं । यह आपका दूसरा प्रस्ताव है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मेरा सुझाव नहीं है बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप सदन में बतला दें ।

समाचार-पत्रों में सदस्य का गलत दल छापने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मुझे निवेदन दो करने हैं । एक तो यह है कि श्री सहदेवसिंह जो हमारे दल के सदस्य हैं उनका भाषण सदन में कल हुआ

था, लेकिन समाचार-पत्रों में उनको स्वतंत्र दल में लिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा अखबारवाले बन्धुओं से निवेदन करूं कि उसको फिर से संशोधित कर दें।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि जो मेरा १४ नवम्बर पर प्रश्न है, उसके संबंध में गन्ना मंत्री जी ने कहा कि दफा ३५ की कार्यवाही हो रही है इसलिये रुपया देने में अड़चन है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सोसाइटी को भले ही रुपया न मिले, लेकिन गन्ना किसानों का जो रुपया पड़ा हुआ है उसको दिलाने की व्यवस्था किसी भी प्रकार से होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रश्न तो आपका ठीक नहीं है। हां, पहली बात के संबंध में मैं प्रेस से कहूंगा कि कृपा करके जो गलती हो गयी है उसको शुद्ध कर दें। अब श्रम मंत्री जी गोरखपुर कमिश्नर के यहां नाविक जल मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल के संबंध में वक्तव्य देंगे।

नाविक जल मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर में भूख हड़ताल करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले के कुछ मल्लाहों ने एक सहकारी समिति संगठित की है जिसको नाविक जल मजदूर संघ कहा जाता है।

गोरखपुर जिले की तहसील फरेंदा में स्थित करमाइनी घाट का ठेका जिले के अन्य घाटों के साथ दिनांक १०, जनवरी १९६१ को नीलाम हुआ। इस नीलाम में उक्त घाट के लिये सबसे ऊंची बोली १४,३०० रुपये की आयी, परन्तु यह बोली कम थी अतएव इसको पुनः किसी अन्य तिथि को नीलाम करने के लिये स्थगित कर दिया गया। दिनांक १२ जनवरी, १९६१ को नाविक जल मजदूर संघ, कोनी ने एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें यह कहा गया कि उक्त संघ को करमाइनी घाट का ठेका २१,००० रुपये का दे दिया जाय। उन्होंने यह भी लिखा कि उन लोगों ने सहकारी संघ की स्थापना कर ली है जिसको रजिस्टर करवाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रार्थनापत्र पर संघ से अपनी आर्थिक अवस्था बताने तथा संघ के नियमों (bylaws) को देने के लिये कहा गया जिसके लिये संघ ने दिनांक ४ फरवरी, १९६१ का समय मांगा। उक्त घाट के नीलाम के संबंध में समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित करने तथा अन्य प्रचार के पश्चात् दिनांक ८ फरवरी, १९६१ को नीलाम किया गया। इस तिथि की अलग से भी सूचना संघ के प्रधान, श्री रामप्रसाद मल्लाह, को दे दी गयी थी। जब ८ फरवरी, १९६१ को उक्त घाट का नीलाम हुआ तो संघ का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक दिनांक २० फरवरी, १९६१ में अन्य घाटों के नीलाम के साथ इस घाट के नीलाम के संबंध में विचार किया और परिषद् ने सब से अधिक बोली बोलने वाले को २२,००० रुपये में ठेका देने की सिफारिश की। दिनांक १८ मार्च, १९६१ को एक प्रार्थनापत्र संघ की ओर से दिया गया। इसमें संघ ने २२,००० रुपये में उक्त घाट का ठेका उसे दिये जाने के लिये कहा। अन्तरिम जिला परिषद की बैठक में घाटों के नीलाम के संबंध में विचार किया जा रहा था तब जिलाधीश ने परिषद् को संघ के प्रार्थना-पत्र, दिनांक १८, मार्च १९६१ के बारे में अवगत कराया। परिषद् ने पूर्णरूप से आर्थिक दृष्टिकोण आदि पर विचार करने के पश्चात् संघ के प्रार्थनापत्र को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया और २२,००० रुपये की बोली बोलने वाले ठेकेदारों को उक्त घाट का ठेका देने को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात् समस्त कागजात मय संघ के प्रार्थनापत्र के आयुक्त, गोरखपुर मंडल के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेज दिये गये। आयुक्त ने परिषद् के सुझाव को स्वीकार कर लिया। परिषद् द्वारा संघ के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करने पर संघ ने उसके विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया और भूख हड़ताल भी की। उनके प्रतिनिधि जिलाधीश से मिले और यह मांग की कि प्रशासन एक धनराशि निश्चित करके घाटों का ठेका ऐसे

[श्री बंशीधर पाँडेय]

संघों को बिना नीलाम किये हुये दे दे। जिलाधीश ने उन लोगों को समझाया कि जहांतक इस वर्ष का प्रश्न है, जो ठेका दे दिया गया है उसने बिना ठेकेदारों से आपसी समझौता के नियमानुसार हेरफेर करना सम्भव नहीं है। जिलाधीश ने ठेकेदार तथा संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर यह तय कर दिया कि वे मदरा तथा नटवर नामक छोटे घाटों का ठेका इस संघ को दे दिया जाय और तदनुसार २२,००० रुपये पर उक्त घाटों का ठेका ठेकेदारों द्वारा संघ को दे दिया गया।

इस वर्ष करमानी तथा अन्य छोटे घाटों को दिनांक ४, मार्च १९६२ को नीलाम किया गया जिसमें संघ के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। नीलाम में सबसे अधिक बोली बोलने वाले ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया। यह गतवर्ष वाले ठेकेदार हैं। संघ की ओर से आयुक्त को एक प्रतिवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि ऊंची बोली बोलने वालों को घाट का ठेका न दिया जाय, क्योंकि संघ को घाटों के नीलाम करने की तिथि की नोटिस नहीं थी जिसके कारण वे नीलाम में भाग नहीं ले सके। संघ उतने रुपये पर ठेका लेने को तैयार है जितने रुपयों पर ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है। आयुक्त ने संघ के इस प्रतिवेदन पर पूर्ण रूप से विचार किया और साथ ही साथ इस सम्बन्ध में जिलाधीश तथा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष से परामर्श किया। उक्त परामर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि नार्दन इंडिया फेरीज अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार इस ठेके को रद्द इस लिये नहीं किया जा सकता है कि अमुक बोली बोलने वालों को नोटिस नहीं दी गयी। तद्नुसार आयुक्त ने संघ के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। इस साल भी गत वर्ष की भांति इस बात पर प्रयत्न किया गया कि ठेकेदारों को इस बात पर राजी कर लिया जाय कि वे छोटे घाटों का ठेका सघं को दे दें।

इस निर्णय के अनुसार जिलाधीश तथा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष ने ठेकेदारों से विस्तृत रूप से बातें कीं। ठेकेदारों ने बताया कि करमाइनी, मदरा तथा नटवर घाट आपस में इस प्रकार से मिले हुए हैं कि अगर अन्य किसी पार्टी को इन छोटे घाटों का ठेका दिया जाता है तो उनको आर्थिक हानि होगी जैसी कि गत वर्ष हुई है।

जब समझौता न हो सका तो इसकी सूचना संघ के नेता श्री मिश्रीलाल को दे दी गयी। जिस पर उन्होंने इस बात का संकेत किया कि संघ को ठेका न दिये जाने के विरोध में उनके आदमी भूख हड़ताल करेंगे।

यह हड़ताल आजमगढ़ जिले में स्थित गोला घाट का ठेका संघ को न दिये जाने के विरोध में भी है। इस सम्बन्ध में जो सूचना आयुक्त के पास उपलब्ध है उससे मालूम होता है कि मार्च, १९६२ में इस घाट को जब नीलाम किया गया तो संघ की सबसे ऊंची बोली थी। लेकिन संघ ने अपनी बोली का १/४ भाग जमानत का रुपया जमा नहीं किया। जमानत जमा करने की अवधि, दिनांक २७ मार्च, १९६२ तक बढ़ा दी गयी थी, परन्तु फिर भी उस तारीख तक संघ ने जमा नहीं किया। ऐसी अवस्था में परिषद् ने दूसरी पार्टी को जिसकी बोली नीलाम में अधिक थी, ठेका दे दिया।

संघ को घाटों का ठेका न मिल सकने के कारण संघ के तीन मल्लाहों ने श्री प्यारेलाल के नेतृत्व में आयुक्त के निवास स्थान पर दिनांक १६-४-१९६२ को ३ बजे शाम से भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

भूख हड़ताल करने वालों के इन तीन आदमियों के बैच हैं। ४८ घंटे तक एक बैच अपनी हड़ताल करने के पश्चात् दूसरा बैच उनका स्थान ले लेगा। कल रात की सूचना के अनुसार दूसरे बैच ने पहले बैच का स्थान ले लिया है। हड़ताल बिलकुल शान्त तरीके से चल रही है। जिलाधीश स्थिति पर दृष्टि रखे हुए हैं।

कानूनी दृष्टि में अगर कोई घाट एक बार नीलाम कर दिया जाता है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है जिसने नीलाम में भाग न लिया हो। शासन को भी ऐसे मामलों

में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार नाविक जल मजदूर संघ ने नीलामों में भाग नहीं लिया और कमिश्नर के द्वारा सबसे ऊंची बोली स्वीकार करना न्यायसंगत ही था अतएव संघ का आन्दोलन अविवेकपूर्ण है। संघ के लिये उचित मार्ग यह है कि आन्दोलन को वापस ले ले और अपनी भविष्य की मांगें शासन के विचारार्थ भेजे।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—सरकार की यह नीति थी और है कि सहकारी समितियों को बाकी व्यक्तियों के खिलाफ ज्यादा प्रश्रय देती है। जब नाविक जल मजदूर संघ एक सहकारी समिति है और जैसा कि अभी माननीय मन्त्री ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जो अन्तिम बोली थी, उसके बराबर वह देने को तैयार थी तो उसको प्रश्रय न देकर व्यक्तियों को प्रश्रय दिया गया इसका क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—मैंने निवेदन कर दिया कि जो सबसे अधिक बोली थी उसको ठेका दिया गया। नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के सेक्शन ८ में लिखा है कि जब एक बार बोली हो जाय तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो देने का प्रश्न है वह एक पालिसी का सवाल है। उसमें यह भी देखना होगा कि बोली बोलने वाली सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति कैसी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि नाविक जल मजदूर आम तौर पर मल्लाह लोग हैं। नया विधान होने और पुरानी अवस्था के बदलने के बाद उनकी जीविका के जो साधन थे वह करीब-करीब सब समाप्त हो गये ताल, तलिया, गड़हा, गड़ही, पोखरा। कोई विशेष प्रकार का प्रयास गवनमेंट करेगी ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटियों को प्राथमिकता दी जाय और जब यह न लें तभी किसी को दिया जाय, ऐसा कोई उपाय गवर्नमेंट करना चाहती है?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—हम लोग जो यह चाहते हैं कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दें, इसमें हमें नीति की तब्दीली करनी पड़ेगी कि जो रकम कम दे उसको दे दें और जो ज्यादा दे उसको न दें। तो यह अगर करना है तो नीति में तबादला करना पड़ेगा और वह एक अलग चीज है जिसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जो कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने बड़े काम का वह जिम्मा ले सकती हैं, यह भी देखना पड़ेगा क्योंकि यह आमदनी अन्तरिम जिला परिषदों के पास जाती है। इसलिये जो कोआपरेटिव सोसाइटियां लेंगी उनकी कार्य क्षमता, उनकी स्टेइंग पैसे की पावर, इन सारी बातों को सोचकर तभी इसके ऊपर फैसला हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—जब मन्त्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करती हैं कि इस सरकार की नीति है कि ऐसी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाय तो जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आलरेडी एक आर्डर ईश्यू कर दिया है कि मजदूर अगर अपनी सहकारी समितियां बना लें तो उनको ठेका देने में प्राथमिकता दी जाय, उसी प्रकार क्या आप अपने विभाग में भी कोई ऐसा निर्देश देंगी कि ये नाविक अगर अपनी कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर ठेका लें तो उसमें प्राथमिकता दी जाय?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैंने कहा कि इसमें नीति का निर्णय करना पड़ेगा और उसको करते समय इन तीन चार बातों का ध्यान रखना होगा। इस समय मैं इतना ही कह सकती हूं कि बहुत हमदर्दी से हम इस पर विचार करेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—आपने जब कहा कि पहली मर्तबे जब १४ हजार की बोली हुई तो वह कैंसिल कर दी गई, इसलिये कि वह बहुत कम थी। तो जब दुबारा

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

बोली हुई और उसके बाद वह २२ लाख में लेने को तैयार थे तो आपने कहा कि नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अनुसार हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे .....

श्री बंशीधर पांडेय—मैंने निवेदन किया कि दोबारा बोली में किसी संघ के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—संघ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया तो उन्होंने क्या आपको इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र दिया कि उनको सूचना नहीं दी जिला परिषद् ने उसमें भाग लेने के लिये ?

श्री बंशीधर पांडेय—पहली दफा उनको सूचना दी गई थी और जब दूसरी बार का नीलाम हुआ ८ फरवरी को तो उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। उसके बाद १८ मार्च को उनका प्रार्थना-पत्र आया कि वे २२ हजार रुपये में उसको लेने के लिये तैयार हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुए कि घाटों के ठेके जो घाटों के किनारे रहने वाले, मल्लाह वगैरह हैं उन्हीं को देने की प्रथा रही है और गांव सभाओं में तो यहां तक है कि १/४ कम पर भी उन्हीं को दिया जाय तो इस नियम को देखते हुए उनके प्रार्थना-पत्र पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अनुसार एक दफा अगर नीलाम हो जाय तो उस नीलाम को खारिज करने का सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। उस नीलाम में अगर किसी ने किसी वजह से पार्टीसिपेट नहीं किया है तो दूसरे हर किसी के बिड्स को जब तक खारिज न किया जाय तब तक उस पर विचार नहीं हो सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो घाटों का नीलाम दूसरी बार ८ फरवरी को हुआ तो क्या इसकी सूचना उनके पास है कि इस नीलाम की तारीख की सूचना अन्तरिम जिला परिषद् ने नाविक जल मजदूर संघ को दी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—इस सम्बन्ध में मैंने, श्रीमन्, निवेदन, किया कि इस तिथि की सूचना अलग से भी संघ के प्रधान श्री रामप्रसाद मल्लाह को दे दी गई थी।

१९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा। माननीय गिरधारी लाल।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, उसके बारे में मुख्य प्रश्न तो रह ही गया। अनशन वाली बात तो रह ही गई।।

श्री अध्यक्ष—आप उसे पूछना क्यों भूल गये ?

***श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, १९६२-६३ के बजट के ऊपर जो सदन में उपस्थित है आज चौथे दिन विवाद हो रहा है। श्रीमन्, जो इस बार १३ करोड़ ३५ लाख का घाटा बजट में दिखलाया गया है उस पर मनन किया जाय तो यह मालूम होता है कि १९६०-६१ का जो वास्तविक आंकड़ा हम लोगों के सामने है उसमें राजस्व प्राप्ति की तरफ १४८ करोड़ की आय होती है। अभी आज ही प्रश्नोत्तर के सिलसिले में यह मालूम हुआ कि

---

†१८ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ना सेस का करीब ७ करोड़ रुपया उसी वर्ष का बकाया पड़ा है। यदि यह आय आ गई होती तो १९६०-६१ में राजस्व प्राप्ति करीब-करीब १५५ करोड़ हो जाती। श्रीमन्, जो बजट पेश किया गया वह १३० करोड़ का था और वास्तविक आंकड़े करीब १५५ करोड़ के हो जाते हैं। ऐसी हालत को देखते हुए २५ करोड़ का अन्तर होता है और आज का केवल १३ करोड़ का घाटा है। मैं तो यह समझता हूं कि जब इस वर्ष के बाद वास्तविक आंकड़े सदन के समक्ष उपस्थित होंगे तो मुझे यह विश्वास है कि यह घाटा वास्तविक घाटा नहीं होगा और जिस तरह से १९६०-६१ में सरप्लस हो गया था इस बार भी सरप्लस होगा।

श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि सारे प्रदेश म केवल १३ करोड़ के घाटे को देखते हुए इतना बावेला क्यों है? जबकि हमारी राजस्व प्राप्तियों के द्वारा १७८ करोड़ आय होती है और खर्चा १९१ करोड़ होता है तो इसके तुलना में यदि हम १९४६ के बजट को देखे तो उस समय हमारा कुल बजट करीब ३६ करोड़ का था। इतने अल्पकाल में प्रदेश में जितनी हमारी राजस्व प्राप्ति हुई और सारे प्रदेश के लिये जितना व्यय हुआ तो इन प्राप्तियों और व्ययों को देखते हुए केवल १३ करोड़ के घाटे के ऊपर इतना बावेला अखबारों में और सदन में आज क्यों है? श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि हमारी सरकार को इस पर मनन करना चाहिये कि ३८१ करोड़ रुपया करीब दो पंचवर्षीय योजनाओं पर हम व्यय कर चुके और हम यह दावा करते हैं और बात भी सही है कि प्रदेश के लिये सामाजिक विकास सम्बन्धी, परिवहन सम्बन्धी चिकित्सा सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी और हर दिशा में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति के होते हुए भी केवल १३ करोड़ के घाटे को देखकर आज इतना बावेला क्यों? श्रीमन्, हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम इस असन्तोष को समझें और बारीकी के साथ समझें।

श्रीमन्, ३८१ करोड़ की इतनी लम्बी रकम के खर्च होते हुए भी आज प्रदेश के किसानों में, आज प्रदेश की जनता में वह पर्याप्त मात्रा में उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है और यही कारण है कि आज हम उदासीन से हो रहे हैं। श्रीमन्, जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है बजट में १३ करोड़ के घाटे को उपस्थित करते हुए हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने यह तो नहीं कहा कि यहां पर कोई नया कर लगाया जायगा, लेकिन उन्होंने यह इशारा तो अवश्य किया है कि प्रदेश की उन्नति के लिये यदि हम लोग इतना भी न जुटा सके तो भविष्य की सन्तानें हमें कोसेंगी। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमें स्वीकार करना चाहिये और हमें अपनी कमजोरियों को बड़ी बुलन्दी के साथ स्वीकार करना चाहिये। मैं समझता हूं यह उत्तम मार्ग अपनाने के लिये और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाने के लिये हमें स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि हमारे सिर पर प्रदेश की जिम्मेदारी है। आज हमारा प्रदेश भारतवर्ष के प्रदेशों की तुलना में हर बात में पिछड़ा हुआ है। जहां तक पर कैपिटा इन्कम का सवाल है यह तो कम है ही, किन्तु ग्रामीण जनता की आमदनी भी बहुत कम है। ऐसी हालत में मुझे अपनी सरकार का कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

जहां तक इस बजट बनाने का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बजट बनाने में हर दिशा की तरफ, हर एक मार्ग की तरफ काफी ध्यान आकर्षित किया गया। ७४ लाख रुपया सामाजिक विकास सम्बन्धी खर्च हमारे बजट में होने वाला है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझे विश्वास है कि यदि हमारी सरकार हमारे प्रदेश की जनता को अपने आचरण के द्वारा, अपने कामों के द्वारा यह विश्वास दिला सके कि उसके द्वारा जनता का भला होने वाला है तो आवश्यकता पड़ने पर जनता इस से भी अधिक रुपया देने में हरगिज मुंह न मोड़ेगी।

श्रीमन्, शिक्षा सम्बन्धी बातों के लिये मैं क्या कहूं। उसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन हमें देखना होगा कि इसमें हमने कितनी प्रगति की है। मैं समझता हूं कि साक्षर बनाने के लिये तो हम जरूर आगे बढ़े हैं, लेकिन उस से नवयुवकों में बेकारी ही बढ़ी है। आज कल की शिक्षा प्रणाली से निकले हुए युवक व्यवसाय और उद्योग की ओर नहीं जाते। मैं एक ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, हालांकि उसे कहने में इतने विद्वानों के सामने मुझे हंसी भी आती है, कुछ हिचक भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। श्रीमन्,

श्री गिरधारीलाल]

मुनीमी एक ऐसा माध्यम है कि जिसे आज कल के कामर्स के युग में लोग नगण्य समझते होंगे, लेकिन अगर सरकार मिडिल क्लास तक ही एक साल के लिये लड़कों को मुनीमी की शिक्षा दिलाये, बही खाते की शिक्षा दिलाये तो वह लड़के पढ़ने के बाद आपकी नौकरियां करने नहीं जायंगे, बल्कि वे पढ़ लिख कर व्यापार और उद्योग की ओर जायंगे। मैं मुनीमी और बही खाते का एक स्कूल चलाता हूं और उस में से हजारों विद्यार्थी निकले हैं जो आज लखपति हैं और व्यापार में अग्रणी हैं। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी इस ओर अपना ध्यान देंगे खास कर इसलिये भी कि इसमें कोई खास खर्च भी नहीं है।

इसके अतिरिक्त अस्पतालों में डाक्टरों का वेतन बढ़ाया गया है और बढ़ना भी चाहिये, लेकिन अस्पतालों की हालत खराब है और अभी पता चला कि करीब ३०० से ऊपर अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अगर ग्राम सभा के प्रधानों को थोड़ी-थोड़ी रकम दी जाय होम्योपैथिक चिकित्सा के लिये तो वह गांव के मामूली इलाज के लिये पर्याप्त होगी और जहां बीमारी के समय में कोई खास साधन नहीं होते वहां यह प्रणाली भी उनको संतोष प्रदान कर सकेगी।

श्रीमन्, सप्लाई अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक इनका सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि प्रदेश के अनेक जिलों से हमारी सरकार के पास शिकायतें आयी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने भी एक के बारे में शिकायत की है। मैं यह जानता हूं और सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात में एक मत हैं कि बाज बाज जिलों के सप्लाई अफसर लखपति हो गये हैं। उनके पास काफी रुपया हो गया है और उनका तरीका सन्तोषप्रद नहीं है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि जहां-जहां सप्लाई अफसरों के विरोध में लोगों को या पार्टियों को शिकायत हो उनकी फौरन जांच होनी चाहिये और उनके ट्रान्सफर होने चाहिये। मैं लालबहादुर सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि सप्लाई अफसर के पद पर पी० सी० एस० जैसे ग्रेड का आदमी होना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में यह काम है वे लोग इसके उपयुक्त समझ में नहीं आते।

श्रीमन्, साथ ही रेंट कंट्रोल ऐक्ट एक झमेला बन गया है। आज शहरों में इससे बड़ा ही बावेला मचा हुआ है। एक-एक दूकान और मकान के एलाटमेंट में हजारों के वारे-न्यारे हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस ओर विभागीय मंत्री तथा मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिये।

तो मैं यह चाहता हूं कि इस विभाग को रेन्ट कंट्रोल के हाथ से निकाल कर दीवानी अदालत को दे दीजिये या जो रेन्ट कन्ट्रोल कमेटी है उनके सारे मुकदमें उनके सिपुर्द कर दीजिये।

श्रीमन्, मुझे तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन अफसोस है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है। इसलिये मैं एक बात बिक्री-कर के बारे में ही और कहना चाहूंगा। बिक्री-कर हमारे प्रदेश के लिये एक मुख्य आमदनी का जरिया हो गया है। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि अगर गल्ले पर बिक्री कर एक पदीय कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर गल्ले पर सेल टैक्स नहीं लगता। गल्ले पर मार्जिन बहुत कम है। करीब सवा रुपया या डेढ़ रुपया सैकड़ा ही मिल पाता है जब कि वह कन्ज्यूमर्स के पास पहुंचता है। वह ४ हाथों में होकर पहुंचता है, इसलिये आप इस पर एक पदीय कर कर दीजिये।

तिलहन एक ऐसी चीज है कि इस पर टैक्स नहीं होना चाहिये। इस पर ११२ रुपये टन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और इसका मतलब यह हुआ कि यह करीब ४ रुपये मन हो जाता है और फिर सेलटैक्स और एक्साइज दोनों मिला कर ८ रुपये मन हो जाता है। इसमें निहायत चोरी हो रही है और सरकार के पास ५ प्रतिशत भी आमदनी नहीं पहुंच पाती। मेरा विश्वास है कि अगर गल्ले और तिलहन पर आप यह टैक्स हटा दें और एक पदीय कर दें तो आपके बजट में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि करोड़ों रुपये की वृद्धि होगी।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष, महोदय मैंने बजट के प्रोपोजल्स को और माननीय वित्त मंत्री की तकरीर को बहुत गौर से पढ़ा और अध्ययन किया। यह बात बिल्कुल जाहिर है कि यू० पी० के फाइनेन्सेज एक गम्भीर संकट की हालत में हैं। यह कोई इस साल की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से यह संकट बराबर जारी रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो तकरीर की, मैं समझता हूं, उसके अन्दर उस संकट की गम्भीरता का अहसास नहीं है। शायद उन्हें वक्त नहीं मिला, अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने वित्त मंत्री पद सम्भाला है, किन्तु वे तो बहुत काबिल व्यक्ति हैं और हमारे दोस्त भी हैं। काश वे ध्यान देकर उन सुझावों को अच्छी तरह देखते जो उनके अफसरान ने उनके सामने पेश किये। बहरहाल, जो कुछ है, संकट अपनी जगह पर है। यह संकट साधनों का संकट है और केवल इस प्रदेश में नहीं है, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर है। अब कुछ आंकड़ों से खेलने से यह संकट दूर नहीं होगा और न ही कुछ इधर उधर छुटपुट टैक्स बढ़ा देने से दूर होगा। पहली बात यह है कि इस संकट के मुख्य कारणों को पकड़ा जाय और फिर एक ऐसी नीति बनायी जाय जिस के जरिये कदम ब कदम आप इस संकट को दूर करें और साधारण, नार्मल परिस्थितियां पैदा करें। आपको यह रोना न हो कि हमारा खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, अब हम आगे बढ़ेंगे टैक्स लगायेंगे। यह एक सही बात नहीं है। अब पिछले दस वर्षों में क्या हुआ है? सरकार के खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर सन् १९५०-५१ का बजट देखें तो सरकार की आमदनी और खर्चा लगभग ५२ करोड़ था और आज वह-बढ़ते बढ़ते १५४ करोड़ हो गया। दस साल के अन्दर सरकार का खर्चा तिगुना हो गया। अब १५४-१५५ करोड़ का खर्चा है, कमी को पूरा करना है, हमारे खर्च बढ़ रहे हैं, प्लान का खर्चा बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, नये-नये विभाग खुल रहे हैं और नौकरशाही की संख्या बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि बढ़ती हुई एकोनामी में खर्चा बढ़ेगा। गहराइयों में न जाया जाय। हमारे एक दोस्त ने कहा कि तरक्की हो रही है तो खर्चा बढ़ेगा। यह एक तरक्की की निशानी है, लेकिन यह भी देखना चाहिये कि यह खर्चा कहां से आ रहा है और किस तरह से मुहैया किया जा रहा है।

सरकार तीन चीजों पर निर्भर करती है। एक बारोइंग, (कर्जा लेना), दूसरे टैक्सेज और तीसरे सेन्टर से भीख मांगना। यही तीन तरीके हैं। अब आप करते करते इन तीनों साधनों को इतना इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब आगे बढ़ने की गुंजायश बहुत कम है। आपने इतना कर्जा लिया कि २८ करोड़ खाली डेट सर्विसेज पर दे रहे हैं। यू० पी० सब से ज्यादा डेट सर्विसेज पर दे रहा है। आखिर कर्जा कितना लीजियेगा? उसकी भी कोई हद होती है। पार्लियामेंट में यह शिकायत रहती है कि यू० पी० बहुत कर्जा लेता है। इस तरह से कर्जे की आपके गले में एक ऐसी तौंक फंस जायगी कि फिर आप अपनी एकोनामी को मार्गेज नहीं कर सकते। दूसरी चीज टैक्स की है। टैक्स तो आपने बढ़ाया, अब कहां तक बढ़ाइयेगा? कोई कहता है कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दी जाय। कैसे आप लैंड रेवेन्यू बढ़ायेंगे? उसके कुछ आर्थिक और राजनीतिक नतीजे हैं। खुद आपकी पार्टी में मुखालिफत होगी। कह दीजिये कि मालगुजारी दुगुनी कर दी जाए, लेकिन यह आसान बात नहीं है। पिछले ४-५ वर्षों से आप रोते रहे हैं कि सेन्टर से कम मिलता है। आखिर यह भिखमंगापन कब तक चलेगा? सेन्टर आपको जो कुछ दे रहा है वह बहुत कम नहीं है। मैंने थर्ड फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को बड़ी एहतियात से पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यू० पी० के साथ बेइन्साफी नहीं की गई है। अब इस संकट से कैसे निकलें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। जैसी कि एक मसल है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। आप कहेंगे कि किसी न किसी तरह डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से सेल्स टैक्स बढ़ा दो या लगान बढ़ा दो जो कि जनता पर सीधा पड़ता है। चूंकि इस सूबे में आर्थिक विकास इतना कम हुआ है कि बड़ी आमदनियों पर आप टैक्स लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो इन्डस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ वही बेचारे जो गूंगे हैं जो चिल्ला नहीं सकते उन्हीं पर बढ़ा दो, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स बढ़ा दो, किसी न किसी तरह से वह वसूल हो ही जायगा।

[श्री जेड० ए० अहमद]

यही एक उपाय आपके सामने है, और कोई उपाय नहीं है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े सूबे की सरकार के लिये घूम फिर कर इस बात पर रुक जाना कुछ संकट की निशानी है। अब हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि एक बढ़ते हुए बजट को थोपा जा रहा है। एक ऐसी अर्थ व्यवस्था पर, एक लम्बे चौड़े खर्चे को थोपा जा रहा है जो खुद नहीं बढ़ रही है। टैक्स मिल सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि टैक्स है क्या चीज? टैक्स जनता की आमदनी का एक हिस्सा है। अगर वह आमदनी बढ़ती है तो यह जायज बात है कि आप उसका एक हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर वह बढ़ती नहीं है, स्टेगमेंट एकोनामी है बल्कि कुछ सैकशन्स में वह कम ही हो रही है तो फिर आप टैक्स कैसे बढ़ायेंगे? ऐसे बजट को अंग्रेजी में पेरेसाइटिक बजट कहते हैं। यानी आप जनता को देते कम हैं, लेकिन उससे लेते ज्यादा हैं। इस बजट को हिन्दी में मुफ्तखोर बजट कहा जा सकता है। समय कम होने की वजह से अब मैं ज्यादा बहस में नहीं जाऊंगा।

मैं हर बजट को समाज विशेष के ढांचे का प्रतीक समझता हूं। समाजवादी बजट में क्या होता है? उसकी क्या विशेषता है? उसमें साधारण तौर से व्यक्तिगत आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। समाजवादी समाज में सरकार के हाथ में अपने साधन होते हैं, उद्योग होते हैं, जिनके मुनाफे से सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाया करती है। यह समाजवादी बजट की विशेषता है। एक विकसित पूंजीवादी समाज में सरकार बढ़े चढ़े उद्योगों पर टैक्स लगा कर रुपया इकट्ठा करती है। लेकिन जो औपनिवेशिक समाज अथवा अर्द्ध औपनिवेशिक समाज होता है उसमें उद्योगों का तो पूरा विकास होता नहीं है, उसमें जनता के ऊपर टैक्स लगा कर, जनता की रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगा कर, इनडायरेक्ट टैक्स लगा कर रुपया लाने की कोशिश की जाती है। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? अगर आप १९३८-३९ के बजट को देखें तो आपको मालूम होगा कि ७०-७५ फीसदी रुपया मालगुजारी, सिंचाई कर और एक्साइज ड्यूटी से लिया जाता था। आज ७० फीसदी तो नहीं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी, लैण्ड रेवेन्यू, एन्टरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स और सेंट्रल एक्साइज से जो आमदनी होती है, उस सबको अगर मिला दिया जाय तो वह ५५ से ६० फीसदी के दरमियान आती है और इसका बोझ गरीब आदमी पर पड़ता है। लैंड रेवेन्यू से आपको २२ करोड़ रुपये की आमदनी होती है। मेरे पास और भी आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन उसके लिये मेरे पास समय नहीं है। इस तरह से एक लम्बा चौड़ा बजट लाद दिया जाता है उस समाज पर जो अर्द्ध विकसित औपनिवेशिक समाज है। इसको मैं विकसित पूंजीवादी व्यवस्था तो कह नहीं सकता क्योंकि उद्योगों का उतना विकास हुआ नहीं है और समाजवादी बजट यह हो नहीं सकता क्योंकि उसमें डायरेक्ट टैक्सेशन की जरूरत ही नहीं होती। इसलिये जैसा कि मैंने पहले कहा यह पेरेसाइटिक बजट है। परकैपिटा इनकम १९५०-५१ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार २५९ थी जो १९६०-६१ में २६८ हुआ। इस तरह से जो बजोका १० साल में हुआ वह सिर्फ ३.५ फीसदी हुआ। जनता की आमदनी १० साल के अन्दर फीकस ३.५ फीसदी बढ़ी है। यह सोचने की बात है कि जनता की आमदनी तो ३.५ फीसदी बढ़ी और बजट जो वसूल किया जाता है उसमें ३०० फीसदी का इजाफा हुआ है। यह कोई रिश्ता है, यह कैसे चलेगा? मैं इसको पैरेसाइटिक बजट कहता हूं तो क्या गलत बात कहता हूं? कहां ३ फीसदी और कहां ३०० फीसदी, इस पर आपको गौर कर लेना चाहिये।

अब आप देखिये कि सीधे तौर पर जो जनता पर टैक्सेशन का बोझ आता है वह कितना बढ़ता जाता है। मैं सन् १९५०-५१ के आंकड़े को लेता हूं और उसका मुकाबला सन् १९६२-६३ के आंकड़े से करता हूं। सन् १९५०-५१ में लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, इर्रीगेशन रेट्स और दूसरे टैक्स से मिल मिला कर २४,२८,००,००० रुपये की रकम होती है जो टैक्स के रूप में ली जाती थी। अब इन्हीं मदों को लेते हैं और इसके साथ-साथ बिक्री-कर को जोड़ते हैं, क्योंकि उसका भी बोझ सीधे तौर पर जनता के ऊपर पड़ता है, तो ये सब सन् १९६२ में ६२,५८,००,०० रुपये

की रकम हो जाती है । यह २४,२८,०००,०० रुपये की से बढ़ कर ६२,५८,००००० रुपये की रकम हो गयी, यानी १० साल के अन्दर ३ फीसदी तो आमदनी बढ़ी और जनता पर टैक्स का बोझ २५० प्रतिशत बढ़ा।

अब मैं क्या सुझाव दूं, क्या भविष्य दिखता है, मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे आप इस आर्थिक संकट से निकलेंगे। मैं मुख्य चीज को पकड़ता हूं, हमारे सामने साफ चीज यह है कि जनता की आमदनी बढ़ी नहीं है और टैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, जनता सूखती जा रही है। दोनों में एक सही रिश्ता होना चाहिये जो कि नहीं है। जैसा कि मैंने गवर्नर साहब के भाषण के ऊपर कहा था कि इसका मुख्य कारण यह है कि यू० पी० आज सारे हिन्दुस्तान में अगर सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश नहीं तो, पिछड़े हुए प्रदेशों में सबसे प्रमुख प्रदेश है।

आपके यहां उद्योग कहां है? लम्बी चौड़ी बातें कही जाती हैं। दो पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने प्लानिंग की कि ३०० करोड़ रुपये खर्च होने चाहिये। राजकीय क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में भी ३०० करोड़ रुपये खर्च हुए। सारे हिन्दुस्तान में प्राइवेट सेक्टर में ४,९०० करोड़ रुपये खर्च हुए और हमारे गरीब यू० पी० में कुल ३०० करोड़ रुपये खर्च हुए। दूसरे प्लान के दौरान में राज्य की तरफ से जो खर्च हुआ है—१९५६-६१ के दौरान में फीकस पंजाब में ८३ रुपये, बम्बई में ६५ रुपये, मैसूर में ५७ रुपये, राजस्थान में ५५ रुपये, मद्रास में ५२ रुपये और यू० पी० में केवल ३३ रुपये खर्च हुआ।

अब दूसरे पहलू को लिया जाय। पावर को ही लिया जाय, सब से कम पावर का इस्तेमाल यू० पी० में हुआ है। मालूम नहीं आगे आप अपनी योजना में कौन सा करिश्मा कर देंगे कि मऊ में बिजली का उत्पादन बढ़ा देंगे या और कौन सा करिश्मा कर देंगे। लेकिन अभी तक १५ साल के अन्दर यह हकीकत है जो बिलकुल आपकी आंखों के सामने है कि पर कैपिटा कंजम्पशन आफ पावर यू० पी० में सब से कम है।

अन् एम्पलायमेंट और बेकारी भी यहां सबसे ज्यादा है। नये उद्योग खुल नहीं रहे हैं और पुराने उद्योग खत्म हो रहे हैं। आज टैक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या हालत है? हमारे यहां के २ ही बड़े उद्योग थे, एक टेक्साटाइल का और दूसरा शूगर का। उनकी आखिर हालत क्या है? मेरे भाई बैठे हैं कानपुर के वह बतायेंगे कि क्या हालत सूती मिलों की है, मशीनें पुरानी हैं, कितनी ही टेक्सटाइल मिल्स यहां बन्द हो गईं। शुगर फैक्टरी की क्या हालत है, टूटी-फूटी मशीनें और पैदावार कम और घड़ी घड़ी यहां रेशनालाईजेशन का सवाल उठता है। पुराने उद्योग जो थे वह भी आज यहां लैग्विश कर रहे हैं। जाने दीजिये बड़ी इंडस्टीज को, जो छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ाई जा सकती थीं वह भी आज किस हालत में हैं यह सब जानते हैं। हुआ क्या दस साल में सिवा के बंगलिंग शब्द मैं इस लिये इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यह एक हकीकत है और यह एक निकम्मापान है। पिछले दस साल के अन्दर कोई भी इंडस्ट्रीयल पालिसी परसू नहीं की गई। क्या यहां का एकानामिक डेवलपमेंट भगवान कर देगा या खुद बखुद हो जायेगा। खर्च बढता जाता है कोई चेक-अप नहीं है जनता चाहे उस से मर जाय, लेकिन वह बढता जाता है। भुखमरों की तरह हम केन्द्रीय सरकार के सामने बारोइंग के लिये खड़े हैं कि हमें कुछ दे दो, यही दस साल से देख रहे हैं और इसी कारण से आज संकट खड़ा हो गया है।

मैं दो तीन चीजें और कहना चाहता हूं। खर्च ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सन् १९५०-५१ में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जस्टिस और जेल पर हम १४ करोड मिलाकर खर्च करते थे, लेकिन दस साल में यह खर्च दुगुना हो गया है। मैं मान लूं कि कीमतें बढ़ी है, लेकिन कोई तो रिश्ता होना चाहिये था, एक दम दस साल में दुगुना खर्च हो गया। आज मुख्य बात यह है कि कोई काम हो, कोई सोशल सर्विस या किसी चीज का कोई काम हो, पहले अफसर, डिप्टी अफसर, यह अफसर वह अफसर, उनके नाम भी मैं नहीं जानता, गर्जे कि अफसरों की कतार पहले खड़ी हो जाती है और बाद में काम शुरू होता है।

[श्री जेड० ए० अहमद]

एक नया सिलसिला अनुदान का शुरु किया गया है । मैं कहता हूं कि यह अनुदान का तरीका खत्म किया जाय । इससे समाज को भिखारी बनाने की आदत डाली जाती है, इस को दो रुपया दे दो, उस को ५०० रुपया दे दो । अगर काम कराना है तो खुद सरकारी अफसर कुआं बनवा कर दें लेकिन यह कि किसी की जेब में ५००,१००० या २००० रुपया डाल दो, यह सब क्या हो रहा है ? यही विकास है ? आप चेक अप करा के देख लें कि इस तरह से दिये गये कितने अनुदान विकास के लिये वाकई में सर्फ होते हैं या इधर उधर के कामों में खर्च होते हैं । इन कामों के लिये अनुदान की जगह आप की सर्विसेज डेवलप होनी चाहिये इसलिये व्यक्तियों को अनुदान का कैश पेमेंट हरगिज न होना चाहिये । यह आर्थिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से गलत है । इससे तो आप अपने समाज को भिखारी बनाते हैं । मेरे पास लोग आते हैं, बिटिया की शादी है, ५०० रुपया मुझे दिला दीजिये मंत्री जी से, मैं कह देता हूं कि तुम्हारी ही बेटी नहीं है बहुत सी बेटियां हैं किस किस को दिलवा दूं, लेकिन मैं न दिलाऊं तो क्या वह और दूसरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि मंत्री जी से शादी के लिए रुपया दिलवा दीजिये और मंत्री जी भी किसी को २००, किसी को ५०० दिया करते हैं । यह क्या है ? यह करप्शन का तरीका है, इस तरह से फाइनेंसेज वेस्ट होते हैं, इसलिये यह अनुदान देने का तरीका खत्म होना चाहिये ।

बहुत से प्वाइंट्स थे वक्त कम है, उनको छोड़ देता हूं । यहां की सरकार कहती है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है इसलिये हम बारोइंग करते हैं, लेकिन आप किस नाम पर और किस काम के लिये उधार ले रहे हैं ? सन् १९५०–५१ में ३२, ८८,००० रुपया डेट सर्विसेज पर खर्च होता था । जरा, दत्ता साहब, सुन लीजिये जो आप कहते हैं कि बहुत तरक्की हुई है । १९५०–५१ में ३२,८८,००० रुपये डेट सर्विस पर खर्च होता था और आज कितना है २५,५५,००,००० रुपये ।

अब यू० पी० की सरकार कहती है सेन्टर से हमें कुछ नहीं मिलता है और मैं भी जब पार्लियामेण्ट का मेम्बर था, डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने मीटिंग की थी जिसमें खास शिकायत थी कि सेन्टर नहीं देता है । मैं चाहता हूं हमारे एम० एल०एज० थर्ड फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ें । मैंने पढ़ा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यू० पी० के खिलाफ कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं है, कोई बेइन्साफी नहीं की जाती है । अगर आपकी कुछ मद ऐसी है जिसमें रुपया कम मिलता है, ग्रान्ट इन एड में कम मिलता है तो मैं समझता हूं ठीक है, क्योंकि आप जाया करेंगे उस रुपया को । दूसरे सूबे, बंगाल, मद्रास, मैसूर, जिनकी योजनायें बढ़ रही हैं वे उसका सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे और अगर सेन्टर ने यह फैसला किया है कि आपको ग्रान्ट इन एड में कम दिया जाय तो सही है । पहले आप इस काबिल तो बनिये कि ग्रान्ट इन एड को लेकर सही तौर पर इस्तेमाल करें ।

एस्टेट डयूटी में, जो उसूल रखा गया है में उसमें नहीं जाता । परसेंटेज जो मुकर्रर किया है वह है पंजाब ४ परसेंट, आंध्र ८ परसेंट, बिहार १०, बंगाल ८, महाराष्ट्र ९ और यू० पी० १७ परसेंट । क्या अन्याय है साहब आपके साथ ?

एड हाक ग्रान्ट इन एड इन ल्यू आफ रेलवे पैसेन्जर देखिये । आंध्र १·११, बिहार १.१७, मद्रास ८१ लाख, महाराष्ट्र १·३५, बंगाल ८० और यू० पी० २.३४ । अब अगर आप आबादी को ही आधार मान कर चलेंगे जो यहां हमेशा नंगें, भूखों की रही, तो उससे काम नहीं चलेगा । आप अपनी हैसियत भी तो देखिये । दरअसल आबादी को देखते हुए ही आपको इतना ज्यादा मिलता है वरना अगर विकास को देखा जाय तो इससे भी कम मिलना चाहिये ।

इसी तरह इन्कम टैक्स को लिया जाय । आन्ध्र को ७.७१ परसेंट, आसाम २.४४, बिहार ९·३३, महाराष्ट्र १३.४१ और यू०पी० को १४.४२ परसेंट मिलता है जब कि आपके यहां कुल १० हजार आदमी ही ऐसे हैं जो १०,००० रुपये से ऊपर की आमदनी पर इन्कम टैक्स देते हैं जब कि दिल्ली शहर ही में १३ हजार हैं, बंगाल में २५,से ३० हजार हैं । तो इनकम टैक्स कम भी दें और हिस्सा भी आपको ज्यादा मिले । आपके प्रदेश का विकास स्तर इतना नीचे है, इतने भूखे

और नंगे जमा हो गये हैं कि १० हजार आदमी से ज्यादा हैं ही नहीं जो इन्कम टैक्स दें। अगर बंगाल कहे कि इतना परसेंट इन्कम टैक्स देते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और आप कहें कि हमारी आबादी ज्यादा है इसलिये हमको ज्यादा मिले, तो बताइये किसको ज्यादा मिलना चाहिये ? जो ज्यादा इन्कम टैक्स देता है उसको या जो कम देता है ? जाहिर है जो ज्यादा इन्कम टैक्स देगा उसका हक आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी आपको आबादी के आधार पर ही ज्यादा दिया जाता है, कैसे आप कह सकते हैं कि आपके साथ डिस्क्रीमिनेशन होता है ? इसलिये पहले इस काबिल तो बनिये की आपका विकास हो, ज्यादा इन्कम टैक्स यहां जमा हो तो उसमें से ज्यादा हिस्सा मिले। हम लोग तो भिखारी बन गये हैं।

यूनियन ऐक्साइज डूयूटी टोटल अमाउन्ट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें से ८ परसेंट आन्ध्र, आसाम ४ परसेंट, बिहार ११ और यू० पी० १० परसेंट। बुरा नहीं।

अब मैं ग्रान्ट इन एड पर आता हूं। इसी पर यू० पी० में चिल्लाते हैं कि कम क्यों है ? और मैं समझता हूं हमें साफ तौर पर उन सिद्धान्तों को देखना चाहिये। थर्ड फायनेन्स कमीशन ने ग्रान्ट इन ऐड देने के उसूल बनाये हैं जिनको मैं कोट करता हूं।

"In the enumeration of principles the first Commission acknowledged that it was not sufficient to cover the amount of budgetary needs but also the fiscal needs arising out of development programmes undertaken. The second Commission reaffirmed that fiscal needs should be considered in a comprehensive sense and that grants in aid should subserve the requirements of planned development. It added that the priorities and provisions in the Plan itself should determine the fiscal needs for development for the period of the Plan."

सही बात है। मैं इस उसूल को सही समझता हूं। जब ग्रान्ट इन एड आप मांगते हैं तो आपका विकास किस स्तर पर हो रहा है उसको देखना चाहिये। सिर्फ इसलिये कि हमें घाटा है इसलिये आपको एड दी जाय, यह कोई उसूल नहीं है। आप हर साल घाटा दिखा दीजिये और कह दीजिये कि हमें और दीजिये। इस तरह से आप घाटा दिखाते जाइये और सेन्टर से और लेते जाइये। आप को अपना विकास सही मानी में करना चाहिये और विकास स्तर ऐसा हो कि जो आल-इंडिया डेवलपमेंट की तस्वीर है उस डेवलपमेंट की तस्वीर में आप आ जाइये और अगर आ जाते हैं तो अधिकारी बन जाते हैं सेंटर से मांगने के। लेकिन अगर आपका यही उसूल है घाटे वाला तो घाटा हर साल आप बना सकते है, फिजूलखर्ची करिये और घाटा दिखा दीजिये, यह गलत है। ग्रान्ट इन एड का उसूल सही है। फिसिकल डेवलपमेंट प्लांड डेवलपमेंट के लिये जो जरूरतें हैं उनको मद्देनजर रखा जाय, आपके घाटे को मद्देनजर रखा जाय और उसको देखते हुए ग्रान्ट इन एड सेंटर की तरफ से आपको मिले। प्लान्ड डेवलपमेंट नीचे स्तर पर है इसलिये बावजूद इसके कि आपकी पापूलेशन बहुत है ग्रांन्ट इन एड आपकी बहुत कम है। कम है, यह मैं मानता हूं, लेकिन क्या किया जाय ? क्या केस बनाया जाय ? पार्लियामेंट के अन्दर सवाल उठा कि आपको क्या दें, आप फिजूलखर्ची में रुपया फेंक देंगे। वहां के मंत्रियों ने यह कहा कि आपकी कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है। आपके यहां कोई स्टेट सेक्टर नहीं बन रहा है। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है आपके उद्योग लंगुइश हो रहे हैं। आपके यहां जो दूसरे पहलू हैं उनके अन्दर कोई खास विकास नहीं हो रहा है और इसलिये सेंटर सोचता है कि हय रुपया ज्यादा देंगे तो वह रुपया जाया हो जायगा इसलिये बेहतर है कि मैसूर को, बंगाल को, बम्बई को दें। तो पहले अधिकारी बनिये या वहां हमेशा आप हाथ जोड़ कर खड़े रहिये और कहिये कि हमें रुपया कम मिला है।

मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हुं। मैं समझता हूं कि इस संकट से निकलने के लिये कुछ बुनियादी तौर पर सोचना पड़ेगा। मैं अपने वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह बुनियादी तौर पर सोचें और जवाब दें। ठीक है, १३ करोड़ रुपये जमा कर लेंगे, लेकिन आगे

[श्री जेड० ए० अहमद]

५ साल रहेंगे । उनको सोचना चाहिये कि ५ साल में होगा क्या ? मैं सीधे तौर पर जवाब चाहता हूं कि आपकी शार्ट रेंज और लांग रेंज पालिसी क्या है ? अगर इसके लिये कोई रफ साल्युशन नहीं है और यू० पी के फायनेन्सेज को, यू० पी० की इकोनामी को जोड़ा नहीं गया तो यू० पी० की इकोनामी और यू० पी० के फोयनेन्सेज इस गहरे तरीके से संकट में फंस जायेंगे कि निकलना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा ।

मैं फौरी तौर पर समझता हूं कि सरकार के खर्चे की जांच की जाय । अगर वित्त मंत्री जी इस बात के लिये तैयार होते हैं तो एक जांच कमीशन बैठाइये और आप और हम मिल कर इसको देखें कि कहां फिजूलखर्ची हो रही है । इससे कोई इंकार नहीं हो सकता कि फिजूलखर्ची हो रही है । इससे भी कोई इन्कार नहीं हो सकता और यह निश्चित है कि ओवरलेपिंग हो रही है काम की, जिसकी वजह से इस्टेबलिशमेंट में रुपया बहुत खर्च होता है । यह डिपार्टमेंट है वह कार्य करता है, वह डिपार्टमेंट है और वह भी यही काम करता है, एक छोटा-सा आफिसर इस काम के लिये है, एक छोटा-सा आफिसर उस काम के लिये है इस तरह से छोटी-छोटी बात के लिये ओवरलेपिंग हो रही है । अभी चन्द्रजीत यादव ने कहा कि लायब्रेरी में लिफ्ट लगाने का सवाल है ।

लिफ्ट का रुपया सेंक्शन हो गया है और ६ महीने से लिफ्ट लग नहीं रहा है । पी० डब्लू० डी० कहता है कि फलां डिपार्टमेंट करेगा, वह कहता है वह करेगा और वह कहता है वह करेगा । पता नहीं कौन करेगा ।

कोआर्डिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, लैक आफ कोआर्डिनेशन इतना है कि मैं तो इस राय का हो चुका हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो इतने विभाग लिये बैठे हैं उनको छोड़ कर अगर वे कोआर्डिनेशन ही करें तो ज्यादा अच्छा हो । इतने डिप्टी मिनिस्टर हैं, बांट दीजिये उनमें, बना दीजिये मिनिस्टर, मुझे कोई एतराज नहीं है । और ५०० रुपये ले लीजिये, १५० करोड़ के बजट में से ५–७ सौ रुपये ले लीजिये तो कोई बात नहीं है । लेकिन काम होना चाहिये, दरबारगीरी खत्म होनी चाहिये और फाइल्स को देखना चाहिये । मैं मुख्य मंत्री जी से खासतौर से प्रार्थना करूंगा कि वे दरबार गीरी खत्म करें ।

Concentrate on essential expenditure and cut out all unnecessary expenses.

राज्य के आर्थिक विकास के लिये यह काफी नहीं है कि आपने कुछ ऐडवाइजरी कमेटीज बना दीं । यह इतना गम्भीर मामला है कि फिर से अज-सरे-नौ सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आर्थिक विकास हो । यू० पी० में कच्चा माल है, कोयला है, यहां के मौलेसेज से सबसी–डियरी इंडस्ट्रीज बन सकती हैं । एक जिम्मेदार परमानेंट कमेटी बनाइये जो मुतवातिर इस बात को देखें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में किस तरह विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है उस कमेटी में असेम्बली के मेम्बर हों, कुछ अफसरान हों, एकोनामिस्ट्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हों कुछ लेबर के नुमाइन्दे हों, सब हों । वैसे तो आपकी कमेटी बनी हुई है, लेकिन कुछ काम नहीं करती । जो कमेटियां हैं उनको जिम्मेदार बनाइये असेम्बली के प्रति और उनकी रिपोर्ट पर यहां डिस्कशन हो । इस तरीके से एक हथियार हमारे सामने होगा जिससे यू० पी० के विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं । यह तरीका इस्तेमाल किया जाय तो शायद ४–५ साल के अन्दर हम इस संकट से निकल सकें । और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इस मुनज्जम तरीके से काम करेंगे तो यू० पी० की भलाई के लिये हम सब एक हो कर काम करेंगे ।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में जो ३–४ दिन से सामान्य विवाद हो रहा है ....

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, बोलने वाले ज्यादा लोग हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि समय १५ मिनट के बजाय १० मिनट कर दिया जाय तो ज्यादा आदमियों को मौका मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—मैंने उपमंत्री महोदय को बुला लिया है। वे बोल लें तब विचार किया जायगा।

श्री नवलकिशोर—मैं यह कह रहा था कि जो ३-४ दिन से विवाद चल रहा है उसको मैंने ध्यान से सुनने की चेष्टा की और अभी डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब ने जो पुरजोश तकरीर फरमय: उसको मैंने बडे ध्यान से सुना। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। यह सही है कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश का एक नक्शा और कुछ वस्तुस्थितियां अपने ढंग से हमारे सामने पेश कीं और उसके बाद जब वे आगे चले कि वे कुछ सुझाव देंगे तो मैं यह आशा करता था कि वे तमाम कमियां जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत कीं उनके दूर करने के ऊपर शायद कोई खास रोशनी डालेंगे। मगर सिवाय इसके कि विभागों में कोआर्डिनेशन हो और आखिर में बड़े जोर के साथ एक हाई पावर कमेटी इंडस्ट्रियल और फानैन्शशियल पालिसी को निर्धारित करने के लिये बनायी जाय यही बात उन्होंने बताई है। उन्होंने यह नहीं बताया कि जो क्राइसिस आफ रिसोर्सेज हैं उसको ओवरकम करने के लिये कौन से तरीके अख्तियार किये जायं।

उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं जिनका जबाब माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में देंगे मैं तो केवल दो एक बातें कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यह भी सही है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम घटी नहीं है, बढ़ी है मगर बढ़ोत्तरी उतनी संतोषप्रद नहीं है जितनी कि हम चाहते थे। इसके बाद डाक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारे शासकीय खर्चे बहुत बढ़े हैं, बजट में डेफिसिट भी हुआ और उन्होंने हमको भिखमंगा भी बताया, मगर मान्यवर, उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया और उन्होंने यह भी माना कि डेवलपिंग इकोनामी में खर्चे बढ़ते हैं और डेफिसिट होना भी अस्वाभाविक नहीं है। और उन्होंने यह भी बताया कि जब इकोनामी डेवलप होगी तो शासन के खर्चे बढ़ेंगे और टैक्सेशन भी बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने तीन बातें बताईं कि लोन्स ,टैक्सेशन और सेंट्रल ग्रांट ही हमारे मुख्य साधन हैं और इन तीनों में, हमारा सैचूरेशन प्वाइंट पहुंच गया है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा ,इन बातों को मानते हुये कि सरकार के पास यह तीनों साधन तो हैं ही, यह बताना चाहता हूं कि चौथा साधन हमारे सामने यह भी है कि जो हमारे एंटरप्राइजेज हैं अगर उनको बेटर कोआर्डीनेटेड वे में विकसित करें तो आउटपुट ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं उनसे इस बात में इत्तफाक नहीं करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कर्जा इतना बढ गया है कि जो हमारे नेशनल असेट्स हैं उनके ऊपर कोई खतरा आ गया है। ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। टैक्सेज के संबंध में भी यह सत्य है कि हमारे प्रदेश में, हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटस के मुकाबले में इंसीडेंस आफ टेक्सेशन कम है। डाक्टर साहब तो पार्लियामेंट के मेम्बर थे वे सब बातें जानते हैं कि जब हमारा थर्ड फाइव ईयर प्लान बन रहा था तो जो हमारे प्लानर्स थे उनके दिमाग में यह बात थी कि प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुये ९०० करोड़ से ऊपर का प्लान बनाया जाय। इसके बाद उन्होंने इसको काटा और तब करीब ७०० करोड़ के आस-पास बनाया जाना सोचा गया जिससे हम अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें, लेकिन मान्यवर, अंतिम हमारा प्लान ४९७ करोड़ का बनी और उसमें ५ करोड़ रुपया बाद में बढ़ा। इस तरह से ५०२ करोड़ का बना। हमारा पिछड़ापन हमारे लिये अभिशाप बन गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने कहा कि पापुलेशन के बेसिस पर एलोकेशन नहीं कर सकते हैं, जो स्टेटस अधिक साधन जुटा सकती हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जायगा और जो स्टेट्स कम साधन जुटा पायेंगी उनको कम पैसा दिया जायगा। तो बुनियादी सवाल जिसकी ओर हमारे माननीय डाक्टर साहब का ध्यान गया वह यह था कि हमारी हालत यह है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है जिससे हम इतने साधन नहीं जुटा पायेंगे कि जिससे हमें ज्यादा पैसा मिल सकें।

(इस समय १ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत पीठीसीन हुये।)

दसरी बात उन्होंने थर्ड फायनेन्स कमीशन की कही। मैंने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन उसे थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश की है। जिस समय यह बैठा हुआ था और हमसे

[श्री नवलकिशोर]

बात-चीत चल रही और हमें उम्मीद थी कि हमको उसकी सिफारिश के अन्तर्गत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो नियम बनाया है, जिसके अन्तर्गत स्टेट्स के लिये जो पैसा मिलने वाला है, पिछले साल के मुकाबले में ५.७ करोड़ रुपया हमें कम मिलने वाला है। इस तरह से दो स्थितियां हमारे सामने हैं। एक तो यह कि हम पिछड़े हुये हैं उसे हमें दूर करना है और दूसरी यह कि केन्द्र से जो हमें रकम प्राप्त होती थी वह कम हो गई और अब १३ करोड़ का हमारा डेफिसिट है। उसको देखते हुये टैक्सेशन की बात आने पर इतना बड़ा शोर मचाना कहां तक उचित है ? मैं उनकी सब बातें अगर आरगूमेंट के लिये मान भी लूं कि कमियां हैं और कुछ कमियां रहीं हैं मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि अब पिछड़ने की हमारी जो स्थिति है उसके अन्दर टैक्सेशन का होना मुनासिब है या नहीं? उन्होंने बड़ी दबी जबान से इशारतन एक बात कही कि यह जो गांव सभाओं की ग्रान्ट्स होती हैं इनको बन्द कीजिये और सर्विसेज के द्वारा उन कामों को कराइये। यही तो हमारा और कम्युनिस्ट पार्टी का बुनियादी इख्तिलाफ है। वह केन्द्रीयकरण चाहते हैं और कहते हैं कि सरविसेज को डेवलप कीजिये यानी जो कार्य हो वह केन्द्रीय ढंग से किया जाय। हमारा जो अनुदान है वह हम हजार, दस हजार रुपया किसी एक व्यक्ति को या एक जगह नहीं डालते बल्कि संस्थाओं को देते हैं। चाहे कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये अनुदान हो, चाहे सार्वजनिक कुओं के बनाने के लिये अनुदान दें या फिर ब्लाक के अन्दर जो काम होता है उसके लिये अनुदान देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि नीचे के स्तर से ग्राम की इकाई से नेतृत्व उठकर प्रादेशिक स्तर या केन्द्रीय स्तर पर धीरे-धीरे आवें, लेकिन साम्यवादी पार्टी का विश्वास तमाम पावर को सेन्ट्रलाइज करने का है और यही हमारा उनका के बुनियादी इख्तिलाफ है कि हम नीचे विलेज लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि सर्विसेज द्वारा ही सारा काम हो।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं इस प्रश्न के उत्तर में कि टैक्सेशन क्या होगा इसकी अभी कोई स्पष्ट रिपोर्ट या संकेत बजट में नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वह आपके सामने आयेगा। मैं डाक्टर अहमद से बिल्कुल इत्तफाक करता अगर वह कहते कि इस प्रदेश को जो कि पिछड़ा हुआ है अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिये और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि टैक्सेशन की पालिसी को आगे बढ़ाया जाय। डाक्टर अहमद साहब कह सकते थे कि इधर के और उधर के जो माननीय सदस्य बैठे हैं, मिलकर कोशिश करें और रास्ता निकालें कि कहां और कौन सा टैक्स आसानी से लिया जा सकता है जिससे कम से कम भार लोगों पर पड़े और अधिक से अधिक पैसा मिल सके तब तो कोई कंस्ट्रक्टिव बात होती।

जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, यह बात सही है कि जो उन्होंने कही कि पिछली २ योजनाओं में हम औद्योगीकरण की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ पाये। मैं स्वयं भी यह नहीं कहता कि एकदम जादू हो गया है क्योंकि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, लेकिन यह बात सही है कि थर्ड प्लान में औद्योगीकरण की तरफ ठोस कदम बढ़ाया गया है। समय की कमी के कारण विस्तार में न जाते हुये मैं दो चार बातें बताऊंगा। हेवी इंडस्ट्रीज भी आई हैं, सिन्थेटिक रबर के कारखाने की भी बात है, लोकोमोटिव की भी बात है, ऐन्टीबायोटिक्स की भी बात है और जो हमारे यहां सीमेंट फैक्टरी है उसका प्रोडक्शन दूना हो गया है और हम उसमें एक नया प्लान्ट जोड़ने जा रहे हैं। प्रेसीजन इंस्ट्रमेंट फैक्टरी के लिये स्पष्ट लिखा हुआ है कि थर्ड प्लान के अन्त तक उसका तिगुना इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों पहुंच जायगा। छोटे उद्योग-धंधों के लिये ३० जिलों में इंडस्ट्रियल स्टेट्स करीब-करीब कायम कर दी गयी हैं, यद्यपि हमारा टारगेट ५१ तक का है। मैं केवल संकेत में यह बात कहना चाहता हूं। पावर की बात उन्होंने कही। सही बात है कि हमारे यहां पर-कैपिटा कंजम्प्शन पावर का कम होता है, लेकिन स्पष्ट है कि तीसरे प्लान में हम इसके अन्दर काफी धन, कई करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं और हमें ७ लाख किलोवाट पावर ऐडीशनल मिलने वाला है और इसका काम अब शुरू हो गया है।

इसी सिलसिले में यह बात भी कह दूं कि शुरू में जो इंवेस्टमेंट हमें करना था, कर दिया, जैसे हमारे यहां रिहन्द डैम है उसपर जो इंवेस्टमेंट होना था वह हो गया। काम हो

रहा है और अब वह टाइम आया है कि जब हमें आउट टर्न मिलने वाला है । डाक्टर साहब ने जो ३३५ करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही उसमें मैं नहीं जाना चाहता, इसमें दो ओपीनियन हो सकती हैं किन्तु यह बात सही है कि वह रुपया वेस्टेज में नहीं गया है, सात-आठ साल हमने एक चीज को स्टार्ट किया उस पर रुपया इंवेस्ट किया और वह चीजें अब करीब-करीब कम्पलीट होने को आयी हैं और उनमें हमें उम्मीद है कि हमारी कुछ न कुछ आमदनी होनी शुरु हो जायगी । यह मैंने डाक्टर साहब ने जो बातें कहीं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया । मैं उनसे बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि बहुत संजीदगी के साथ सोचने का वक्त है । आज उत्तर प्रदेश के भविष्य का सवाल हमारे आपके सामने है । केवल इतनी बात कह देने से कि सोशलिस्ट बजट नहीं है, उससे सोशलिज्म आने वाला नहीं है, मुझे बड़ी हैरानी होती है । सोशलिस्ट पार्टी नेता के सोशलिज्म की बात भी करते हैं और टैक्सेशन का विरोध भी करते हैं । धौंस देना तो उनकी आम आदत हो गयी है । ऐसा होगा तो यह हो जायगा, २ जून को जुलूस निकलेगा, यह होगा, वह होगा । धौंसों से किसी भी सरकार की नीतियां नहीं बदलती हैं, और न इस सरकार को बदलने वाली हैं । (व्यवधान) मैं अपने मित्र उग्रसेन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मामले में हमारी सहायता करें और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में सहयोग न दें जहां सरकार को विवश हो कर अपने कठोर कर्त्तव्य के पालनार्थ गोली चलानी पड़े ।

मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । दुबे जी ने और उग्रसेन जी ने भी यह फरमाया कि डिस्पैरिटीज बहुत हैं । खुशी की बात है ....

श्री उग्रसेन—हिन्दी में कहिए ।

श्री नवलकिशोर—विषमताएं, असमानताएं बहुत हैं । हिन्दी थोड़ी बहुत आती है । यह बात सही है और उसका कारण यह भी है कि पूंजीवाद की हम बात करते हैं, लेकिन पूंजीवाद कभी इस देश में रहा नहीं । हमने फ्युडल स्टेट से स्विच ओवर किया है सोशलिस्ट स्टेट पर । लेकिन जो समाजवाद और साम्यवाद के सबसे बड़े ठेकेदार हैं उन देशों में भी डिसपैरिटी १ और १० की नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा है । यह कहना कि हमारे देश में २००, ३०० गुना की डिस्पेरिटी है, यह बात गलत है, लेकिन डिस्पैरिटी है । बराबर मांग होती है कि कमसे कम १०० रुपये तनख्वाह हो और ज्यादा से ज्यादा १ हजार रुपये । सिद्धांततः मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो करीब साढ़े पांच सौ अफसर प्रदेश भर में ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाह १ हजार के ऊपर होगी । अगर उनकी तनख्वाह एक हजार रुपये कर दी जाय तो ५०, ५५ लाख की सेविंग होगी और अगर कम से कम तनख्वाह १०० रुपये कर दें तो १९ करोड़ से २१ करोड़ का खर्चा बढ़ जायगा । आर्थिक दृष्टि से सरकार इसको मानने में असमर्थ है ।

कांग्रेस पार्टी का यह निश्चित कहना है कि हम समाजवाद की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं और उसकी तरफ कदम हमने उठाये भी हैं । जमींदारियों का खत्म होना, फ्युडल स्टेट का खत्म करना, केपिटलिस्ट्स पर प्राग्रेसिव ग्रेडेशन आफ टैक्सेज का होना, इन कदमों द्वारा सरकार समाजवाद की तरफ चलना चाहती है ।

(लाल बत्ती होने पर) अभी तो मेरा टाइम बहुत बाकी है ।

श्री अधिष्ठाता—आप १४ मिनट बोल चुके हैं ।

श्री नवलकिशोर—आध घंटे का टाइम है । स्पीकर साहब ने कह दिया था ।

श्री अधिष्ठाता—सदन तय कर चुका है कि १५ मिनट का टाइम दिया जायगा ।

श्री नवल किशोर—जो गवर्नमेंट के मेम्बर्स हैं उनके लिय आध घंटे का टाइम है ।

श्री अधिष्ठाता—वह कैबिनट के सदस्यों के लिये है ।

श्री नवलकिशोर—आप इस समय चेयर पर बैठ हुये हैं, जो भी मानी लगावें पर स्पीकर महोदय न कहा था कि आपको आध घंटे का टाइम मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—आप दो चार मिनट और लेना चाहें तो ले लें । लेकिन आध घंटे का टाइम केवल कैबिनेट के सदस्यों के लिये है ।

श्री नवलकिशोर—जैसी आपकी आज्ञा हो ।

पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत-सी बातें कही गई । कुछ बातें तो उसमें ऐसी थीं जो कि आम तौर से कह दी जाती हैं । लेकिन कुछ बातें उसमें ऐसी भी कही गई जिनकी कि मैं चाहता हूं आपके द्वारा सफाई पेश कर दूं । पांडेय जी ने यह फरमाया था कि हमारा पुलिस का बजट हर साल बढ़ता चला जाता है और बड़ी शिकायत इस बात की हुई यद्यपि एक साहब ने यह भी कहा कि यह जो २४ घंटे की कांस्टेबिलों की ड्यूटी है वह ८ घंटे की कर दी जाय, यानी कांस्टेबिल्स की संख्या उनके हिसाब से तिगुनी कर दी जाय, तो संख्या तो तिगुनी कर दी जाय और बजट बढ़े नहीं । बहरहाल, जो आंकड़े मेरे पास है वह इस बात के सबूत हैं कि जो स्टेट का एक्सपेंडीचर है, उसमें पुलिस विभाग का परसेंटेज क्या है । सन् १९३७–३८ में जबकि खर्च बहुत कम था उस समय पुलिस विभाग के एक्सपेंडीचर का परसेंटेज बजट का १३.२ था और आज सन् १९६२–६३ में वह ६.१ परसेंट है । लिहाजा जो आपका यह खयाल है कि पुलिस विभाग के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, वह खर्चा ज्यादा नहीं है । पुलिस कमीशन भी बैठा था । उसकी कुछ सिफारिशें सरकार ने मानी हैं और उसमें भी करीब ९८ लाख के खर्चा बढ़ा है तथा कुछ और भी बढ़ेगा । और यदि हम उनकी सब बातों को मान लें तो ५ करोड़ के ऊपर खर्चा बढ़ेगा ।

तो जहां बहुत सी बातें पुलिस के बारे में कही जाती हैं, मैं दो शब्द उनके विषय में कह देना चाहता हूं । मैं इस बात का कोई दावा करने वाला नहीं हूं और न यह दावा है कि इस विभाग के अन्दर कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन यह जो एक पुरानी धारणा हमारी बन गई है, इसको भी हमको आज बदले हुए युग म बदलना पड़ेगा और केवल पुलिस को गालियां देने से या हर वक्त उसका कंडेमनेशन करने से हम पुलिस को सुधार नहीं सकते । आप उसका दूसरा पहलू भी देखिए । क्या यह सही नहीं है कि बीसियों गैंग्स, चाहे वह देवीसिंह का था, चाहे रूपा का था, चाहे लाखन का या मानसिंह का था, वह गैंग्स उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आज लिक्विडेट कर दिये हैं । क्या यह सही नहीं है कि हमारी पी० ए० सी० का सारे भारतवर्ष में एक यश है, उसकी एक प्रतिष्ठा है और उसकी हर जगह से मांग होती है ? हमारी पी० ए० सी० काश्मीर में जाती है, हमारी यू० पी० की पी० ए० सी० आसाम जाती है और आज आपकी खुद की सीमा के ऊपर भी हमारे सिपाही खड़े हुए हैं और वहां तामाम मुसीबतों और दिक्कतों को उठा रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि कहीं अगर कमियां हैं तो आपका भी और हमारे इधर बैठने वाले साथियों का भी यह फर्ज है कि वह उसे बतायें । मगर एक स्वीपिंग रिमार्क पास कर देना कि बड़ा भ्रष्टाचार है, या बड़ी गड़बड़ होती है, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है । कुछ भाइयों ने कह दिया कि कोई साहब जो खराब थे एस० एस० पी० बना दिये गये हैं, किसी ने कह दिया कि किसी नान आफिशल का इनाम किसी आफिसर को मिल गया । मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से कौन बदमाश था, कौन मारा गया, कब मारा गया, इन सब बातों की सूचना आप देंगे तो यह सरकार उसकी जांच करेगी । सरकार इस बात को कभी नहीं चाहती है, कभी इस बात को पसन्द नहीं करती है कि कोई बात दबाई जाय या किसी के साथ हकतलफी हो । जो बातें हैं वह अगर समय मिला तो मैं बाद में कहूंगा या अनुदान जिस समय पेश होगा पुलिस विभाग का उस समय उन बातों को पेश करूंगा ।

एक दो बातें और कहना चाहता हूं । एक बात यह कही गई कि जो बाढ़ है उसके लिये सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है और सरकार ने कुछ नहीं किया । (व्यवधान) आप बैठ जाइये । इस बजट के अन्दर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ५६ लाख एकड़ जमीन को

बचाने के लिये, ७ हजार गांवों को बचाने के लिये, ७ टाउन्स को बचाने के लिये सरकार की योजना बाढ़ संबंधी है जिसके ऊपर कि ५ करोड़ ७५ लाख रुपया खर्चा होगा और १५ करोड़ से ऊपर अब तक खर्च हो चुका है । माननीय सदस्य जो कई साल पुराने हैं वह इस बात को जानते हैं कि कितने गांव ऊंचे किये गये । (व्यवधान) आप जो चीजों को तोड़मरोड़कर रखने की कोशिश करते हैं, यह बात उचित नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि हजारों पियन्स निकाल दिये गए, यह गलत बात है । माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात के लिये कहा था कि जो हमारी इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसके अनुसार उनकी तादाद कुछ ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इस बात को तय किया कि किसी चपरासी को निकाला नहीं जायगा । जो और जगह निकलेंगी उन जगहों पर उनको रखा जायगा । इसलिये प्रचार की दृष्टि से इस प्रकार की बातें कह कर चीप पापुलेरिटी हासिल करने से, उनकी सहानुभूति हासिल करने से काम नहीं बनता है । यह प्रचार की बातें कहकर आप उन लोगों से अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार भी उन लोगों के साथ उतनी ही सहानुभूति रखती है जितनी कि कोई उस तरफ बैठने वाला रखता होगा ।

आज वस्तुस्थिति यह है कि जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि बजाय इसके कि जिम्मेदारी को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाय, मुनासिब यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सहयोग से प्रदेश के निर्माण की बात सोचें । जैसा जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि कोआर्डिनेशन की बात सोचें तो वह चीज तो होगी ही सरकारी स्तर पर लेकिन मेरा निवेदन यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब प्रदेश और देश के हित की बात सोचें तभी हम देश और प्रदेश का हित कर सकते हैं ।

(श्री बसन्तसिंह का नाम पुकारने पर)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस १५ मिनट के समय को १० मिनट का कर दिया जाय जिससे सबको बोलने का अवसर मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री खुशीराम---इसके पूर्व मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि १५ मिनट के समय जो १० मिनट का समय कर दिया जाय तो उसका क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता---अब तो मैं श्री बसन्तसिंह को बुला चुका हूं उसके बाद यदि कोई इस प्रकार का प्रस्ताव आयेगा तो मैं उसको सदन के समक्ष रख दूंगा ।

श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)---आपके पूर्व, स्पीकर महोदय ने यह कह दिया था कि जो उस समय वक्ता महोदय बोलने वाले थे उनके बोलने पर श्री खुशीराम जी के प्रस्ताव पर विचार होगा । इसलिये अब उस पर विचार हो जाना चाहिये । उसके बाद ही श्रीबसन्तसिंह जी के बोलने का प्रश्न उठता है ।

श्री अधिष्ठाता---एक भाषण समाप्त होने के बाद मैंने दूसरे वक्ता को भाषण देने के लिये बुलाया । तुरन्त ही यदि कोई प्रस्ताव आता तो मैं उस पर विचार करता, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया । अब दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिये बुला लिया और वह बोलने के लिये खड़े हैं । अब उनके बाद यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा तो मैं उसको सदन के विचारार्थ रख दूंगा ।

श्री देवदत्त---प्रस्ताव तो पहले से ही सदन के सामने मौजूद है । श्री खुशीराम जी ने प्रस्ताव किया था तो उस पर स्पीकर महोदय ने कहा कि वे वक्ता बोल चुकें तो उसके बाद वह प्रस्ताव लिया जायगा । इसलिये प्रस्ताव तो सदन के सामने मौजूद है ।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसके ऊपर अपनी व्यवस्था दे चुका हूं । अब श्री बसन्तसिंह जी के भाषण के बाद उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अब आप अपना निर्णय दे चुके हैं और आपको पूर्ण अधिकार है ।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—श्रीमान्, यह सही है कि किसी भी प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था के लिये ऋण उन प्रोजेक्ट के लिये लेने होते हैं जो लोन प्रोजेक्ट के मातहत होने चाहिये और जिनका लाभ लम्बे अरसे के बाद प्राप्त होता है, लेकिन साथ ही साथ यह जो लोन होते हैं यह डेवलपमेंट कार्यों के लिये कैपिटल ऐक्सपेंडीचर में खर्च होने चाहिये । बजट को देखने से यह पता चलता है कि जैसे-जैसे लोन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ता नहीं जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह लोन जो डेवलपमेंट कार्यों पर खर्च होना चाहिये, कैपिटल एक्सपेंडीचर के हेड में होना चाहिये, वह दूसरे कार्यों पर खर्च होते हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर से होने चाहिये थे । जिस गति से प्रतिवर्ष लोन बढ़ता जाता है उस गति से कैपिटल एक्सपेंडीचर नहीं बढ़ा है । १९५६-५७ में २१,११७ लाख लोन था वह १९५७-५८ में २३,८१२ लाख हुआ । १९५८-५९ में वह २८,३७० लाख हुआ और वह १९५९-६० में आकर ३२,७६८ लाख हो गया । यह बढ़ता ही गया । अब दूसरी तरफ आप कैपिटल एक्सपेंडीचर को देखें । कैपिटल एक्सपेंडिचर में १९५६-५७ में हुआ ३५३ लाख, १९५७-५८ में हुआ ३४९ लाख, १९५८-५९ में हुआ २८४ लाख और १९५९-६० में हुआ २८६ लाख । यानी इसमें कम होता चला गया है और लोन बढ़ता जा रहा है । यह सिद्ध करता है कि हम जो लोन लेते हैं वह अन्य विषयों पर खर्च हो जाता है और इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारे बजट में जो नान-प्लैन एक्टिविटीज हैं उन पर ज्यादा खर्च होता है । नान-प्लान एक्टिविटीज पर १९५७-५८ में ४५६ लाख १९५८-५९ में २७० लाख, १९५९-६० में १७० लाख और १९६०-६१ में १४७ लाख खर्च हुआ और इसके अलावा जो आर्डिनरी आइटम्स हैं उन पर १९५७-५८ में ५१६ लाख, १९५८-५९ में २४८ लाख, १९५९-६० में २९९ लाख और १९६०-६१ में ५६३ लाख खर्च हुआ । तो आर्डिनरी आइटम्स पर खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है ।

प्लान के बारे में बहुत चर्चा किया जाता है, लेकिन देखने से पता चलता है कि हमने पहले और दूसरे प्लान में अपने टार्गेट्स को कितना पूरा किया है । मैं आपको कुछ आंकड़े इस संबंध में दूं । आसाम ने पहले प्लान में अपने टार्गेट्स को ९४.३ परसेंट पूरा किया, बिहार ने ४१.१ परसेंट, बम्बई ने १०२.१ परसेंट, पंजाब ने ९० परसेंट और उत्तर प्रदेश ने २१.८ परसेंट पूरा किया है । दूसरे प्लान में आन्ध्र ने ७६.१ परसेंट, केरल ने ५४.६ परसेंट, मद्रास ने ६०.३ परसेंट, मैसूर ने ६८.४ परसेंट, उड़ीसा ने ५४.१ परसेंट, राजस्थान ने ५७.७ परसेंट, वेस्ट बंगाल ने ५९.५ परसेंट और उत्तर प्रदेश ने ३७.६ परसेंट पूरा किया है । इसके बाद भी योजना का बड़ा ढोल पीटा जाता है, लेकिन हम एचीव कुछ नहीं कर पाते ।

अगर वास्तव में देखा जाय तो इस्टीमेट्स और एक्चुअल्स में बहुत अंतर होता है और इससे सिद्ध होता है कि हमारा बर्जटिंग ठीक नहीं है । इससे तो अच्छा है कि हमारा बजट बनाया ही न जाय । बजट में डेफिसिट सरप्लस हो जाता है और इस तरह के बजट बनाने से कोई लाभ नहीं होता । यह ठीक है कि प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था में बजट फ्लेक्सिबिल होना चाहिये, लकिन जब वास्ट डिफरेंस होता है तो वह बजट नहीं होता । सरकारी कर्मचारी जैसा बना कर रख देते हैं मंत्री महोदय उसे वैसा ही पेश कर देते हैं और उन्हें खयाल भी नहीं रहता कि वह क्या चीज सदन में पेश कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि ऐसे बजट पर डिस्कशन बेकार ही होता है । इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी कहा गया कि टैक्स के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन हमें इकानामी की तरफ भी ध्यान करना चाहिये। आज एक ही रट है कि हमें विकास करना है इसलिये टैक्स लगना चाहिये, लेकिन यदि इसके साथ यह भी सोच लिया जाय कि जहां एक हजार रुपये में काम बन सकता है वहां १०,००० रुपया नहीं खर्च किया जायगा तो हमारा बड़ा लाभ हो सकता है। हमारे प्रोजेक्ट्स आज स्कैंडल के अलावा और कुछ नहीं हैं। रिहन्द का चार महीने तक चार्ज नहीं लिया गया और उसकी बिजली दूसरो को दी जा रही है। नैनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स को नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उसमें बहुत फिजूलखर्ची भी हो रही है। लाइन बिछाने के लिये तमाम रुपया इंवेस्ट किया गया, लेकिन वह बिजली दूसरों को बहुत सस्ती दरों पर दी जायगी। इसी तरह से माताटीला में हम पावर का इंतजाम आज तक नहीं कर सके। वहां नहरें नहीं बन सकतीं इसलिये कि वहां की जमीन पथरीली है। अब अगर शारदा प्रोजेक्ट को देखा जाय तो उसमें भी लाखों रुपये की फिजूल-खर्ची निकलेगी। उस प्रोजेक्ट में जो टरबाइन्स लगाये गये वे गलत थे। वाटर एनालीसेज ठीक नहीं की गयी थी। उस पर लाखों रुपया हमको लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो फिजूलखर्ची हुई उसको रोका जा सकता था।

मंत्रिमंडल के विस्तार के लिये एक ही बात कही जा रही है कि काम बढ़ रहा है। मैं पूछता हूं उनके पास कौन सा काम है। काम में अधिक तब समझता जब कि मैं यह देखता कि वे कहीं दावतों में नहीं जा रहे हैं। आज जहां कहीं भी किसी चीज का उद्घाटन होता है आप चले जाते हैं। जहां कहीं दावत में बुलाया जाता है, आप चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि ५ साल के अन्दर तो आपको अपने विभाग के बारे में भी पूर्ण जानकारी नहीं हो पायेगी। जितना प्रशासन पर रुपया आज व्यय हो रहा है क्या आप उसे कम नहीं कर सकते? आज डुप्लीकेशन भी तमाम हो रहा है और उसके कारण भी काफी खर्चा बढ़ा है। थोड़ी देर पहले एक बात मालूम हुई और वह यह कि ट्यूबवैल विभाग में उनके एसिस्टेंट इन्जीनियर सेक्शनल हेडक्वार्टर पर जाकर अपने सबार्डिनेट्स को वेतन बांटते थे और सुरक्षा के लिये उनके साथ ३ चपरासी लगाये जाते थे। अब व्यवस्था यह कर दी गयी है कि ३ चपरासी की जगह २ चपरासी कर दिये गये हैं, १ कम कर दिया गया है, और साथ ही पे बांटने की आज्ञा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही हो गयी है। तो उधर आपने एक चपरासी को कम करके ६० रुपये की कमी तो अवश्य की, मगर दूसरी ओर आप वहां के कर्मचारियों को टी० ए० आदि में ही ४–५ सौ रुपये देने लगे। तो इस व्यवस्था से क्या लाभ हुआ।

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत तेज बोल रहे हैं, अगर आप अपने भाषण की सही रिपोर्टिंग चाहते हैं तो कृपया आहिस्ता आहिस्ता बोलें ताकि रिपोर्टर लोग ठीक से लिख सकें।

श्री बसन्तसिंह—तो ६० रुपये की आपने बचत की और उधर ५०० का खर्च बढ़ा दिया।

माननीय नवलकिशोर जी कह रहे थे कि जेड० ए० अहमद साहब ने कोई सुझाव नहीं दिये। १५ मिनट में वे क्या सुझाव देते। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है। आप क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते। जब तक आप इकोनामी नहीं करेंगे आपकी योजना सफल नहीं होगी।

हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यह बात उन्होंने कही। वे अपने भाषण में यही बात कहते रहे। यह कहने से काम नहीं चलेगा। आपको उसको दूर करने के लिये कुछ करना होगा। पुलिस की बात जहां तक है, उसमें आज जो अत्याचार और अनाचार है उसको दूर करना पड़ेगा। हम उसी को दूर करने के लिये कहते हैं और आप समझते हैं कि हम विभाग को ही खत्म करने के लिये कह रहे हैं। हम विभाग को खत्म करने के लिये नहीं कहते, उसमें जो अनाचार और अत्याचार है उसको खत्म करने के लिये कहते हैं। हम तो सदैव प्रशासन में सुधार की बात कहते हैं।

[श्री बसन्तसिंह]

जमींदारी खत्म करने की बात कही जाती है। उसके नाम पर आप सोशलिस्टिक पैटर्न के आधार पर समाज के निर्माण की बात करते हैं। लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि बड़े बड़े परिवारों की आमदनी नहीं बढ़ी है? बिड़ला और टाटा की आमदनी नहीं बढ़ी है? मैं तो यह कहता हूं कि जो हालात आज हैं इन हालात में अगर आप जमींदारी विनाश बिल लाये होते तो कभी पास न होता। अगर ऐसी बात है तो आप मिल मालिकों की आमदनी कम करने के जरिये निकालें।

क्राइम संख्या जो बढ़ रही है अब मैं उसकी ओर आता हूं। सन् १९५६ में जो प्रासिक्यूटेड परसन्स की तादाद थी वह ३८,६९१ थी और वह सन् १९५८ में ४३,५६७ हो गयी। इसी तरह आर्डिनरी क्राइम्स की संख्या, जिन पर केस चलाये गये, सन् १९५६ में ३०,४४४ थी और वह १९५८ में ३६,२३९ हो गयी।

इसके अलावा जिन कामों पर अधिक व्यय होना चाहिये था वह नहीं हुआ। उस पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, हेल्थ पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। मेरे पास दूसरी स्टेट्स के आंकड़े हैं कि वे हेल्थ और एजूकेशन पर कितना खर्च कर रही हैं। एजूकेशन पर आंध्र १८.६ परसेन्ट (टोटल एक्सपेंडीचर का), बिहार १८.७ परसेन्ट, बाम्बे १७.७ परसेन्ट, केरल ३२.० परसेन्ट,मध्य प्रदेश २०.० परसेन्ट, मद्रास १९.८ परसेन्ट, पंजाब २०.८२ परसेन्ट, राजस्थान २१.७३ परसेन्ट और उत्तर प्रदेश १२.९६ परसेन्ट खर्च करता है।

इसी तरह से हेल्थ पर केरल ११.०० परसेन्ट, बिहार ९.६ परसेन्ट, आंध्र ८.८ परसेन्ट, मद्रास ८.४५ परसेन्ट, पंजाब ८.१२ परसेन्ट, राजस्थान ११.०१ परसेन्ट, वेस्ट बंगल ११.६१ परसेन्ट और उत्तर प्रदेश ५.११ परसेन्ट खर्च करता है। तो फिर जो मेन आइटम्स हैं पब्लिक इन्टेरेस्ट के, उन पर आप कम खर्च करते हैं, फिर रुपया कहां जा रहा है? प्रशासन पर जा रहा है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक एक ही नारा आपका रहेगा कि टैक्स बढ़ाओ, गरीब जनता पर डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट तरीके से और उसको वसूल करो। आप कोई डेफिनिट जवाब नहीं देंगे, कभी कुछ कहेंगे और कभी कुछ कहेंगे। आपने बड़े पूंजीपतियों की आमदनी कितनी कम की और गरीब की कितनी बढ़ाई? आज भी गांव का चौकीदार पांच रुपये में दिन रात काम करता है, यह बड़े शर्म की बात है.....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

अब मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि माननीय सदस्यों के बोलने का समय अब तक जो १५ मिनट था उसे घटाकर १० मिनट कर दिया जाय चूंकि बहुत से लोग अभी बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का प्रस्ताव भी किया है। अगर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति न हो तो इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री गंगाप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर जितने और स्टेट मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको १५ मिनट जरूर दिये जायं, आधा घंटा न दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—सदन में पहले यह प्रस्ताव रखा गया था और पास हुआ था कि नेता विरोधी दल के लिये समय की सीमा नहीं होगी और दूसरे विरोधी दलों के नेता या मंत्री के लिये आध घंटे का समय निर्धारित हुआ था और शेष सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय था जिसमें उप-मंत्री और सभा सचिव भी आते हैं। अब प्रस्ताव यह है कि बजाय १५ मिनट के १० मिनट कर दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—१५ मिनट ही रहें तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता––कुमारी श्रद्धा देवी ने विरोध किया, वह कहती हैं कि १५ मिनट ही रहे ।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मेरी समझ से १० मिनट का प्रस्ताव अच्छा है ।

कुमारी श्रद्धादेवी––मैं अपना विरोध वापस लेती हूं ।

श्री अधिष्ठाता––तो अब यह निश्चय हुआ कि १५ मिनट के बजाय १० मिनट का समय रहेगा ।

श्रम उप मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)––रूल्स आफ प्रोसीजर में जो मिनिस्टर की परिभाषा लिखी हुई है उसमें यह है "मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर ।" तो यदि यह तय हुआ है तो फिर जो समय मिनिस्टर्स के लिये हाउस ने स्वीकार कर लिया है, वह इस परिभाषा के रहते डिप्टी मिनिस्टर्स पर भी लागू हो जाता है, अन्यथा आप उसमें यह संशोधन कर दें कि यह उप मंत्रियों पर लागू नहीं होगा । मैं समझता हूं कि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे ।

श्री अधिष्ठाता––उप-मंत्री और सभा सचिव काउंसिल आफ मिनिस्टर्स में आते हैं, लेकिन सदन का समय निर्धारित करने के लिये इस नियम में कोई व्यवस्था नहीं है। अब तक परम्परा यह रही है कि माननीय नेता विरोधी दल, शासक पार्टी के व्हिप और दूसरे बैठ कर यह निश्चय करते हैं । यह हमारे सदन की एक परम्परा बन गई है जिसका निर्वाह इस साल भी किया गया है । जहां तक उप मंत्रियों और सभा सचिवों के बोलने का सवाल है उस व्यवस्था और नियम के अनुकूल आप समय नहीं ले सकते । मैं आपके लिये ५ मिनट तो बढ़ा ही सकता हूं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)––श्रीमन्, नियमानुसार आपको पूरा अधिकार है कि आप जिसको चाहें जितना समय निर्धारित करें । इसके बारे में सदन में प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है । आप स्वयं ही समय निर्धारित कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता––सदन किसी भी नियम को परिवर्तित कर सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, न कोई नियमों के प्रतिकूल ही बात है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––अधिष्ठाता जी, आज सदन के सामने माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद ने बजट के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण उपस्थित किया, बुनियादी तौर पर उससे प्रतिपादित सिद्धान्तों को अस्वीकार करते हुए भी, मैं उनको इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहस के लेवेल को ऊंचा कर दिया । इसके पहले सदन के सामने यह सवाल इस शक्ल में पेश किया गया था जिस शक्ल में बजट की आम बहस नहीं होनी चाहिये । यद्यपि पहले वक्ताओं ने बजट सम्बन्धी बहस में चुनाव से लेकर आज तक और पुराने बजटों के सम्बन्ध में तमाम किस्म की कथाओं और दन्त कथाओं को सदन के सामने उपस्थित किया इसलिये भी मैं डाक्टर साहब को मुबारकबाद दिये बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले को छोड़कर बहस के लेवेल को मुनासिब ढांचे में ढाल दिया ।

मान्यवर, डाक्टर अहमद साहब ने क्या कहा ? उन्होंने अपने बहस के द्वारा कुछ तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे फाइनेंसेज की जो सही शकल है, जो उसकी प्रगति है, जो करों के अतिरिक्त हमारी आमदनी की शक्लें हैं, जो हमारी पूंजी है, उसका सही विश्लेषण अपनी चर्चा में उन्होंने नहीं किया । उत्तर प्रदेश में पिछले १५ सालों में राजकीय पूंजी का किस प्रकार विकास हुआ, राजकीय पूंजी का क्या स्वरूप बना, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया । हो सकता है कि ऐसा करना उन्होंने इसलिये उचित नहीं समझा क्योंकि जो दृष्टिकोण वे उपस्थित करना चाहते थे उसके साथ ऐसी चर्चा फिट इन नहीं करती थी ।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मान्यवर, ग्रोइंग एकोनामी का एक लेटेस्ट कान्सेप्ट यह है और यह कान्सेप्ट, जिन देशों में एकतंत्रवाद नहीं है, वहां पूर्णतया स्वीकृत हो चुका है, वह यह है कि राज्य सरकारें कर्जा लेती है और उस कर्ज का आधार होता है देश का निर्माण करने की नीयत और उसे लौटाने के लिये "लोन टु पे बैक लोन" के उसूल का सहारा लिया जाता है। अर्थ शास्त्री ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि कर्जा लिया जाय और फिर सरकार उसे उस कर्ज से पैदा होने वाले पूंजी आमद से वापस करें। जो भी हो, कर्जा लेना किसी भी राज्य के लिये निन्दा की बात हो ही नहीं सकती, जब तक ऐसा कर्जा उत्पादनहीन, अर्थहीन और देश के हित के विरुद्ध न हो। अमेरिका को ही लीजिये, आज अमेरिका की सरकार से ज्यादा कर्जदार सरकार किसी भी देश की नहीं है और फिर भी रूस और चीन को छोड़कर दुनियां के शेष देशों में यह सभी मानते हैं कि अमेरिका की वर्तमान अर्थ-अयवस्था "प्लेन्टी" की अर्थ व्यवस्था है और कन्ज्यूमर गुड्स का एक आधार "स्टैन्डर्ड आफ लिविंग" के तराजू में इसे तौलकर देखा जाय तो आज अमेरिका रूस से कहीं ज्यादा प्रास्परस है। डाक्टर साहब ने बताया कि अमेरिका की हालत तक पहुंचने में हमें बहुत वर्ष लगेंगे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कर्जा लेना खतरे की बात है। प्रौस्पैरिटी बातों से नहीं आयेगी और उसके लिये इनवेस्टमेंट करना बुनियादी आवश्यकता है, यह तो डाक्टर साहब मानते ही हैं। वे समुद्र की गहराई से मोती निकलवाना चाहते हैं, लेकिन सर के ऊपर ही एक तह पानी की आ जाय तो उससे भड़कते भी हैं। दोनों बातों में विचार भेद और अनावश्यक भय स्पष्ट है। गोताखोर समुद्र में गोता लगाते है, लाखों मन पानी उनके सर के ऊपर होता है। अब ऐसा गोता खानेवालों को कहा जाय कि कितना खतरनाक गोता वे ले रहे हैं, वह एक अजीब बात होगी। ऐसे गोताखोरों की सभी प्रशंसा करते है क्योंकि यह सर्वमान्य सत्य है कि ऐसे ही गोताखोर समुद्र के भीतर से मोती निकालकर बाहर लाते हैं।

डाक्टर अहमद ने एक बात सही कह ही डाली। उसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि १० साल पहले सरकार का कुल बजट आमदनी में से ७० फीसदी आमदनी लैन्डरेवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी वगैरह से होती थी और अब उस मद की आमदनी ५०–५५ प्रतिशत रह गई है। अब उनके इस बयान के आधार पर हजूरेवाला, मैं पूछना चाहता हूं कि ये २५ प्रतिशत की कमी जो आमदनी में हुई उसे कौन मद पूरा करती है। उन्होंने इस बात को नजरंदाज कर दिया। मैं आपके द्वारा, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कमी उन साधनों से पूरी की गयी है जिन्हें पिछले १५ सालों में हमने पूंजी व्यय से पैदा किया है। डाक्टर साहब की सारी की सारी थीसिस यह थी कि हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं तो केवल कर और कर्ज के आधार पर हम उन तत्वों का निर्माण नहीं कर सकते जिनसे ऐसा समाज बन सकता है। उनका सुझाव था कि सरकार को प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नये साधन ढूंढने पड़ेंगे। उनसे समाज से ये नये साधन उत्पादन के सारे के सारे साधनों का समाजीकरण करने से ही व्यवस्था के अनुरूप ठीक-ठीक काम हो सकता है। मुझे उनकी इस बात को मानने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं रखना चाहती और इसीलिये जब हमने नई दुनियां की ओर पैर रखा तो प्रदेश के अन्दर उत्पादन के साधनों का समाजीकरण करने के लिये हम निरन्तर सचेष्ट रहे हैं ताकि इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत हो। कानपुर की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के समाजीकरण, सरकारी क्षेत्र में लगने वाले उद्योग जैसे प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, चुर्क सीमेंट फैक्टरी आदि हमारे इस निश्चय के परिणामस्वरूप आज काम कर रहे हैं और प्रदेशीय सरकार की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख अंग बने हुए हैं। यह आवश्यक है कि ये सब काम धीरे-धीरे और कदम ब कदम हों। प्रजातंत्र की व्यवस्था में राज आज्ञाओं के द्वारा सारे काम हो नहीं सकते। जनमत को उसके लिये पैदा करना पड़ता है और कभी-कभी जनमत खतरनाक रास्ते से भी गुजरता है। मैं आपके द्वारा, इस सदन का ध्यान प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी की प्रमुख ३–४ सालों की ओर ले जाना चाहता हूं। क्या यह सही नहीं है कि इस सदन के तत्कालीन तथाकथित

प्रगतिवादी दल के सदस्य कहलाने वाले कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में और इस सदन की कमेटियों के जरिये ये मांग नहीं की कि प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी को बन्द कर दिया जाय ? हमने विरोध सुना, बुराई बरदाश्त की और अब वही प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी सारे देश की नजर में इसलिये चढ़ी हुई है कि अब वह देश भर में सब से अधिक सस्ते वाटर मीटर बनाकर बेचने की क्षमता रखती है । अवश्य ही इस फैक्टरी का मुनाफा दूसरी फैक्टरियों से अधिक हो रहा है । ज्यादा मुनाफा, सस्ता सामान समाजीकरण के इस बुनियादी लक्ष्य के मूलभूत सिद्धान्त हैं । अब अगर हमारी नजर उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिये नये साधनों को ढूंढने की ओर नहीं होती तो फिर इस तरह के काम हम क्यों सोचते ?

दूसरी ओर चुर्क सीमेंट फैक्टरी को ही ले लीजिये । हम उसका फैलाव करने जा रहे हैं । उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन की ओर नजर डालिये । आज उत्तर प्रदेश की कुल पैदा की जाने वाली बिजली की ९० फीसदी पब्लिक सेक्टर पैदा करती है और १० फीसदी में प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है । यह भी जो शेष लोग हैं, कुछ लूले लंगड़ों की तरह वक्त काट रहे हैं और शायद इन्तजार में हैं कि वह दिन दूर नहीं जब उसका भी पूरा समाजीकरण हो जायेगा । मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं और इस प्रश्न पर बहुत अधिक सफाई के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के उद्योगपति बुनियादी उद्योगों के पब्लिक सेक्टर से चलाने की व्यवस्था को न केवल जानते हैं पर एक तरफ उसे वह केवल एक नार्मल प्रपोजीशन की शक्ल में मानने लगे हैं । अब इस तरह के अनेक उद्योगों की ओर हम नजर डालें तो क्या सरकारी क्षेत्र में या सहकारी क्षेत्र में आज उद्योगों के फैलाव की चर्चा काफी दृढ़ता के साथ नहीं बढ़ रही है ? इसके बाद भी डाक्टर साहब का यह कहना कि हम पैसा वसूली के लिये किसानों को ही ढूंढ़ते हैं और गरीबों पर ही टैक्स का बोझ डालकर हम प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को चूर-चूर कर रहे हैं, कहां तक उचित है, वे स्वयं समझने की चेष्टा करें ?

डाक्टर साहब ने पार्लियामेंट के अन्दर होने वाली बहसों के सिलसिले में प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी प्रदेशों से हर तरह पिछड़ा हुआ है। मुझे भी आज से १८–२० महीने के पहिले हिन्दोस्तान की कई उद्योग श्रम संबंधी कमेटियों में जाने का मौका मिला और भारत में घूमने का भी मौका मिला । देश के सभी पूंजीपति हर कमेटी में यह शिकायत अवश्य करते थे कि उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों पर टैक्स ज्यादा और श्रम कानून की सख्ती, दो ऐसी बातें हैं जो उद्योगों पर सख्त बोझ डालती हैं । उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी नीति अवश्य है जिसके कारण निजी क्षेत्र को काम करने में उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई हो । हमारी तरफ से साफ यह कह दिया गया कि हम श्रम कानूनों को और कार्य के बोझों को ऐसा नहीं रख सकते कि वे हमारी बुनियादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति के प्रतिकूल पड़ती हो । डाक्टर साहब अगर इन बुनियादी बातों को नजरन्दाज कर उद्योग का फैलाव इस प्रदेश में चाहते हों तो मुझे ऐसा फैलाव तनिक भी स्वीकार नहीं है ।

डाक्टर साहब ने यह भी कहा कि यहां की सरकार जनता के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स का बोझ डालती जा रही है और साथ ही उन्होंने थर्ड फाइनेन्स कमीशन के निश्चयों की ताईद कर दी है । उत्तर प्रदेश के रहनेवालों के सिलसिले में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ । मैं डाक्टर साहब का बड़ा आदर करता हूं, क्योंकि वह एक जमाने में जब मैं विद्यार्थी था, वे विद्यार्थी आंदोलन के नेता होने के नाते सीधे-सीधे अगुवा रहे हैं । लेकिन आज उनकी स्पीच सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं यह स्पीच डाक्टर साहब की है या कोई बदला हुआ इन्सान बोल रहा है । उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश भिखमंगा है, वह भीख मांगता है । मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि पावर्टी, गरीबी और बीमारी अभिभाज्य है । मैं सभी को याद दिलाऊं कि यह कथन दुनिया के एक बड़े साम्यवाद विचारक का कथन है । इस कथन को ध्यान में रखते हुए क्या डाक्टर साहब यह चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश कमजोर हो जाय और केरल और मैसूर मजबूत हो जायें ? हम तो सारे देश को दृष्टि से हर प्रश्न को सोचते हैं, यह हमारी बदकिस्मती है कि पिछले १५ सालों में जब कभी हमने पब्लिक

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

सेक्टर में किसी फैक्टरी आदि की बात केन्द्रीय सरकार के सामने रखी तो वह अवसर हमें न देकर केरल, मद्रास, पंजाब आदि को दे दी गई और हम भारी उद्योग के क्षेत्र में जैसा करना चाहते थे उतना नहीं कर पाये। लेकिन जहां तक छोटे उद्योग-धन्धों का प्रश्न है अगर उत्तर प्रदेश के रिकार्ड पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि पूर्व से पश्चिम, गाजियाबाद से बलिया तक, उत्तर प्रदेश में बहुत से छोटे-छोटे कल-कारखानें कायम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर जो कमियां नजर आयेंगी उन कमियों का मुख्य कारण यह है कि हमारे सूबे के लोग अधिकतर खेतिहर हैं इसलिये वे उतने एडवेन्चरिस्ट नहीं हैं जितने उन सूबों के लोग हैं जहां खेती और पैदावार दोआब की तरह आसान और लाभदायक है। फिर भी जहां कहीं हम उसे कर पाये हैं वह देखते बनता है। हमारे मित्र मान्यवर, ऊदल जी को तो इस नजारे को देखने के लिये दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। वाराणसी में मकान के जिन हिस्सों में पहले गाय बांधी जाती थीं वहां प्रेसीजन इंस्ट्रूमेन्ट्स, साइन्टिफिक स्केल्स आदि बन रहे हैं। वाराणसी के तंग गलियों और मोहल्लों में खाना पकाने की जगहों में छोटे-छोटे कारोबार, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, रेडियो के पार्ट्स बन रहे हैं और नाना प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग चल रहे हैं।

अब बड़े उद्योगों को ही लीजिये। कठिनाइयों के बावजूद इस क्षेत्र में जो हमने किया है, ऐसा लगता है कि डाक्टर साहब को उसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि शक्कर के व्यवसाय के साथ जो सब्सीडियरी इंडस्ट्रीज चला सकते हैं उन पर विचार करना चाहिये। मुझे लगता है कि माननीय डाक्टर साहब ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण के संबंध में जो हमने एक हैवी इन्डस्ट्रीज कमेटी बनाई थी और उसने आने वाले १५ सालों के लिये जो रूप रेखा तैयार की है, वह उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। मैं आपके द्वारा, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही हमने इस ओर कदम बढ़ा लिया था और जो प्लान आने वाले १५ सालों में इस संबंध में हमारे हैं उसे कृपा कर डाक्टर साहब हैवी इन्डस्ट्रीज कमेटी की सिफारिशों वाली पुस्तिका में विभाग से लेकर पढ़ने का कष्ट करें। मैं तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उसकी एक कापी डाक्टर साहब की सेवा में भेज दें ताकि उनका दिमाग इस विषय में साफ हो जाय।

शक्कर उद्योग के संबंध में, उसके बाई प्रोडक्ट के संबंध में भी डाक्टर साहब की जानकारी बड़ी सीमित मालूम होती है। शीरे और पावर अल्कोहल को उससे पैदा होने वाले रबर और रबर पर आधारित सैकड़ों उद्योगों की बात जाने दीजिये जो हम कर चुके। साथ ही हमने खोइया यानी बगास का भी उपयोग किया है और उस पर आधारित कागज बनने का कारखाना मेरठ में तो खड़ा हो रहा है, बरेली आदि स्थानों में भी शायद लगने वाला है। इस तरह सारे उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण के प्रगति के संबंध में उस समय से एक हलचल सी पैदा हो गई। जब डाक्टर संपूर्णानन्द जी ने इसी सदन में यह एलान किया था कि औद्योगीकरण इस प्रदेश के जीवन और मरण का प्रश्न है। इसके बाद से इसमें सन्देह नहीं कि प्रदेश के औद्योगीकरण के कार्यक्रम में नई जान आई और औद्योगीकरण की नीति, हमारे सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक विचारों की बुनियाद पर एक ऐसे रूप में चलाई जा रही है जो प्रदेश के लिये हितकारी है। साथ ही हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने जब वह संपूर्णानन्द मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण के संबंध में एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसे बिड़ला कमेटी के नाम से पुकारा जाता है। जब वह कमेटी बनी तो कहा गया कि यह तो पूंजीपतियों की कमेटी है, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कम से कम डाक्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर के एक्जीसटेन्स को स्वीकार किया और साथ ही बड़ी सफाई से उन्होंने यह बात रखी कि निजी क्षेत्र में उद्योगों के फैलाव की ओर भी हमें बड़ी दिलचस्पी लेनी है। इस सफाई की बात के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन हालत तो यह है कि उद्योग का नाम लेने से ही लोग पूंजीवाद और पूंजीपति के नाम से सदन को विचलित करने की चेष्टा करते हैं। पूंजीपतियों से हमारी दोस्ती है, यह कहा जाता है। उनसे कोई न कोई रिश्ता हमारा जोड़ दिया जाता है। खैर, डाक्टर साहब की उस मान्यता का जिसे आज

उन्होंने निजी क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादन किया उसकी सहायता से निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर दोनों का एक्सपेन्शन होगा और उसे करने में उनका सहयोग हमें मिलेगा ऐसा मेरा भरोसा है । जब तक हम अर्ध विकसित अर्थ व्यवस्था में प्रवेश करने के लिये योग्य नहीं हो जाते, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर से हम तब तक छुटकारा नहीं पा सकते है । इस बात को डाक्टर साहब ने भी स्वीकार किया, अच्छा ही हुआ ।

बारोइंग की बात कही गई । कहा गया कि सिर से पानी गुजर रहा है। प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था दिवालिया होने की तरफ जा रही है । मुझे यही कहना है कि ये चर्चा कमजोर बनाने की चर्चा है । हम कर्जा लेते हैं इनवेस्टमेंट करने के लिये । इनवेस्टमेंट हमें रिटर्न देता है । पूंजी हमारी वापस होती है और हमारे हर कर्जे का "सिंकिंग फंड" उस कर्जे की वापसी के चिह्न हैं । यदि हमने ऐसा न भी किया होता और "लोन टु पे बैंक लोन" के आधार पर भी कर्जा वापस करते चले जाने की बात सोची होती तो कोई घबराहट की बात न थी । हमारा यह कर्जा कौंसिल हाउस की इमारत के भरोसे पर नहीं लिया गया है । वे अर्थ-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिये नहीं, इन कल-कारखानों को चलाने के लिये, लिये गये हैं । हमने जो पूंजी का विकास किया है और जो कर्जे लिये हैं उनकी सूची मिला कर देख लिया जाय तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को खतरा हो ही नहीं सकता ।

टैक्सेज के बारे में कहा गया कि इस तरह से टैक्सेज लगाये जाते हैं कि उनका बोझ उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो गरीब हैं, बेकार हैं, कमजोर हैं । पता नहीं ये किसकी बात कहते हैं, वे किस टैक्स की बात कहते हैं ? कौन गरीब है और कौन गरीब टैक्स देता है ? वे स्वयं मानते है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स देने वालों की तादाद केवल १० हजार है । बाकी लोगों को डाक्टर साहब, मुबारिक हो उनको इस तरह का ख्याल, "भुखमरी या बेकारी के शिकार कहलाते हैं ।" यदि प्रदेश के ६ करोड़ से ऊपर लोग भिखमंगे और बेकार हैं तो फिर प्रदेश के उत्थान का बोझ किस प्रकार डाला जाय । इन १० हजार आदमियों की सारी आमदनी को लेने पर भी पूरा पड़ने वाला नहीं है । इसलिये उनकी बहस खुद पामाल हो जाती है । मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के निर्माण का वजन वही उठायेंगे, खुशी से उठायेंगे जो आज के समाज को बदलना चाहते हैं, जिनके हृदय में भावी सन्तानों को स्वस्थ और खुशहाल देखने की इच्छा है । जिनका पेट भरा है वह समाज नहीं बदलना चाहते । वही गरीब किसान मजदूर जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जानें दे दीं वे आज भी अपने मामूली साधनों के रहते हुए भी देश की प्रगति के लिये "बूंद बूंद से घट भरे" वाली कहावत को चरितार्थ कर प्रदेश की तरक्की के लिये सारे कष्टों को उठाने का निश्चय करेंगे इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है ।

श्रम विभाग के सम्बन्ध में भी २–३ बातें कही गयीं । माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की बात कही । इस बात का जनसंघ के नेता से क्या सम्बन्ध है, मैं समझ नहीं पाया । उन्हें मैं क्या बताऊं, अपनी नीति को अपने नजर से ओझल कर वे चूहे को सांप के मुंह में रखने की बात कर सकते हैं पर उन्हें अपनी बुनियादी नीति के विरुद्ध समाज के नये निर्माण में जो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन का स्थान है उसको बिना अपने विश्वास का आधार बना उन्होंने उसका उल्लेख किया है, उसकी बात करना एक फर्ज अदायगी ही माननी चाहिये । मैं उनसे आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी हमने कुछ कदमों की शुरूआत की है । हर काम में समय लगता है । पैदा होते ही बच्चे को पुलाव नहीं खिलाया जा सकता है चाहे पुलाव कितना ही अच्छा क्यों न बना हो । पहले तो उसको दूध पर ही आधारित रखा जाता है । इसी प्रकार मजदूरों की जमातों को, जो जिम्मेदारी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन के सिलसिले में लेनी है उस शक्ति को देती है और जैसी उनकी स्थिति है उसमें प्रदेश की सरकार ने यह सोचा कि पहले इन कारखानों में जो सरकार के हैं वर्क्स कौंसिल से शुरूआत की जाय । हम उसकी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं । केन्द्रीय सरकार भी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन की बात, जैसे वह चली हो, तरह तरह के एक्सपेरीमेंट की शक्ल पर देख रही है । दुनियां में मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

के सम्बन्ध में कई राये हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सम्भव नहीं है और कुछ समझते हैं कि इसे अवश्य होना चाहिये। यूगोस्लाविया को छोड़कर किसी दूसरे देश ने इसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया है। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में एक टीम विदेश भेजी थी। फ्रांस के मजदूर आन्दोलन चलाने वाले लोगों से जब उनका परामर्श हुआ तो मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन को श्रमिकों के लिये अहितकारी बताया। फिर भी हम नीति को कार्यान्वित करने में अपने ढंग से लगे हैं और हमारा भरोसा है कि हम इस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे।

जनसंघ ने भी शायद ट्रेड यूनियन के आन्दोलन में अपना संगठन बनाने की बात सोची है। अब मैं जनसंघ का ध्यान ट्रेड यूनियन ऐक्ट के उन परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके मुताबिक धर्म और जाति की बुनियाद पर यूनियनें रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकतीं। अब ये इस तरह के संघ बन गये हैं जिसमें जनसंघ दल है अथवा हमें पता लगाना पड़ेगा कि संगठनों के रजिस्ट्रेशन और आधार क्या है। एक मित्र ने कहा कि हमारी रेफरेन्सेज की नीति भी डिफेक्टिव है। उनका कहना था कि हम आई० एन० टी० यू० सी० के सारे केस रेफर कर देते हैं लेकिन एच० एम० एस०, ए० आई० टी० यू० सी० आदि से सम्बन्धित यूनियनों के उठाये गये मुकदमों को हम रेफर नहीं करते। माननीय नेता विरोधी दल या कोई भी विरोधी दल के माननीय सदस्य मुझे यह बताने की कृपा करें और किस किस प्रकार के किन-किन के मुकदमे उनके द्वारा १०० मुकदमें प्रतिपादित किये गये थे जो हमने रेफर नहीं किये और उसी प्रकार के कौन दूसरे १०० मुकदमे हमने आई० एन० टी० यू० सी० के कहने से रेफर किये हैं। आंकड़ों में जाने से पता चलेगा कि हमारी नीति में इस तरह का भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। मान्यवर, विरोधी दल के माननीय सदस्य बतावें कि कौन केसेज वे हैं या उनसे सम्बन्धित यूनियनें कब कब श्रम विभाग के सामने लायीं और यदि वे मुझे उन मामलों की वास्तविकता और सत्यता के सम्बन्ध में प्राइमा फेसी सन्तोष दे देंगे तो मैं उनकी बात स्वीकार कर लूंगा अन्यथा उन्हें समझा दूंगा।

यह भी कहा गया कि मजदूरों के मामलों के फैसले में बड़ा समय लगता है। मेरा यह कहना नहीं है कि हमने कोई ऐसी मशीनरी बना दी है कि आज मामले पेश हुए कल फैसला हो गया। इस कार्यक्रम में हमारे पिछले वर्ष का एवरेज करीब-करीब ९८ दिन का गया है। आप इससे अच्छा रिकार्ड किसी दूसरे स्टेट के माननीय सदस्य बता दें तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि हमारी मशीनरी में श्रमिकों को अधिक समय निर्णय लेने में लगता है। फिर भी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है कि श्रमिकों की भलाई के सम्बन्ध में जो कुछ कर सकें उनके संगठनों को मजबत करने के लिये जो कुछ कर सकें, शीघ्रता से करें।

कानपुर के कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित आर्बीट्रेटर के फैसले में देर लगने की चर्चा की गई। मेरा निवेदन है कि यह चर्चा अनुचित है। क्योंकि हम आर्बीट्रेटर के सम्बन्ध में यहां कुछ ऐसी शिकायत करें जिससे उभय पक्ष को कोई शिकायत नहीं है तो यह उचित नहीं है। जो लोग सम्बन्धित हैं उनको आर्बीट्रेटर द्वारा अपनाए तरीके पर सन्तोष हो और हाउस में हम देर करने का लांछन लगायें, यह अनुचित सिलसिला है। मुझे इस सम्बन्ध में भी आशा है कि शीघ्र ही आर्बीट्रेटर अपना निर्णय दे देंगे। मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाने में सभी दलों के व्यक्तियों का सहयोग प्रदेश सरकार को मिलता रहेगा ताकि हम इस प्रदेश से गरीबी, बेकारी, भुखमरी को उलटकर एक नये समाज की कल्पना को साकार कर सकें जिस समाज को बनाने के लिये आज यह सरकार सचेष्ट है और जनता द्वारा निर्दिष्ट है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है उसकी इस किताब को पढ़ कर कुछ ऐसा मालूम हुआ कि जैसे यह एक डाकूमेंट है जिससे वह तस्लीम करते हैं कि कैपिटेलिस्ट और इंडस्ट्रिय-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिस्ट से वह माल खाये हुए हैं। सफा ५ पर जहां उन्होंने कहा है कि हाइयेस्ट प्रायरिटी वह एग्रिकल्चरल प्रोग्राम को देना चाहते हैं और इस बात को वह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में भी कह चुके हैं कि हम एग्रिकल्चरल प्रोग्राम को हाइयेस्ट प्रायरिटी देना चाहते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद ही यह भी कह देते हैं कि हमने यह कोशिश की है इंडस्ट्रियल के बराबर एग्रिकल्चरल प्रोग्राम को लाने की। शायद वह अपने को मजबूर पाते हैं उत्तर प्रदेश मिल मालिकों की वजह से और इसलिये वह एग्रिकल्चर को बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जब उत्तर प्रदेश की आबादी १३ आने के करीब देहात में रहती है, जो एग्रिकल्चर करती है---चाहे वह मजदूर हो या खेत जोत कर गुजारा करता हो---केवल यह गाना गाना कि हम हाइयेस्ट प्रायरिटी एग्रिकल्चर को दे रहे हैं और प्रैक्टिकल तरीके से यह चीज हो नहीं पा रही है तो यह बजट किसी भी सूरत से जराअती बजट नहीं कहा जा सकता और न इससे एग्रिकल्चरल प्रोग्राम के बढ़ने की बात मेरी समझ में आती है।

इसमें आगे यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जापानी मेथड से पैदावार बढ़ गयी, गेहूं की पैदावार बढ़ गयी और चबकबंदी के उसूलों पर भी उत्तर प्रदेश की पैदावार बढ़ गयी, लेकिन बजट को देखने से यह नहीं मालूम हो सका कि इन तीनों चीजों को शामिल करने से जो पैदावार बढ़ी उस पैदावार के बढ़ने से उत्तर प्रदेश किस हद तक सेल्फ सफिशेंट खाने के मामले में हो सका है और अगर नहीं हो पाये हैं तो कितनी कमी रह गयी है जो सेंटर से लेनी पड़ेगी या बाहर से लेनी पड़ेगी। यह चीज इससे पता नहीं चलती।

जहां तक बिजली का सवाल है, कहा गया है कि तीन, चार बड़ी-बड़ी हमने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जो दस साल में पूरी हो चुकी हैं या कुछ अगले ५ साल में पूरी हो जायंगी, लेकिन उनमें देहात को क्या मिला? मैं देखता हूं कि देहात को खम्भे देखने को मिले जो खेतों से होकर जाते हैं और जिनमें बहुत जमीन लगती है, लेकिन उनमें से बिजली देहात वालों को इस्तेमाल करने को नहीं मिल रही है, न आबपाशी के लिये और न ही किसी दूसरे उद्योग धन्धे के लिये। अगर यह कहा गया होता कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उसमें से इतनी बिजली देहात के इस्तेमाल करने के लिये दी गयी---इतनी आबपाशी के लिये और इतनी दूसरे उद्योग धन्धों के लिये तो मैं समझ पाता कि देहात की तरक्की के लिये इस बजट में कुछ किया गया है।

तालीम के सम्बन्ध में स्कूलों की तादाद के बारे में कहा गया है। शायद स्कूलों की तादाद से उन्हें इस बात से तसल्ली है कि शिक्षा की उचित व्यवस्था हो गयी है चाहे उन स्कूलों में मास्टर न हों, इमारतें उनके लिये न हों, चाहे उनमें लड़के पढ़ने न जाते हों। मेरे खयाल से फी स्कूल में दो मास्टर और मास्टर के हिसाब से फी स्कूल में ८० लड़कों का एवरेज ले लिया होगा और खुद हिसाब लगा लिया होगा कि इतने स्कूल खोले गये हैं तो इतने लड़के, लड़कियां तालीम पा रही होंगी। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे स्कूल जरूर खुले हैं। लेकिन वे कागज पर ही खुले हैं। अंतरिम जिला परिषद् की रिपोर्ट यहां आ गयी कि इतने स्कूल खोल दिये गये, इतने मास्टर रख दिये गये लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाय कि कितने स्कूलों में मास्टर मौजूद हैं, कितने स्कूलों की इमारतें मौजूद हैं, कितने स्कूल टूटे-फूटे दूसरों के चौपालों में चल रहे हैं और उनमें कितने परसेंट लड़के व लड़कियां शिक्षा पा रहे हैं तो बात साफ हो जाती। केवल स्कूलों का शुमार कर लेना ही काफी नहीं है और न इसी से इत्मीनान हो सकता है कि इतने स्कूल खोल देने से हम शिक्षा के मामले में आगे को तरक्की कर रहे हैं।

जहां तक मर्जों का ताल्लुक है, चेचक और मलेरिया के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि गांव गांव में मच्छर मारने वाले स्क्वायड फिरा करते हैं। जब हम पूछते हैं कि आपकी कारगुजारी क्या है तो उनमें जो ज्यादा होशियार होते हैं वे मच्छरों की तादाद भी बता देते हैं कि हमने इतने लाख, इतने हजार मच्छर मारे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर मलेरिया और चेचक ये दो ही मर्ज ऐसे हैं जिनसे यह सूबा सफर करता है? इसमें कालरा और टी० बी० का कहीं जिक्र नहीं है। बड़े-बड़े शहरों में टी० बी० का मर्ज बहुत ज्यादा है।

[श्री रियासत हुसैन]

देहात में कोई साल ऐसा खाली नहीं जाता जब कालरा न फैलता हो। आगे जो डिमांड्स आयेंगी उनमें भले ही जिक्र हो, लेकिन इस बजट में जिस पर जनरल डिस्कशन हो रहा है इसमें कालरा और टी० बी० पर कोई खास जोर नहीं दिया गया। अगर सरकार का इस तरफ भी ध्यान हो तो ज्यादा बेहतर हो।

आज एक बड़ा भारी सवाल है कि देहात में जो डिस्पेंसरीज होती हैं उनमें डाक्टर लोग नहीं जाते क्योंकि शहरों में प्रैक्टिस करने से उन्हें अच्छी आमदनी होती है बनिस्बत इसके कि सरकारी नौकरी में आकर देहात में जायं। इसके लिये यह कहीं बेहतर हो कि देहात से आने वाले स्टूडेंट्स को जो डाक्टरी पढ़ना चाहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन्स में स्पेशल रियायतें दी जायं, उन्हें वजीफे दिये जायं और उनको आगे डाक्टरी में निकाला जाय। ऐसा करने से देहात की डिस्पेंसरीज में डाक्टरों की कमी नहीं रहेगी।

समाजवादी समाज में क्लासलेस सोसाइटी की बड़ी सख्त जरूरत है, लेकिन आज जहां तक हरिजनों का सवाल है कानून के जरिये रिजर्वेशन आफ सीट्स कर देने के बाद अगर सरकार यह समझती है कि सोसाइटी क्लासलेस हो गयी तो यह उसकी बड़ी भूल है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आज रिजर्वेशन आफ सीट्स के बाद अगर मैदान में जाकर इन्क्वायरी की तो जब से यह रिजर्वेशन हुआ है देहात में रिजर्वेशन आफ़ जाटव्ज और वाल्मीकीज हो गया है। जाय देहात में जो पानी पीने के कुएं बनते हैं जाटव लोग इस कोशिश में रहते हैं कि वाल्मीकी लोग उन कुंओं पर न चढ़ सकें और उनके लिये अलग नल लगाये जायं। जब रिजर्वेशन है और उस रिजर्वेशन में वाल्मीकि और जाटव, दोनों का बराबर का हिस्सा है, तो क्यों नहीं दोनों को बराबर का हक दिया जाता?

एक सजेशन और देना चाहता हूं। करोड़ों रुपये का बजट यहां से पास हो कर जाता है और उसमें डिमांड्स ऐंड ग्रान्टस बनती हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बाद में फिर इस सदन के सामने आये कि उस डिमांड और ग्रान्ट को कितना इस्तेमाल किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिये जिसमें आपोजीशन और सरकार, दोनों ही तरफ के, सदस्य हों और वे सेलेक्टेड जगहों पर जा कर इस बात की इन्क्वायरी करें कि जो उन्होंने डिमांड्स और ग्रान्ट्स दी हैं उस पर्टीक्यूलर इलाके में कितना अमलदरामद हुआ और कितना नहीं हुआ। आज जिस तरह से स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में कुछ गांव ले लेते हैं और उस विभाग का आदमी उन गांवों में जाता है और हर चीज की डिटेल्स लाता है; उसी तरह से डिटेल्स लाने के लिये एक कमेटी बनाई जाय जो आप डिटेल्स लाकर दें।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

कुमारी श्रद्धा देवी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष का यह बजट है, जिसका मैं समर्थन करती हूं। श्रीमन्, हमारी आर्थिक और सामाजिक नियोजन की नीति क्या है इसकी घोषणा तीनों योजनाओं में की जा चुकी है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तृतीय पंचवर्षीय योजना की भूमिका में उचित ही कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना एक समालोचना है और साथ ही साथ भविष्य की घोषणा। मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के आरम्भ में कहा है कि "हमारे सामने दो कठिन लक्ष्य हैं। पहला यह है कि असाम्प्रदायिक प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की स्थापना करें जो हमारे संविधान द्वारा १२ वर्ष पूर्व स्वीकार किया जा चुका है। जो सरकार जनकल्याण के लिये कटिबद्ध है। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आर्थिक, सामाजिक नियोजन के ढांचे का विकास करना, जिसकी भीत न्याय के ऊपर आधारित हो, जिसमें हर नागरिक को अपनी उन्नति करने के लिये समान अवसर प्राप्त हो सकें।"

श्रीमन्, जो दूसरा लक्ष्य है, वह बहुत ही कठिन है। हमारे प्रदेश के सामने जो समस्यायें हैं वे दलगत राजनीति से ऊपर हैं। प्रदेश के विचारशील व्यक्तियों के लिये और प्रत्येक पार्टी के नेताओं के लिये जिनका प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास है, यह एक महान चुनौती है। हमारे

यहां जातिवाद, साम्प्रदायिकता-ऊंच, नीच और बेरोजगारी की समस्यायें हैं जो प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर विकास करने में बहुत बाधक सिद्ध होती हैं। हमने, श्रीमन्, नियोजन के समय यह फैसला किया था कि हमें अपनी पांच पंच वर्षीय योजनाओं में अर्थात् १९७६ तक राष्ट्रीय आय को दुगना कर देना है। १९७६ तक हमारे प्रदेश की जनसंख्या ९ करोड़ हो जायगी। इस हिसाब से हमारे प्रदेश की आय १९७६ तक ५,१४१ करोड़ होनी चाहिये। इस समय हमारे प्रदेश की आय २,११४ करोड़ है। आगामी १५ वर्षों में ३,०२७ करोड़ की वृद्धि करनी होगी। हमारे सामने एक बड़ी कठिन समस्या है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है हमें आगे के ४ वर्षों में इस बेरोजगारी को दूर करना है। हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख आदमियों को रोजगार दे सके हैं और हमारे सामने रोजगार चाहने वाले १६ लाख आदमी नये उपस्थित थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम २२ लाख आदमियों को रोजगार देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारे सम्मुख ४० लाख आदमियों को रोजगार का प्रश्न है और १९६६ तक ४ वर्षों में हमको ४० लाख आदमियों को रोजगार देना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १० लाख आदमियों को रोजगार दिया जा सकता है। तो प्रश्न उपस्थित है कि ३० लाख आदमियों को रोजगार किस भांति दिया जाय ?

तीसरी कठिन समस्या हमारे सामने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की है। मान्यवर, सन् १९६६ तक इस प्रदेश की जनसंख्या साढ़े ८ करोड़ हो जायगी और १३२ लाख टन अन्न और दालें हमारे पास होना चाहिये और यदि हम बीज आदि की आवश्यकता को भी इसमें सम्मिलित कर लें तो १९० लाख टन हमारे पास अन्न होना चाहिये। परन्तु इस वर्ष की उपज का अन्दाज १३५ लाख टन का है। तो फिर प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित होता है कि शेष ५५ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का किस तरह से उत्पादन किया जाय।

इन्हीं तीन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास योजनायें बनाई गई हैं और उसी के लिये पर्याप्त साधन मुहइया किये गये हैं। समयाभाव के कारण मैं विवरण में तो नहीं जा सकती, लेकिन न तो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने और न वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने कभी यह दावा किया है कि हमने प्रदेश में सर्वतोन्मुखी उन्नति सम्पूर्ण कर दी है। लेकिन कृषि उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है। गत दस वर्षों में हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय आय में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे कौन इन्कार करेगा कि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय में ९ रुपये की वृद्धि हुई है। यह बात सर्वविदित है। यह सत्य है कि हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की प्रगति के मुकाबिले में पिछड़ा हुआ है, जैसा कि माननीय जेड०ए० अहमद साहब ने कहा है, लेकिन इसके मुख्य तीन कारण ह उन पर भी उनको प्रकाश डालना चाहिये था। एक तो यह है कि जहां हमारे प्रदेश की आय में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां १७ प्रतिशत आबादी भी तो बढ़ गई है तो हिसाब बराबर हो गया। दूसरा मुख्य कारण यह है कि गत १० वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति पीछे ८८ रुपया औसतन खर्च किया गया और हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर केवल ५८ रुपये का औसत खर्च हुआ, यानी ३० रुपया प्रति व्यक्ति कम खर्च हुआ। तीसरा मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रदेश में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पर हमारी भारत सरकार ने १० हजार करोड़ रुपया व्यय किया। प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश में भारत सरकार ने कितना किया। प्रदेश की जन संख्या के आधार पर हमको १६ सौ करोड़ रुपया चाहिये था जब कि हमको केन्द्रीय सरकार ने बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिये केवल ६ सौ करोड़ रुपये की धनराशि दी है। श्रीमन्, जितने भी उद्योग-धंधे हैं वह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चलते हैं। हमारी भूमि पर भार अधिक है। उसे कम करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५०० करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है जिसमें उद्योगों को काफी स्थान दिया है जिससे भूमि का भार कम हो सके। ५०० में ३५० करोड़ रुपया तो हम को केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है, १५० करोड़ हम को अपने साधनों से जुटाना है। यह सही है कि हमको अपने साधनों से १५० करोड़ रुपये के लिये बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे इस वर्ष के नियोजन के लिये ८५ करोड़ रुपये की धनराशि है जिसमें १३ करोड़ रुपये हम को जुटाने हैं। सभी विरोधी दलों के नेता नियोजन के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। मतभेद सिर्फ इतना है कि बेकारी, बेरोजगारी है और हमारे

[कुमारी अरुंधती देवी]

प्रदेश की प्रगति अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में कम है। यह तो हम भी स्वीकार करते हैं। इस भांति ये तीनों चीजें कैसे दूर हों, कर भी न बढ़ाये जायं और कर्जा भी न लिया जाय तो फिर किस तरह से तीनों कठिनाइयां दूर हो सकती हैं? डाक्टर साहब ने भी इस समस्या का हल नहीं बताया। मैं कहती हूं कि रूस के अन्दर भी १९१७ से १९२८ तक लोगों के व्यक्तिगत फार्म छीने गये, बैलों और भैंसों को ले लिया गया, जनता के कपड़ों और जूतों को बेच कर रूस की उन्नति की गई। १९२८ से वहां योजना काल शुरू हुआ है। इससे पूर्व रूस में करों के द्वारा उन्नति हुई है।

मैं करों की वृद्धि का समर्थन करती हूं परन्तु प्रश्न केवल यह है कि कर किस पर और कैसे हों? यह बात माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के सोचने की है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, आज बजट पर सामान्य बहस चलते हुये चौथा दिन है। सरकारी पक्ष के लोगों की बातों को और विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को मैंने ध्यान से सुना। सरकारी पक्ष के लोगों की तरफ से मुख्यतः चार बातें कही जाती हैं। प्रथम तो यह है कि विरोधी पक्ष के लोग आलोचना करना जानते हैं, सुझाव नहीं देते। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और हमने बहुत तरक्की की है और तरक्की कर रहे हैं। चार बातों के सिवा सरकारी पक्ष ने कोई पांचवीं बात नहीं कही।

उनके कार्यों की आलोचना करना हमारा काम है, उन आलोचनाओं पर अपने को सुधारना आपका काम है। जहांतक सुझावों का सवाल है मैं तो यह देख रहा हूं कि सुझाव को सुनने और समझने की भी सामर्थ्य आपके भीतर नहीं है कि उन सुझावों को सुनें और उन पर कार्य कर सकें।

अभी एक माननीय मन्त्री बोल रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर कहा है कि १ और १० का रेशियो आमदनी में हो। यह कहा है कि कम से कम १०० रुपये और ज्यादा से ज्यादा १ हजार रुपये की आमदनी हो। लेकिन माननीय मन्त्री जी बोलते हुये एक आंकड़ा पेश कर गये कि अगर कम से कम १०० रुपये तनख्वाह कर दी जाय तो १८, १९ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और एक हजार तक घटा कर तनख्वाह कर दी जाय तो केवल ५० हजार रुपये की बचत होगी। माननीय मन्त्री को किस प्रकार समझाया जाय। हमने तनख्वाह के सम्बन्ध में ही आंकड़े नहीं पेश किये हैं। हमने खुले आम हजार बार इस बात को कहा है कि हर किस्म की आमदनी, रोजगार पर—आज बिड़ला की एक हजार के ऊपर जितनी आमदनी हो उसको सरकार ले ले, जब्त कर ले, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। सुझावों पर गौर नहीं किया और एक छोटी-सी बात लेकर जवाब दे दिया।

शिक्षा के सम्बन्ध में इस प्रदेश की सरकार की जो नीति है उसको देखते हुये यह कहना पड़ेगा कि यह मुहम्मद तुगलक की नीति है।

कभी परीक्षाओं को सरल करके ज्यादा विद्यार्थियों को पास करवा देते हैं, कभी परीक्षाओं को कठिन करके विद्यार्थियों को फेल करवा देते हैं। विश्वविद्यालयों में अध्यापक ४०० रुपये तनख्वाह पाते हैं और समान कार्य के लिये दूसरे कालेजों में २०० और २२५ रुपये पाते हैं। सरकारी विद्यालयों का दूसरा स्केल है और मान्यता प्राप्त विद्यालयों का दूसरा स्केल है। सरकारी विद्यालयों में ३०–३५ रुपये महंगाई का भत्ता मिलता है और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में २ से लेकर १० रुपये तक महंगाई का भत्ता मिलता है। इस महंगाई के भत्ते को लेकर शिक्षक संघ ने सोशलिस्ट पार्टी ने हजार बार मांग पेश की, लेकिन सरकार यह कह कर टाल देती है कि हमारे पास पै

योजना में १६ करोड़ रुपया खर्च करने को मिला था। यह इतनी निकम्मी सरकार है कि उसमें केवल ३ करोड़ रुपया खर्च कर पाई। बाकी रुपया लैप्स हो गया और वह कहती है कि रुपया नहीं है।

इतना ही नहीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रारम्भिक विद्यालयों को ले लीजिये। मैं सरकार का एक आदेश पढ़ देना चाहता हूं। सेक्रेटरी तक के महंगाई भत्ते को उन्होंने कहा है कि ३५–४० रुपये दिया जाय। चपरासी और स्वीपर्स तक को जहां पर उन्होंने ३५–४० रुपये देने को कहा है वहां पर अध्यापकों का महंगाई भत्ता १२–१९ रखा है। यह निहायत शर्म की बात है। मैं वह आदेश पढ़ देना चाहता हूं। वह अंग्रेजी में है। हिन्दी लिखना तो जानते ही नहीं।

"This order will apply to all employees of local self Government, including sweepers, but excluding teachers."

निहायत शर्म की बात है। आदेश लिखते वक्त उनका हाथ नहीं कांपा, उनकी कलम नहीं टूट गई। बेशर्मी की इससे बड़ी मिसाल मिल नहीं सकती। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि जिस उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की बातें बार-बार कही जाती हैं, को एक युग था जब कि उत्तर प्रदेश से सारे देश को रोशनी मिलती थी, हिन्दुस्तान ही नहीं सारे सन्सार को रोशनी मिलती थी। ज्यादा पीछे न जा कर पन्त जी के मन्त्रिमण्डल के समय में, सम्पूर्णानन्द जी के मन्त्रिमण्डल के समय में देश के दूसरे प्रान्त इस प्रदेश की नकल करते थे। माननीय चन्द्रभानु गुप्त आज मुख्य मन्त्री हुये तो हमारा प्रदेश पिछड़ता ही चला जा रहा है। महंगाई भत्ते के सिलसिले में मैं दूसरे प्रदेशों के आंकड़े पेश कर देना चाहता हूं। या तो दूसरे प्रदेशों की सरकारों के अक्ल नहीं है या इस प्रदेश की सरकार के अक्ल नहीं है। महंगाई की दरें ये हैं—आंध्र में ३५–४२ रुपये, आसाम में २५ रुपये, बिहार में ३० रुपये, महाराष्ट्र में ४५–५५ रुपये, बंगाल में ३५ रुपये, मद्रास में साढ़े सत्रह प्रतिशत, + १७ रुपया, पंजाब में ४० रुपये, राजस्थान में ३०–४० रुपये, मैसूर में २०० वेतन तक २५ प्रतिशत और अधिकतर ३० रुपये, केरल में १५ प्रतिशत उड़ीसा में १५ रुपये से २७ रुपये, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की दर से, उत्तर प्रदेश में शून्य।

जरा गौर कीजिये, यह उत्तर प्रदेश की सरकार है। जिस बात को देश के सभी प्रान्त, सभी राज्य मान चुके हैं और जिसको उन्होंने अपने राज्य में दिया है, उस चीज को आप नहीं देने जा रहे हैं और न तो कभी स्वीकार करते हैं उसकी अहमियत को।

(इस समय २ बजकर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके अलावा मैं आपका ध्यान आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह सरकार कहती है कि हम आयुर्वेद की उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद की डिस्पेंसरीज और उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति इतनी अनुदारता बरती जाती है कि २०० से ५०० तक की दवा उन डिस्पेंसरीज को दी जाती है जब कि उनके बांटने का जो खर्च पड़ता है सरकार का वह तीन चार हजार रुपये पड़ता है। २०० की दवा उस डिस्पेंसरी के बड़े क्षेत्र के लिये बिलकुल नाकाफी है और उसके बांटने का जो खर्चा है वह कहीं अधिक है। तो मैं सरकार का ध्यान आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि इन सब मसलों की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्रीय कमीशन की रिपोर्ट है कि केन्द्रीय सरकार अपनी आमदनी का १० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करे और प्रान्तीय सरकार अपनी आमदनी का २० प्रतिशत खर्च करे, लेकिन शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत इस प्रदेश में निरन्तर घटता जा रहा है। सन् १९३७–३८ में सरकार शिक्षा पर १७ प्रतिशत खर्च करती थी और यह सरकार आज १२, १३ प्रतिशत खर्च कर रही है और तिस पर भी कहती है कि हम प्रदेश की प्रगति कर रहे हैं।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर अहमद साहब का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत साफ-साफ शब्दों में इस प्रदेश के सामने जो समस्यायें हैं उनको रखा, यद्यपि उन्होंने जो हल उनका पेश किया उससे मैं सहमत नहीं हूं। इस दस सालों में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम किस तरह से अपने देश के अन्दर इस समाज का ट्रांस-फार्मेशन करें। एक फ्यूडल आर्डर से, एक सामन्तशाही व्यवस्था से हम एक समाजवादी व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं। उसके लिये हमने जो लक्ष्य रखा, जैसा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा हम एक डेमोक्रेटिक, गणतन्त्रीय पद्धति से इस देश के अन्दर समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। डाक्टर अहमद साहब ने ठीक कहा—समाजवादी व्यवस्था के अन्दर उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिये और समाज के द्वारा उत्पादन से राज्य के कोष के अन्दर आमदनी होनी चाहिये। लेकिन हमारा राष्ट्र किस तरह से आज उत्पादन के साधनों के ऊपर अपना कब्जा करेगा ? हमने कोई टोटैलिटेरियन तरीका तो नहीं माना है। हमने तो गणतन्त्रीय तरीका माना है। हमने संविधान के मुताबिक यह माना है कि हम जिसकी जायदाद को लेंगे उसके लिये मुआवजा देंगे।

सबसे पहले सन् १९२८ के अन्दर नियोजन का कार्य सोवियट रूस के अन्दर शुरू किया गया था। सन् १९१७ के अक्तूबर में क्रांति हुई। सन् १९२८ तक कोई नियोजन नहीं हुआ। सन् १९२४ में अकाल पड़ा। करोड़ों आदमी मरे और अन्त में लेनिन को न्यु एकोनामिक पालिसी शुरू करनी पड़ी। सबसे पहला नियोजन उनके द्वारा सन् १९२८ में शुरू किया गया। फार्मों पर कब्जा किया गया, अनाज पर कब्जा किया गया, मांस विदेशों को भेजा गया, चीनी विदेशों को भेजी गई। इस तरह से उन्होंने अपने देश के अन्दर मदर इंडस्ट्रीज को कायम किया। १९३१ में सोवियट की कांग्रेस हुई और कम्युनिस्टों ने कहा कि प्रगति धीमी कीजिये, जनता के पास खाना नहीं है, जनता के पास चीनी नहीं है, जनता के पास मांस नहीं है। स्टालिन ने कहा कि हम सन्सार से आज ५० साल पीछे हैं। यदि हमको आगे बढ़ना है तो सदियों की बैकवर्डनेस को दस साल के अन्दर पूरा करना होगा। इसलिये आज ज्यादा से ज्यादा मेरा आदेश यह होगा कि आगे बढ़ो। आंख से अगर आंसू आयेंगे तो मैं अपना दिल सख्त कर लूंगा। कहीं अगर खून गिरेगा तो भी बढ़ता चलूंगा। इस तरह से सोवियट रूस के अन्दर प्लानिंग हुई और दस सालों के बाद वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। तो हमारा प्रदेश आज किस तरह से आगे बढ़ेगा ? अभी आपको बताया गया कि हमारी एकोनामी बिलकुल स्टैग्नेंट है, एकदम अवरुद्ध हो गई है। पूंजी लाने के लिये कोई मार्ग नहीं है। यह एक बड़ा विशस सर्किल है। हम पूंजी लगा नहीं सकते और जब पूंजी लगा नहीं सकते तब उससे जनरेटिंग एकोनामी नहीं बन सकेगी।

अभी आपके सामने अहमद साहब ने बतलाया था कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे सूबे के अन्दर करीब ३९४ करोड़ रुपया व्यय किया गया। प्रति व्यक्ति पीछे जो व्यय हुआ वह ५८ रुपये हुआ और यदि तमाम देश का हिसाब लगाया जाय तो इसमें २१० करोड़ रुपये और व्यय होना चाहिये था। हमारी आमदनी भी, इसमें कोई सन्देह नहीं है, एक साल के अन्दर राष्ट्रीय आय ३३६ करोड़ रुपया बढ़ी, लेकिन आबादी के बढ़ जाने से प्रत्येक व्यक्ति वह आमदनी ९ रुपये बढ़ी जब कि सारे देश के अन्दर ४१ रुपया। यह अन्तर क्यों हुआ तमाम देश के मुकाबले में, तो उसके अन्तर का कारण यह है कि ज्यादा पूंजी और जगह लगी। जैसा कि पंजाब के लोगों ने अपने सूबे के अन्दर प्रति व्यक्ति के पीछे जो खर्च किया वह १७५ रुपये खर्च किया। हमारे यहां केवल ५८ रुपया। कितना बड़ा अन्तर है। अगर पंजाब के मुकाबले में हम लोग भी खर्च करते तो हमारे सूबे में ८०० अरब १० सालों में खर्च होना चाहिये था।

अब आप तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखें। इसके अन्दर जहां हिन्दुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति पीछे व्यय ८९.१७ है तो यू० पी० के अन्दर ६७.३४ है जिसका मतलब यह होता

है कि आज हमारी योजनायें जो ५०२ करोड़ की हैं उनके लिये लगभग ७०० करोड़ रुपया होना चाहिये था। फिर भी हम पीछे रह जायेंगे और फिर हमारी आमदनी घटेगी और इसी तरीके से बराबर हमारा पिछड़ापन बढ़ता चला जायगा।

विरोधी पक्ष के नेता की ओर से यह कहा गया कि यह जो हमारा नियोजन है यह दोषपूर्ण है, और समाजवादी पार्टी के नेता ने भी कहा कि यहां पर आमदनी के अन्दर विषमता बढ़ती चली जा रही है और मालदार और मालदार होता चला जाता है। मैं नहीं जानता कि किस तरह से समाजवाद में ट्रांसफारमेंशन होगा और किस तरीके से आमदनी समान स्तर पर आयेगी। क्या जो लोग सब से ऊपर हैं उनको एक दम नीचे के स्तर पर लायेंगे या जो लोग सब से नीचे हैं उनको एक दम ऊपर ले जायेंगे। एक माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि प्राइमरी टीचरों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। प्राइमरी टीचरों का वेतन इस समय ७० रुपये है। जो कुछ दिन पहले तक ५० रुपये पाते थे उनका वेतन ७० रुपया कर दिया गया है। प्राइमरी टीचरों का वेतन १८ रुपये से बढ़ाकर ७० रुपये पर हम ले आये हैं, हम चाहते हैं कि १०० रुपये तक हम जायं किन्तु अभी साधन उस तरह के नहीं हैं।

अभी कहा गया कि जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे ले आयें। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी पूंजी को जब्त किया जाय। क्या आप यह चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कोई काम न हो? कहा गया कि मोदीनगर बना, टाटा नगर बना, बिड़लानगर बना। प्रश्न यह है कि इन नगरों के बनाने से काम लोगों को मिला या नहीं? प्रश्न यह है कि इन नगरों के बनने से उत्पादन बढ़ा या नहीं? आज हालत यह है कि जैसे भूटान के अन्दर आज एक आदमी जिसने बैलगाड़ी से आगे कुछ देखा नहीं यदि वह आज हवाई जहाज को देखता है तो आज वह सीधे बैलगाड़ी के युग से हवाई जहाज के युग में अपने को देखता है। जब से यह उद्योगीकरण शुरू हुआ है तब से इन २०० वर्षों में यह युग ही सारा बदल गया है। हमारे और आपके सामने इंग्लैंड और रूस का उदाहरण उपस्थित है। उधर २०० साल के अन्दर किस प्रकार से उन्होंने अपने देश में उन्नति की है और किस प्रकार से पूंजीवाद और समाजवाद के समाज की रचना हुई इसको हम नहीं जानते। आज भी आप देखेंगे कि संसार के देशों में जहां इंग्लैंड का प्रश्न है वहां ७०० करोड़ पौंड का बजट इसी वर्ष पास हुआ है और उनके यहां जो आमदनी हुई वह इंग्लैंड में २७.५ है और यू० एस० ए० में २६.५ और फ्रांस में २५.२ है, इसी प्रकार मिस्र में ६.९ है जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर १.३ है और हमारे सूबे में .५ कुछ है। तो आप किस तरह से चाहते हैं कि समाजवाद को यहां लाया जाय। आज मैं देखता हूं कि समाजवाद के अन्दर एक ब्राण्ड बना है और उससे सब लोग कहते हैं कि आमदनी बढ़ाई जाय और सब लोगों का वेतन बढ़ाया जाय, करों को कम कर दिया जाय, कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं। इससे एक साथ समाजवाद की व्यवस्था आ जायगी। समाजवाद की व्यवस्था लाने के लिये कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे।

यह कहा गया कि पूंजीवादी मालदार होते गये हैं। यदि ऐसा है तो क्या यह उन्नति नहीं है? आप गुजिश्ता १० सालों में देखें १५ लाख नये बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे, ६०,००० नये प्राइमरी स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बनीं, ७०० के करीब हायर सेकेंडरी कालेज बने, डिग्री कालेज बने, ७० हजार के करीब नये मास्टर रखे गये, तो क्या यह प्रगति नहीं है? क्या यह ७०,००० मास्टर मोदी, और टाटा के बच्चे हैं? प्रदेश में जो सड़कें बनीं, नहरें बनीं, चीजों का कन्जम्पशन बढ़ा यह क्या है? आज चीनी की खपत देश में २४, २५ लाख टन हो गई है। यह ठीक है कि जब इकानामी आगे बढ़ती है तो मालदार और मालदार होते जाते हैं। स्टेट ड्यूटी में इस साल ६३ लाख रुपया है जो हमको मिलेगा। समय बीतेगा और टाटा और बिरला पर भी स्टेट ड्यूटी लगेगी। इंग्लैंड में स्टेट ड्यूटी देने वालों की संख्या १०० के करीब है और उनकी संख्या १५ साल के बाद नगण्य हो जायगी। अन्तर क्या पड़ता है? अगर मोदी ने एक फैक्टरी कायम की तो क्या उसका व्यय बढ़ गया अथवा उसके भोग-विलास की सामग्री बढ़ गई? मोदी नगर में आज लाखों आदमियों को काम

[श्री बनारसी दास]

मिला है। क्या आप चाहते हैं कि नयी फैक्टरियां न लगें और सरकार एक साथ सबका राष्ट्रीयकरण कर दे? चुर्क की फैक्टरी का आप विरोध करते हैं, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी का आप विरोध करते हैं, यह क्या है? श्रीमन्, मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब समाजवादी समाज में परिवर्तन होता है तो पहले पूंजीवाद बढ़ता है और उस पूंजीवाद को नियन्त्रण में रखना चाहिये। सो हमने रखने का प्रयत्न किया है। इण्टरटेनमेंट टैक्स, सुपर टैक्स, स्टेट ड्यूटी टैक्स, आदि सब सोशलिस्ट इकानामी के लिये ही है। आप इसी बजट को देखें, इंडस्ट्रीज के द्वारा हमको इसी बजट के अन्दर साढ़े ६ करोड़ की आमदनी होगी, बसेज के द्वारा १३ करोड़ की आमदनी होगी। इसी प्रकार हम अपनी आमदनी बढ़ायेंगे। प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में हमारा १३ लाख रुपया लगा है और इस एक साल में हमें साढ़े ८ लाख रुपया मुनाफा हुआ है। इसी तरह से टरपेंटाइन फैक्टरी है, सीमेंट फैक्टरी है। सीमेंट फैक्टरी का उत्पादन हम दुगना करना चाहते हैं। तो यह क्या बात है कि हम कर्ज न लें, हम टैक्स न बढ़ायें।

मैं समझता था कि डाक्टर अहमद साहब एक समानान्तर बजट प्रस्तुत करेंगे और बतायेंगे कि इस प्रदेश की आय और व्यय कितनी होनी चाहिये और साथ ही साथ यह भी बतलायेंगे कि जो २२ लाख वर्किंग फोर्स होने वाला है और जो पहले से १८ लाख बेकार हैं उनकी वे क्या व्यवस्था करेंगे। यहां आज भूमि पर प्रेशर ज्यादा है, ७४ फीसदी लोग खेती करते हैं। उन्हें बताना चाहिये था कि किस तरह एग्रीकल्चरल इकानामी में बढ़ती हुई इकानामी में वे परिवर्तन करेंगे। उनके पास इसके लिये एक ही तर्क है, एक ही मार्ग है। यह कहना कि बजट तिगुना हो गया है और आमदनी केवल ३ परसेंट बढ़ी है यह आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना है। हमारी आमदनी एक साल के अन्दर ३३६ करोड़ बढ़ी है, हमारा बजट घाटे का बजट नहीं है। ३ करोड़ ४५ लाख की आमदनी में हम चाहते हैं कि ८७ करोड़ रुपया हम अपने भविष्य के लिये खर्च करें। तो क्या वे चाहते हैं कि आगे कोई उत्पादन का काम प्रदेश में न हो, प्रदेश में कोई उन्नति न हो?

एक भाई कह रहे थे कि एजूकेशन पर कम खर्च हो रहा है उसको बढ़ाइये। तो इसके लिये पैसा कहां से आयेगा? वेतन कम करने की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में ५०० रुपये से जो कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उन पर हमारे राजस्व का ३५ करोड़ का व्यय है और जो ५०० से अधिक पाने वाले हैं उन पर २ करोड़ के लगभग आता है। यानी कुल मिला कर ५०० से अधिक पाने वाले कर्मचारियों पर ५.२ खर्च होता है। तो आप क्या चाहते हैं। आपने यह मांग की कि ज्यादा से ज्यादा वेतन १ हजार कर दिया जाय। तो क्या उनकी एफिशिएंसी को कम कर दिया जाय? उग्रसेन जी ने कहा कि मजदूर ४ आना पाता है। मैं कहता हूं कि हममें से कितने व्यक्ति हैं जो ४ आने खर्च करते हैं? तो आपका क्या मतलब है? क्या बिलकुल सिम्पिल अर्थमेटिक के हिसाब से ४ आने कर दिया जाय? मैं तो चाहता था कि आप कोई मुकाबले का ऐसा बजट पेश करते जिसमें समाजवाद की सही तस्वीर होती और जिससे मैं यह समझता कि यह समाजवादी बजट है।

यह कहना कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स पर कर समाप्त कर दिया जाय, ठीक नहीं है। कभी-कभी आदमी को खून भी देना पड़ता है और खून के इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर समाजवादी व्यवस्था के मुताबिक अनइनकोनामिक होल्डिंग्स पर कर समाप्त कर दिया जाय तो उससे डाक्टर लोहिया साहब और उनके अनुयायी लोग कितना लगान माफ कर देंगे? फिर कहां से व्यय की पूर्ति होगी? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह संकल्प किया है कि जब लोगों की समान आय नहीं हो जायेगी, गांधी जी की तरह, जैसे कि उन्होंने उड़ीसा में संकल्प किया था, हमारा खर्च ४–५ सौ से अधिक नहीं होगा। आज कितने नेता हैं जो अपने पर इतना ही खर्च करते हैं। आज तो बुनियादी सवाल यह है कि किस तरह से आप यहां की समस्याओं

को हल करेंगे ? कैसे आप ४० लाख व्यक्तियों को रोजगार देंगे ? हिन्दुस्तान की आय जो ४० रुपये से कम है उसके गैप को कैसे मेक-अप करेंगे ? डाक्टर साहब ने कहा कि यू० पी० चूंकि पिछड़ा हुआ है इसलिये सेंटर भी उसको पैसा नहीं देता। मैं यह नहीं कहता कि हम सेंटर के सामने भिखारी बन कर जायं, लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी बहुगुणा जी ने कहा पावर्टी और डिजीज यह संक्रामक रोग हैं और यह किसी भी समाज के स्वस्थ जीवन को नष्ट कर देते हैं। अगर आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें उत्तराखंड को बैकवर्ड एरिया करार दिया गया है और हमने उसके लिये एक निश्चित रकम भी रखी है। जितना रुपया उत्तराखंड के लिये रखा गया है उसमें करीब १३ करोड़ वहां की सड़कों के लिये रखा गया है जब कि ईस्टर्न के लिये ४ करोड़ ही है। मैं जानता हूं कि वहां पर सड़कें बनानी चाहिये, लेकिन आज सब से बड़ी आवश्यकता डिफेन्स की है। क्या वह खर्चा सेन्टर को बरदाश्त नहीं करना चाहिये ? वह तो सेन्टर को ही करना है न कि यू० पी० को, वह डिफेन्स की आवश्यकता है। यदि वह पैसा हमको मिल सके तो जो ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन्स हम अपने सूबे में बढ़ाना चाहते हैं उसमें काफी वृद्धि कर सकते हैं। तो यह बड़ी-बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं। सब से बड़ा सवाल यह है कि हर साल दो प्रतिशत सूबे की आबादी बढ़ती है जिसका मतलब यह है कि १५ लाख आदमी बढ़ते हैं और चार लाख नये आदमियों को हमको काम देना चाहिये। तो खाली कह देने से काम नहीं चल सकता। आज मतदाता के सामने उस तरह से जाना ठीक नहीं है जैसे कि किसी मंडी में मवेशियों के दाम लगाते हों या जिस तरह से लेबर स्ट्राइक में जो सब से ज्यादा पैसा देने का वायदा कर दे और नतीजा यह हो कि लेबर डिस-इल्यूजन्ड हो जायं। तो आज सदन के सामने समस्याओं के देखे बिना अपनी नजर मतदाताओं के सामने रख कर यह कह देना कि जनता करों के बोझ से लदी जा रही है, हम इस सूबे का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यह कहने के लिये कि कर का बोझ कम होना चाहिये और वेतन बढ़ना चाहिये, कुछ विवेक की जरूरत होती है। हम यदि जनता का विश्वास प्राप्त करके यहां पर रहना चाहते हैं तो इसलिये नहीं कि हमको कुर्सियों से मुहब्बत है बल्कि हम प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं।

बार-बार कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की संख्या बहुत बढ़ गई। इंगलैण्ड के मंत्रिमंडल की संख्या यदि आप इस साल देखें तो वह ६३ है। मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्तों के सामने कौन से समाजवादी देश की कल्पना है। मैं समझता हूं कि उनके सामने रूस का चित्र नहीं है, चीन का भी चित्र नहीं है। हम से कहते हैं कि आगे बढ़ें। एक तरफ जनतंत्र की बात करते हैं। जनतंत्र के माने यह हैं कि हम जनता की स्वीकृति से आगे बढ़ें। हमें इस बात का गर्व है कि हम में इस बात का साहस है कि चुनाव के समय में भी हमने जनता से कहा कि यदि आप अपने प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो आपको बलिदान करना पड़ेगा। यदि आप यह चाहते हैं तो यह उत्तरदायित्व हमारे ऊपर रखिये। हमने कई दफा यहां यह कहते सुना कि हमको जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है, हमको बहुमत के वोट नहीं मिले, ३५ या ३६ फीसदी वोट मिले। मैं आपसे कहता हूं कि आप ५७ और ६२ के उम्मीदवारों की संख्या देखें। जनसंघ ने ३०० उम्मीदवार खड़े किये, समाजवादी पार्टी ने ३०० से ऊपर उम्मीदवार खड़े किये, कितने इन्डेपेन्डेन्ट्स खड़े हुये और रिपब्लिकन्स खड़े हुये। जो लोग जनता में समाजवाद का नाम लेते हैं, कहीं पर बिरादरी के नाम पर १० उम्मीदवार खड़े हुये और वोट बांटे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं सदन के सामने कि जनतंत्र के लिये अधिक पार्टियों का होना घातक है। यदि विरोधियों का यह कहना है कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं है तो हम इधर से जनमत का सामना करने के लिये तैयार हैं, एक एक आदमी सामने आये, हम जायेंगे अपनी नीतियों को लेकर और सामना करेंगे। आज पी० एस० पी० और सोशलिस्ट पार्टी एक नहीं हो सकतीं। कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी से कोसों दूर है। जनसंघ और समाजवाद का कोई मेल नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग कितने परसेंट मत लेकर के आये हैं ? बार-बार हमको यह दीक्षा दी जाती है कि जनतंत्रीय परम्पराओं को हम कायम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वही परम्परा हमको यह सिखाती है कि

[श्री बनारसी दास]

कटु से कटु बात को भी हम हंस कर सुनें, लेकिन मुझे दुःख है कि हमारे उधर के भाइयों में इतना धैर्य और सन्तोष भी नहीं कि वे हमारी बातों को चुप होकर सुन सकें। यह सच है कि प्रदेश की स्थिति को शेप करने का हमें सबको समान अधिकार है। लेकिन होगा तो वही जिसको हम बहुमत से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के द्वारा कर सकेंगे। इसलिये इस प्रकार की बात कहना कि हम यहां माइनारिटी वोट प्राप्त करके आये हैं यह जनतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है।

एक बात मैं विरोधी दल के माननीय नेता को संबोधित करके अवश्य कहना चाहता हूं कि किसी अध्यादेश, अथवा स्टेट डिग्री के द्वारा जनता की प्रवृत्तियों को नहीं बदला जा सकता। पंजाब में सन् १९०५ में एक कानून बना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जमीन को न खरीद सकेंगे। उसका नतीजा यह हुआ, यद्यपि वह एक अच्छा कानून नहीं था कि जमीन में इन्वेस्ट होना रुपये का बन्द हो गया और वह रुपया उद्योग-धंधों में लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदी जाती रही और पैसे वाले यहां ज्यू बन कर रह गये। सूदखोरी बढ़ गयी। एक फ्यूडल व्यवस्था तो मिट गयी, लेकिन अभी सामन्तशाही कायम है, लोगों के हृदय से अभी वह निकली नहीं है। इसको धीरे-धीरे निकाला जा रहा है। आप इन १४ सालों में देखें कि कितना ट्रान्सफारमेशन हुआ है। पश्चिमी जिलों में जो डेन्सिटी आफ पापूलेशन है वह पूर्वी जिलों से कम नहीं है। मेरठ में ९०० व्यक्ति प्रति स्क्वायर माइल हैं जब कि गोरखपुर आदि की तरफ ८५० व्यक्ति हैं। लेकिन मेरठ का किसान आज मालदार है। वहां का चाहे ब्राह्मण हो या जाट हो वह खूब मेहनत करता है, लेकिन पूर्व में यह है कि अगर कोई हल छुएगा तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जायगा। क्या इसको कानून से दूर किया जा सकता है? एक दर्जी है या कोली है उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर वह टेलर मास्टर बन जाता है अथवा बारबर बन जाता है तो कुछ हर्ज नहीं समझा जाता। इस प्रकार यह जो फ्यूडल आर्डर की हमारी विचारधारा है क्या उसको कानून से हम दूर कर सकते हैं? आज फ्यूडल आर्डर की मान्यताएं विवादग्रस्त बन गयी हैं, वह मिटने जा रही हैं और नयी समाजवादी मान्यताओं को हम अभी तक स्थापित नहीं कर पाये हैं। तो क्या सदन की डिक्री से उन मान्यताओं को, जनता के फेथ को हम बदल सकते हैं?

कहा जाता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग की बातें की जाती हैं। इसके सिलसिले में मैं आपको एक इतिहास की बात बताना चाहता हूं। अरब में हजरत मुहम्मद ने सूदखोरी को हराम करार दे दिया। क्या सूदखोरी अरब में बन्द नहीं हो सकी? तो क्या वजह है कि कोआपरेटिव फार्मिग, जब कि हम उसको जबरदस्ती लादना नहीं चाहते, हमारे देश में प्रचलित नहीं हो सकती। कहा जाता है कि इससे किसान गुलाम हो जायगा, लेकिन जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि—मजदूरों की संगठित शक्ति को देख कर पूंजीपति घबराते हैं क्योंकि संगठन से उनमें चेतना आती है। उसी प्रकार से किसानों के संगठित होने से उनमें भी चेतना आयेगी। अगर अनाकोनामिक लैंड होल्डिग्स को हम एक जगह जमा करना चाहते हैं तो कैसे हम इसे किसानों के ऊपर लादना चाहते हैं? क्या आज आप यह चाहते हैं कि हम यह नारा लगायें कि हमारे जीवन का लक्ष्य सहयोग है, हमारे जीवन का लक्ष्य कोआर्डिनेशन है, हमारे जीवन का लक्ष्य एकता है और हम संघर्ष के स्थान पर सहअस्तित्व चाहते हैं? यदि आज यह सिद्धान्त हम अपने जीवन के अन्दर नहीं ला सकते तो क्या निराश होकर इसको मानने से इन्कार कर दें?

जो बजट आपके सामने प्रस्तुत है वह कोई नये संसार की रूपरेखा नहीं है, इसमें कोई वादा नहीं किया गया है कि हम हैविन उतार कर ला देंगे। हम आज उस रास्ते पर जा रहे हैं, उस सड़क पर चलना हमने शुरू किया है जिस सड़क पर चल कर यह आजादी हमने ६२ साल के अन्दर हासिल की और उसी पर चल कर हम १५–२० साल के अन्दर सामाजिक व आर्थिक आजादी लाकर रहेंगे और वह ऐसा हिन्दुस्तान होगा जो सब लोगों के रहने के काबिल होगा। उसके लिये प्रयत्न करना होगा। केवल स्लोगन के द्वारा यह काम नहीं होगा

बल्कि इसके लिये जनता में साहस लाना होगा और उसे समझाना होगा कि इसके लिये जनता का बलिदान चाहिये। कमजोर हृदय के लोगों का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसका सब से बड़ा उत्तरदायित्व हम लोगों के ऊपर है और जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा—भावी सन्तानें हमें क्षमा नहीं करेंगी और हमें आगे बढ़ना होगा। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा प्रदेश आगे चल कर काफी समृद्धिशाली होगा। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास ने अभी कहा कि उनका बजट जो है वह समाजवादी रूपरेखा का है और समाजवाद को लाना चाहता है। तो मेरी समझ में तो आया नहीं कि उन्होंने समाजवाद का नारा सुना है या वे जानते हैं कि समाजवाद क्या है ? अगर खेती के मसले को देखते हैं तो सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम सहकारी खेती करना चाहते हैं और दूसरी तरफ चकबन्दी के ऊपर सरकार ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च कर रही है। जिले के बाद जिले, तहसील के बाद तहसील चकबन्दी में लिये जा रहे हैं। अगर सरकार सहकारी खेती में ईमानदार है तो जिले जिले में चकबन्दी करने के बजाय उसे सहकारी खेती पर ही जोर देना चाहिये था। लेकिन सरकार कहती है क्या ? कृषि तरक्की के लिये बजट एलोकेशन किया गया है।

खेती की तरक्की के लिये दो-तीन चीजें आवश्यक होती हैं। जैसा कि उन्होंने कहा सहकारी ढंग से खेती करने के लिये आज जो तकावी मिलती है उस तकावी से ट्यूबवेल्स, इरीगेशन चैनेल्स आदि बनते हैं, मैं चाहता हूं कि तमाम किसान अपनी निजी होल्डिंग्स के हिसाब से प्लानिंग करके उनको लें। अगर ४०–५० एकड़ जमीन है और वह इकोनामिक होल्डिंग नहीं है तो सहूलियत को देखते हुए गांव की बेसिस पर उन ट्यूबवेल्स पर सारी की सारी लागत बिल्कुल बेकार हो जाती है क्योंकि गांव की हैसियत से और गांव की प्लानिंग की हैसियत से सारा का सारा रुपया बेकार हो जाता है। तो सरकार के दिमाग में जो उलझन है उस उलझन को बिल्कुल साफ कर देना चाहिये। इस से सरकार का भला होगा और गरीब जनता के पैसे का भी अच्छा उपयोग हो सकेगा।

जहां तक खाद का प्रश्न है, खेती के लिये वह बहुत आवश्यक है। खेती की तरक्की के लिये दो, तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो पानी और दूसरे यंत्र वगैरह जो हैं वे तो हैं ही, लेकिन इसमें सब से ज्यादा महत्व खाद का है। आज हमारे जिले के सामने ही नहीं, हमारे राज्य के सामने ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान की किसान जनता के सामने एक बहुत बड़ा अहम और गम्भीर प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि किसान अपने गोबर को, जिसकी कि खाद बहुत अच्छी बन सकती है, जो उसे मुफ्त में मिलता है, उसको वह ईंधन के रूप में जला डालता है और इस तरह से एक नेशनल बेसिस पर खेती की तरक्की का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश बेकार हो जाता है। क्या सरकार ने कभी इस चीज पर विचार किया कि अगर इसी तरह से यहां निरन्तर गोबर जलता रहा तो किसान की खेती की तरक्की कैसे होगी और क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिये कोई हाई पावर कमेटी बनाई गई जो उस बात की खोज करती कि गोबर की जगह किसान के लिये और कौन-सा आल्टरनेटिव फ्यूअल हो सकता है जिसको देने पर यह कीमती चीज खाद के लिये वह बचा सके।

यहां बनारसीदास जी कहते हैं कि हम किसान की हर सुविधा को बड़े ध्यान से देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि खेती की या और किसी समस्या की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खेती के मसले में सब से अहम सवाल यह है कि आज यहां विकास का कार्य हो रहा है, हमारी दो पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना भी लागू हो चुकी है और नई सड़कों, नहरों, पुलों और उद्योगों का निर्माण हो रहा है और नये नये मेन्स, चैनेल्स और डिस्ट्रीयूटरीज बन रही हैं, लेकिन उनके द्वारा खेती की जमीनों का जो कुदरती बहाव चला आता था उसको मसनुई तरीके से रोका जा रहा है। इस तरह से इस पर इंजीनियर्स और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानसहाय]

सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि सन् १८६४ में सरकार ने शाहजहांपुर-बरेली की एक मिलिटरी रोड बनाई थी, इस सड़क के बहाव का ढाल पच्छिम से पूर्व की तरफ को था और इसका पानी तिलहर के पास से १२–१५ मील गर्रा नदी में जाता था। लेकिन जब से नहर बनी है तब से हर आधे मील पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनी हैं तब से नतीजा यह हुआ है कि छोटी-मोटी नदी, नालों तक का पानी मीलों में बट कर निकल जाता था लेकिन अब वह पानी ३–४ फुट उठ जाता है और कपसेंडा की कोठी के पास गांवों को बचाने के लिये हर साल नहर काटनी पड़ती है। पता नहीं कि नई सड़कें और डिस्ट्रीब्यूटरी बनाते वक्त कोई प्लानिंग या बहाव का मसला देखा जाता है या नहीं। आज हालत यह है कि जो बड़ी नदियां, गंगा और रामगंगा, हैं उनमें तो कम बाढ़ आती हैं, लेकिन आदमी की पैदा की हुई बाढ़ अब अधिक आती है। इसका भयंकर परिणाम यह होता है कि केवल खेती ही नष्ट नहीं होती और पानी ही नहीं भरता बल्कि साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति ही खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है।

अब आप सरकार की मद्य निषेध नीति को देखिये। उनका कहना है कि हम मद्यपान को पसन्द नहीं करते और इसीलिये हमने कई जिलों को सूखा जिला कर दिया है। लेकिन जब से यह नीति अपनाई गई है उसके बाद से शराब के ठेकों की रकम में अनापशनाप वृद्धि हुई है और हर वह ठेका जो पहले ५ हजार का नीलाम होता था वह अब दस और बीस हजार का नीलाम होता है और एक ठेके पर पहले जितना लिकर कन्ज्यूम होता था अब उसका दुगुना और तिगुना कंज्यूम होता है। यह इनकी मद्यनिषेध पालिसी है और यह उसकी सफलता है। इसके अलावा आप देखें कि यहां से ५ मिनट दूर के रास्ते पर ही एक बड़ा एडवर्टिजमेंट बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि 'बीयर इज नरशिंग–बीयर विन्स फ्रेन्ड्स'। यह मद्यनिषेध की पालिसी हमें किस तरफ ले जा रही है ?

जब शिक्षा की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ स्कूल कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं, आबादी ज्यादा बढ़ रही है और स्कूल कम तेजी से बढ़ रहे हैं। नतीजा यह होगा कि २०, २५ साल बाद जो जनरेशन आयेगी उसकी दो-तिहाई आबादी बेपढ़ी लिखी होगी।

अगर सरकार की जंगल की नीति को देखें, न्याय नीति को देखते हैं तो पाते हैं कि जंगलों के बहुत से पट्टों का मसला आज तक तय नहीं हो पाया। इसके अलावा उसकी अपील फारेस्ट सेटिलमेंट अफसर के यहां की जाती है जिसकी अपील सुनी जाती है जिलाधीश द्वारा और इन दोनों के खिलाफ अपील सुनते हैं मंत्री जी। मंत्री जी को कोर्ट्स की पावर किसने दी ?

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

कारागार राज्य मन्त्री (श्री गोविन्दसहाय)—अध्यक्ष महोदय, मुझे कई साल से इस सदन में बजट पर हुई सामान्य बहस को सुनने का मौका मिलता है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई दृष्टि से इस साल की बहस का स्तर पहले की बहसों से ज्यादा अच्छा मुझे लगा और इसका श्रेय जाहिर है, अपोजीशन के लोगों को भी जाता है।

सदन में बहुत सी बात कही गईं। वे अपनी-अपनी जगह सही भी हो सकती हैं। लेकिन इन बातों के आधार पर जो नतीजे निकाले हैं उनसे मेरा इख्तलाफ जरूर है। जहां तक बजट का ताल्लुक है बजट एक वह शीशा है जिसके जरिये से सरकार की इच्छाओं, इरादों और आकांक्षाओं की झलक देखने को मिलती है। इसलिये सरकार के बजट को दो ही नजरों से देखा जाता है कि जिस तरफ़ वह ले जाना चाहती है उस तरफ़ ले जाने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं कि नहीं। जो जराये मिले हैं उनका ठीक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है या नहीं ? अगर यह चीज मिलती है तो कुदरतन आपको मानना होगा कि यह बजट एक अच्छा बजट है।

जहां तक इस बजट का ताल्लुक है इसके खिलाफ जो बातें कही गईं मैं पहले उनको २ हिस्सों में बांटता हूं। एक तरफ तो विरोध में ऐसी बातों को कहा गया जो इधर से दावा नहीं किया गया। जैसे मैंने सुना कहा गया कि यह समाजवादी बजट नहीं है। यह क्रान्तिकारी बजट नहीं है। यह पूंजीवादी बजट है मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जबरदस्ती हमारे मुंह में रखी जाती है। हम में से कोई यह नहीं कहता कि यह क्रान्तिकारी बजट है और न यह कहते हैं कि यह सोशलिस्ट बजट है। जो हम कहते हैं उससे आप मापने लगायें कि आया जो हम कहते हैं उसके अनुकूल है कि नहीं। सिर्फ हम इतना कहते हैं कि यह बजट एक वेलफेयर स्टेट का बजट है जिसमें पिछले १० साल में अपने ढांचे को पुलिस स्टेट से बदल करके वेलफेयर की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है और इस वेलफेयर स्टेट के जरिये हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इसलिये जो दावा हमने नहीं किया है उसे जबरदस्ती हमारे मुंह में रख कर आक्रमण करना ठीक नहीं है।

इसी तरीके से जहां तक इस बजट के बारे में और बातें कही गईं उनका भी कुछ अंशों में उत्तर जरूरी है। कहा गया कि यह बजट एक दीवालिया सरकार का बजट है जो पूंजीवादी प्रवृत्ति को जाग्रत कर रही है, बढ़ावा दे रही है और सोशलिज्म के नकाब में बढ़ावा दे रही है। वैसे तो अपोजीशन के लोगों को आजादी है जो बात वे चाहें कह सकते हैं और नीयत पर भी थोड़ा बहुत हमला हो ही जाता है और कुछ डेमोक्रेटिक पेटर्न में ये बातें सुनने को भी मिलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदरणीय सदस्य ने कहा कि सिनेमा में यह दिखाया जाता है कि आप इस किस्म की शराब पीजिये। मैं कबूल करता हूं इस बात को, लेकिन डेमोक्रेटिक प्लानिंग में आपको अधिकार है प्लानिंग के विरोध में भी अपनी आवाज उठाने का। मेरा कहना है कि शराबबन्दी होनी चाहिये और शराब बनाने वाले लोगों को भी अपनी शराब पापूलराइज करने का अधिकार है। हमको एजूकेशन के जरिये लोगों को समझाना होगा, लकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट बन्द हों तो हमें कोई उलझन नहीं है। आप कबूल करिये कि हम टोटेलेटेरियन प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं तब ये बातें हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्लानिंग में हमारा जो मौजूदा सेटअप है उसमें अगर इस किस्म की चीजों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है तो उसमें कोई ज्यादा अच्छा नतीजा नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर ऐक्शन लें तो वह आदमी हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में जा कर हम ऐक्शन लें और फैसला हमारे खिलाफ हो जाय तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला भी हम नहीं मानते।

जो बातें सदन में कही गयीं उनसे अच्छा नतीजा निकले इसके लिये जहां हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपना दिलो दिमाग साफ रखें, वहां आप लोग भी अपने दिलो दिमाग को साफ कर लीजिये कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपने अपोजीशन के दोस्तों से चाहूंगा कि वे भी निःसंकोच हो कर बतला दें कि वे किस किस्म का पेटर्न और प्लानिंग चाहते हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक प्लानिंग चाहते हैं तो आपको इस किस्म की चीजों के लिये तैयार रहना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन—आपकी इवेलुएशन कमेटी की रिपोर्ट ही सरकार मान जाती।

श्री गोविन्दसहाय—वह मिसाल इससे कोई वास्ता नहीं रखती है। बहरहाल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी रिपोर्ट के सिलसिले में इतनी अच्छी आस्था है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सरकार पर पूरा असर डालने की कोशिश करूंगा कि मेरी रिपोर्ट को माना जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है। अभी हमारे मित्र डाक्टर अहमद ने कहा कि हमारे प्रदेश में क्राइसिस आफ रिसोर्सेज है। मैं सिर्फ इतनी तरमीम करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे समूचे देश में एक क्राइसिस आफ फेथ है। हमारे दिलो दिमाग में इस मामले में बिलकुल एक निश्चय होना चाहिये। यदि हम

[श्री हरगोविन्दसहाय]

प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक साधनों से जाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में जो पाबन्दियां हैं जो दुश्वारियां हैं उनको भी हमें अपने सामने रखना पड़ेगा और उनको सामने रख कर ही हम सारी प्लानिंग के प्रोग्रेस को समझ सकते हैं।

जहां तक कैपिटलिज्म का ताल्लुक है वह एक मित्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में रुपये पैसे के जरिये वोटों को लिया जाना खतरनाक तरीका है। मैं उनकी इन बातों की वकअत करता हूं। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि उनको इस किस्म के खतरे से अपने को बचाने की ज्यादा जरूरत है। अगर मनी बेग्ज हमारी राजनीति में गुजरे हैं तो हमारी रैंक्स के जरिये नहीं गुजरे हैं वे किसी दूसरी तरफ से घुसे हैं उन्हीं दोस्तों को अपने को ज्यादा बचाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस किस्म के रुझान का जो जिक्र किया, मैं किसी की नियत पर हमला नहीं करता न किसी का नाम बतला सकता हूं, यह हकीकत है कि मनी बेग्ज ने अपना असर फैलाना शुरू किया है और इस सेंटीमेंट की मैं कद्र करता हूं, लेकिन इसका लांछन इधर आता है इसे मैं मुनासिब और ईसाफपसन्द नहीं समझता। यह जहां आता है वे लोग अपने-अपने दिल टटोलें और उन्हें आसानी से पता चल जायगा कि मनी बैग्स ने कहां असर शुरू किया है।

दो, तीन बातें जो उठायी गयीं वे भी मैं समझता हूं उसूल की बातें हैं। इस प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है यह सही है। पुराने जमाने का जो हमारा एकोनामिक थाट है उसमें यह बात बुरी समझी जाती थी। लेकिन आजकल के जमाने में जो नया सोशलिस्ट थाट है उसमें यह रुख बिल्कुल बदल गया है। आजकल के जमाने में देखने की चीज यह होती है कि जो कर्जा लिया जाता है उससे असेट्स बनते हैं या नहीं। और यह हमारे ही लिये जरूरी नहीं है। आजकल का रुख यह है कि जितने भी बैकवर्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तीन, चार तरीकों से अपना निर्माण किया है। बारोइंग एक बहुत पापुलर तरीका है। यहां तक कि सोवियट रूस जैसे देश ने, जिसे डर था कि शायद कर्जा न मिले, बड़े पैमाने पर अपने देश के लोगों से भी और बाहर से भी कर्जा शुरू के दौरान में लिया। दूसरा तरीका है टैक्सेज और तीसरा है इनर रिसोर्सेज को बढ़ाना। हमारे प्रदेश में भी बारोइंग है, टैक्सेज हैं, सेन्टर से मदद है। ये तो लोकल चीजें हैं। सुझाव यह दिया गया कि हमें अपनी अन्दरूनी आमदनी बढ़ानी चाहिये। इस सुझाव के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। अन्दरूनी आमदनी कैसे बढ़ानी चाहिये उसके लिए कदम उठाये गये हैं या नहीं। मेरा खयाल है कि अन्दरूनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न जरूर हमारे प्रदेश में हुआ है।

उस रोज भी मेरे दोस्त डाक्टर अहमद ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और आज भी कहा इस विषय के ऊपर कि अगर हमें कम भी जानकारी हो तो अपोजीशन के दोस्त जो सोशलिज्म में यकीन करते हैं उनसे हम यह दावा नहीं करते हैं कि हम सब जानते हैं, हम खुद बहुत सी बातें जानना चाहते हैं कि सोशलिस्ट ट्रांसफार्मेशन का टेकनीक क्या है। उन्होंने सुझाव यह दिया कि आप प्रोडक्शन के बेस को मजबूत बनाइये। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन क्या मैं यह समझूं कि इस तरफ कोई कोशिश नहीं हुई? मेरा खयाल है कि दस साल के अन्दर सारी प्लानिंग का मकसद ही यह है कि हमारे प्रोडक्शन का बेस मजबूत बनना चाहिये। किसान को पहले जमीन का मालिक बनाया जाना चाहिये। उसके बाद उसे उन्नत तरीके के साधन जुटाये जायं, पानी, खाद, बीज दिये जायं। किसान जो पैदा करता है उसके उचित दाम मुकर्रर किये जायं। यही सब स्टेप्स हो सकते हैं और मेरा खयाल है कि इन सब स्टेप्स की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इसलिये जहां तक सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट दोस्तों का ताल्लुक है मैं बड़ी कद्र करूंगा अगर अलावा इसके कुछ और बात वे बतावें कि प्रोडक्शन का बेस मजबूत बनाने के लिये ये ये कदम हमें और उठाने चाहिये। जितना सीमित हमारा काम करने का ढंग है उसमें इतनी ही बातों को सोच सकते थे। आखिर आप एक कैपिटलिस्ट एकोनामी की तरफ से सोशलिस्ट एकोनामी की तरफ

जा रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़ी हों या न पढ़ी हों, लेकिन मैंने सोशलिस्ट मुल्कों को देखने, समझने और उनकी टेक्निक्स को जानने की काफी कोशिश की है। मेरा खयाल है कि जो सोशलिस्ट देश और थिंकर्स हैं वे भी यह मानते हैं कि सोशलिज्म को लाने के लिये एक स्टेज में कैपिटलिज्म का डेवलपमेन्ट भी जरूरी है। यानी जैसे कहा गया कि अमीर अमीर बनता जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह सही है, लेकिन जब कोई चीज अपनी जिन्दगी के आखिर में होती है, जैसे बुझते हुये चिराग की लौ में काफी तेजी होती है वैसे ही कैपिटलिज्म अपने आखिरी दौरान में असमानतायें पैदा करने की कोशिश करता है और उसका नेचुरल फेज यही है कि उसमें अमीर अमीर बनता है, लेकिन दायरा उन अमीरों का कम हो जाता है। इसलिये यह कोई घबराने की चीज नहीं है यह एक हिस्टारिकल प्रोसेस है, इसमें घबराने की बात हो सकती है, यह हो सकता है कि हम थोड़ा-सा अपने मकसद से हट जायं। मैं इसे एक हिस्टारिकल प्रोसेस समझता हूं। मुझे खुशी होती है जब यह कहा जाता है कि प्रदेश में बेचैनी है। जो सामाजिक क्रान्ति में विश्वास करते हैं उनको इस बेचैनी से घबराना नहीं चाहिये। असन्तोष तो अनिवार्य है और बिना असंतोष के हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिये विचारक कहते हैं कि नई क्रान्ति होनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि—

"Chaos and confusion is necessary for the birth of a new life and a birth of a new life is always accompanied by agony and pain, and India is passing through this inevitable phase."

यह तो अनिवार्य दौर है इसलिये इसमें किसी तरह से घबराने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी आजादी अपने दामन में एक नई जिन्दगी के ख्वाब लाई है और आज लोगों के सोचने के ढंग में तब्दीली हो गई है।

श्रीमन्, मैं इसकी एक ही मिसाल इस आदरणीय सदन के सामने देना चाहता हूं कि आज से २० साल पहले ३५ लाख आदमी बंगाल में भूख से मर गये, लेकिन देश में कोई क्रान्ति नहीं हुई और एक भी राशन की दूकान नहीं लूटी गई और न कोई हंगामा ही हुआ। इसलिये कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उस समय लोगों के सोचने का ढंग दूसरा था और लोग सोचते थे कि यह काम सरकार का नहीं है। लेकिन आज हालत यह है कि अगर एक भी आदमी कहीं भूख से मर जाय तो चाहे कांग्रेस एब्सोलूट मेजोरिटी में है, लेकिन वहां जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा दावा है कि हम एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देंगे। (व्यवधान) मैं आप से कहता हूं कि अगर एक भी वाकया हो जाय तो आज एडजर्नमेंट मोशन मूव कर सकते हैं और वही मुनासिब भी होगा। मैं तो लोगों की थिंकिंग में जो तब्दीली हो गई है उसको बता रहा हूं। लोगों के थिंकिंग में रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। जो काम पहले सरकार नहीं करती थी आज उसके लिये हर आदमी सरकार की तरफ देखता है। जैसे मेरे लड़के को रोजगार मिल जाय, मेरी सेहत ठीक हो जाय, मेरे गांव में कुआं बन जाय, ये काम सरकार नहीं करती थी। इन चीजों को पूरा करने के लिये हमारे प्रदेश में टेक्नोलाजीकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम लोग सोचने के ढंग में बहुत आगे बढ़ गये हैं, लेकिन साधन जुटा नहीं पा रहे हैं।

श्रीमन्, मिसाल के तौर पर २-३ बातें सभी तरफ से कही गई हैं कि सरकार में बहुत बड़ा वेस्टेज है, बड़ी भारी इनएफीशियेन्सी है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि इसमें हमें मजा आता है ताकि विरोधी दल वाले कह सकें कि इस तरह से वेस्टेज हो रहा है। एक बात मैं जरूर मानता हूं कि जहां जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां वेस्टेज होने का एक कारण है। लेकिन जो प्लानिंग की बात कहते हैं वह एक बात भूल जाते हैं, मुझे पहली बार सोवियट रूस देखने का मौका मिला, मेरे दोस्तों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि शुरू के २२ साल तक तो वहां के सिविलियन्स को घड़ी तक नहीं मिलती थी। उनके पास बहुत से कंज्यूमर गुडस (Consumer Goods) नहीं थे। लेकिन वे अपने देश की इस दशा में भी खुश थे क्योंकि उनका थिंकिंग यह था कि हम नया समाज बना रहे हैं। चीन में देखिये कि सारे सिविलियन्स एक सा ही कपड़ा पहनते हैं और अपने फाइन कपड़े हांगकांग को भेजते हैं। यदि हम कहें कि

[श्री गोविन्दसहाय]

कपड़े में किफायतशारी करो तो लोग कहेंगे कि ऐसी बात अंग्रेजी राज्य में भी नहीं थी। ऐसी पाबंदियां उस समय भी नहीं थीं जो आप लगा रहे हैं। जो आदमी प्लानिंग में विश्वास करते हैं उनको जान लेना चाहिये कि प्लान पीरियड में लोगों को सफर करना ही पड़ता है। जब बैकवर्ड इकोनामी को इंडस्ट्रियल इकोनामी में लाते हैं तो शुरू के १०–१२ साल का जमाना बड़ा सख्त होता है। यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है सही बात है। यहां से किसी ने कहीं कहा कि यह प्रदेश जन्नत बन गया है। मैं कबूल करता हूं कि पिछड़ा है, बहुत खामियां हैं। इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा की कमी है, बेकारी भी है यह वाक्या है। अब आप कहते हैं कि यह प्रदेश केरल, मैसूर और मद्रास के मुकाबले बहुत पिछड़ा है। वह प्रदेश बहुत आगे बढ़ गये हैं १० साल में। तो मैं इतना ही बड़े अदब से गुजारिश कर सकता हूं कि यह आप इंसाफ की बात नहीं कहते हैं। एक प्रदेश को तरक्की करने के लिये जो पोट्शल्स चाहिये उनमें से बहुत सी चीजें केरल, मद्रास और मैसूर में पहले से हमसे ज्यादा थीं। पावर की बहुत कमी हमारे यहां थी प्लानिंग से पहले से वह काफी ऐडवान्स थे इन मामलों में। हर स्टेट में हर खूबी हम नहीं ला सकते हैं। जितनी इंडस्ट्रीज के मामले में तरक्की हुई है वह उधर ज्यादातर हुई है। कुछ हर स्टेट का अपना फैशन होता है हर एक का अपना ढंग होता है। यू० पी० में ही तो सब चीजें नहीं थीं। कुछ मामलों में यू० पी० आगे था।

ऐग्रीकल्चर के मामले में भी हम पीछे थे। हमारे यहां पयूडल किस्म की एकोनामी थी। एक पुराने किस्म की जमींदारी प्रथा यहां के लोगों के ऊपर चढ़ी हुई थी। तो दोनों दृष्टियों से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, जब प्लानिंग शुरू हुई थी हमारा प्रदेश तभी से दूसरे प्रदेशों से पीछे था। अब इन पिछले १० सालों के अन्दर तरक्की हुई या नहीं। हमने यहां एक और कृषि की पद्धति को बदला और दूसरी ओर उससे सम्बन्धित बातों को बढ़ाया, पावर को बढ़ाने का सिलसिला जुड़ा। यह बात जो कही जाती है कि रुपये का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक नहीं है। यह हो सकता है कि कुछ रुपया इस्तेमाल न हो सका हो, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किया है। बीसियों बातें होती हैं। कभी पावर की कमी है और कभी कोयले की। आज के जमाने में बीसियों बातें जुड़ कर तब तरक्की होती है। मैं एक मिसाल देता हूं जिससे आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस इंटरडिपेन्डेंस के जमाने में जरा-सी एक चीज से कैसी रुकावट होती है। मैं आपको मिसाल दूं कि कितनी चीजों को जोड़ कर मोटरकार चलती है। सड़क, मोटर, ड्राइवर, टायर, ट्यूब सभी ठीक होंगे तो कार चली, लेकिन अगर एक आदमी जरा सा पंक्चर कर दें तो मोटर रुक गयी। तो एक आदमी की वजह से चलती हुई चीजें रुक जाती हैं और सिर्फ आदमी ही नहीं जानवर भी आज की दुनिया में अपना हाथ रखता है। अगर एक गधा बीच रास्ते में आ जाय और उसने जरा सी दायें बायें की कि मोटर-कार में ऐक्सीडेंट हो जाय। तो एक गदहा इतनी ताकत रखता है कि मोटरकार का ऐक्सीडेण्ट कर सकता है तो अगर एक इन्सान का दिमाग बरगश्ता हो जाय तो न जाने कितने ऐक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिये मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जो तस्वीर का पहलू है वह सब देखकर तब तस्वीर के बारे में कहा जा सकता है।

एक सदस्य—आपने जो पहलू देखा है वह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय—मुझे आपकी बहुत सी बातें अच्छी लगीं, लेकिन अगर आपको मेरी एक बात नहीं भी अच्छी लगी तो भी आपको बरदाश्त से मुझे सुनना तो चाहिये। तो मैं जो बात कह रहा था वह यही थी कि प्लानिंग को कामयाब करने के लिये महज इधर के लोगों को ही ठीक होना नहीं है आपको और हमें इस तरह से अमल करना है जिससे लोगों का सेकूलर ऐटीट्यूड बन सके। प्लानिंग हो नहीं सकती जब तक हमारा दृष्टिकोण सेकूलर नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं अपोजीशन से कहना चाहता हूं कि यह सही हो सकता है कि उनके दिल में हमसे भी ज्यादा सोशलिज्म की आग और तलब है, लेकिन इतनी बात सही है कि बजट जो है उस पर आपका इंसाफ का रुख होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—आप तो सोशलिज्म पर बहुत बोला करते हैं इस समय भी कुछ कहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका वक्त इन बातों में न खत्म हो जाय।

श्री गोविन्दसहाय—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दोस्त की काफी सुनी है वे मेरी बातें तो थोड़ा धैर्य से सुन लें। तो मैं यह कह रहा था कि बजट पर इंसाफ का उनका रुख होना चाहिये। इसमें वह यह भूल गये कि इस बजट में जो खर्चा बढ़ा है वह सब ऐक्टीविटीज पर बढ़ा है। वह रिवोल्यूशनरी इस माने में नहीं है कि हमने कोई नयी बात इस साल बजट में कर दी या कर देते। दस साल से कामों का क्रम आ रहा है। वह क्रम इस साल के अन्दर और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत की गयी है कि यह सरकार टैक्स लगाना चाहती है। मैं मानता हूं कि टैक्स जिन पर लगता है तो, न केवल वह जिनके पास देने को नहीं है, जिनके पास देने को है, उनको भी टैक्स देना बुरा लगता है। इसलिये अगर टैक्सों को बचाया जा सके तो साधारण लोग उसको पसन्द करते हैं, लेकिन हमें ओपेन माइन्ड के साथ सोचना है कि अगर आप को प्लानिंग करनी है, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना है, शिक्षा को, सेहत को, बिजली को, टेक्निकल शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में जाना है, अपने कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना है तो हम जितनी बारोइंग कर सकते हैं उतनी बारोइंग भी करते हैं और इंटरनल रिसोर्सेज को भी टेकअप करते हैं। इस क्वैश्चन के ऊपर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव नहीं होना चाहिये। टैक्सेशन नहीं बढ़ना चाहिए। दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि टैक्सेशन को कम करने के लिये खर्चे को किन दिशाओं में कम किया जा सकता है कोई जिद की बात नहीं है कि हमने जो कह दिया वह बादशाह की बात है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें खयालात का आदान-प्रदान होता है। अगर दोनों तरफ का एक क्रिएटिव नजरिया हो जाय तो यह काम हल हो जाय। प्लानिंग में एक क्राइसिस होता है। उसको निर्भीकता के साथ हल करना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान की प्लानिंग बड़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। क्राइसिस हम हल करते हैं अपनी दृढ़ता से। मैं एक मिसाल देता हूं।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है केवल यह कि इतने स्कूल और कालेज बन जायं यह काफी नहीं है। अगर जो विद्यार्थी उनमें पढ़ते हैं वह सोशलिज्म की Anti Thesis हो तो इससे सोशलिज्म नहीं आयेगा। शिक्षा को नयी दिशा देनी होगी। न्याय के ढांचे में परिवर्तन करना होगा। जादू के जरिये सोशलिज्म नहीं आता है। वह एक प्रोसेस है। कैपिटलिज्म के डेवलपमेन्ट करने में १०० साल लगे थे। सोशलिज्म के प्रोसेस में भी काफी वक्त लगता है। सोशलिज्म की मान्यताएं दूसरी हैं। उसमें शिक्षा को बदला जाता है। न्याय को बदला जाता है। शासन के ढांचे को बदला जाता है। इस तरफ हमारा ध्यान जुटाया जाना चाहिये।

मुझे स्वतंत्र पार्टी के दोस्तों से या जनसंघ के दोस्तों से कोई शिकायत नहीं है। वह बुनियादी तरीके से सोशलिज्म में यकीन नहीं करते, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट-पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों से मैं जरूर आशा करता हूं कि वह कोई ऐसा काम न करें जिससे जिस नाजुक दौर में हिन्दुस्तान में सोशलिज्म है उसको नुकसान पहुंचे, जैसे जर्मनी में १९३१, ३२ और ३३ में लाखों करोड़ों आदमी पेंडुलम में खिचे रहते थे। सबेरे फासिस्ट और शाम को कम्युनिस्ट हो जाते थे। इसलिये, सोशलिस्ट दोस्तों को एक हिस्टरी का चैलेंज है, उसको हम मीट कर सकते हैं एक नया इत्तफाक पैदा करके, सोशलिस्ट टेक्नीक्स को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन में चला करके और इस तरीके से एक ब्राड सोशलिस्ट फोरम पैदा करके मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और उससे लाभ होगा। चाहे उग्रसेन जी मेरी बात को आज न मानें, लेकिन (व्यवधान) जहां तक बातों का ताल्लुक है मैं यह कह सकता हूं कि आप भी बराबर पांच साल से वही बात कहते चले आ रहे हैं जो आज कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं वह आज से चार साल पहले, पांच साल पहले, दस साल पहले जो कहता था वही आज भी कहता हूं। मैं यकीन करता हूं कि सोशलिज्म मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी के जरिये लाना ज्यादा सम्भव है। इसलिये मैं उसकी ताईद करता हूं और उस पार्टी के अन्दर जितनी आवाज सोशलिज्म

[श्री गोविन्दसहाय]

के विचार को मजबूत करने की उठा सकता हूं वह उठाता हूं। और आप भी वह काम बाहर से करें और मिलजुल कर करें तो मेरा खयाल है कि आप सोशलिज्म को ज्यादा सेवा करेंगे। वरना कोई सोशलिज्म की आवाज लगाने से सोशलिज्म नहीं हो जाता है। सोशलिज्म एक नयी चीज है, एक नया ढांचा है, एक नया दर्शन है। इसने करोड़ों इन्सानों की जिन्दगी को सम्हाला है। हमें इतिहास ने उसे अपने देश में लाने का मौका दिया है। एक मौका हम उठा चुके हैं। इतिहास में एक काम हम पूरा कर चुके हैं। अपने मुल्क में अपनी आजादी को हमने हासिल किया। अब उसे सोशलिस्ट मुल्क बनाने की हमारी हिस्टारिक रेस्पांसिबिलिटी है। उसको पूरा करना हमारा कर्त्तव्य है और आज इस बात की जरूरत है कि हम और आप मिलकर उसको पूरा करें।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार माथे पर केवल तिलक धारण कर लेने से, अथवा खादी की धोती या कुर्त्ता पहन लेने से कोई धर्मात्मा या गान्धीवादी नहीं हो जाता, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि अपने को प्रगतिशील कहने लगे तो वह प्रगतिशील नहीं हो जाता है। हमारी वर्त्तमान सरकार कहती है कि वह बहुत प्रगतिशील है। हां, यह जरूर है कि जब हम उनसे कहते हैं कि टैक्सेज कम लगाओ, खर्चा कम करो, तब उत्तर यह मिलता है कि हमारी एकोनामी तो डाइनेमिक है, एक्सपेंडिंग है। श्रीमन्, यह बड़े-बड़े अंग्रेजी के शब्द हैं, जिनसे हमारा मुंह बन्द करने की कोशिश की जाती है। अगर हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ती, खुशहाली बढ़ती, बेरोजगारी दूर होती, तो मैं समझता कि हमारी एकोनामी एक्सपेंडिंग और डाइनेमिक है। लेकिन बढ़ क्या रहा है? कर्जा, टैक्स, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। क्या यही एक्सपेंडिंग और डाइनेमिक एकनामी के लक्षण हैं? मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, श्रीमन्। इस पुस्तिका में ही छपा हुआ है कि क्या नतीजे निकले हैं पिछले दस वर्षों में। कल मंत्रिमण्डल के एक सदस्य ने एक सूचना विभाग से प्रकाशित लीफलेट पढ़ के सुनानी शुरू की कि इतनी सड़कें बनीं, इतनी बिजली बनी, इतने स्कूल खुले और श्रीमन्, यह सब होने का नतीजा क्या निकला? अंग्रेजी में एक कहावत है, The proof of the pudding is in eating it, मिठाई का फैसला उसके खाने में ही हो सकता है। आपने सब कुछ किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वह मैं आपकी आज्ञा से इस पुस्तिका में से दो, तीन लाइनें पढ़ के सुना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—कौन सी पुस्तिका है?

श्री भानुप्रतापसिंह—वही पंचवर्षीय योजना वाली।

इस राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। राज्य में कृषि वस्तुओं का प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन नाम मात्र को ही बढ़ा है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटा है। श्रीमन्, उत्पादन घटा है या ज्यों का त्यों बना हुआ है, यही परिणाम निकले हैं पिछले दस वर्ष के इनके प्रगतिशील कार्यक्रमों के। आर्थिक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य भी कुछ माप दंड हैं किसी शासन के गुणों को समझने के लिये। शासन में न्याय कैसे होता है। शासन में शान्ति और व्यवस्था कैसी है। अमनो अमान कैसा है। शासन की नीति के फलस्वरूप लोगों में प्रेम और एकता की भावना बढ़ी है या नहीं? यह हैं अच्छे शासन के गुण। इस दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो यह शासन असफल रहा है। मैं अपनी बातों को नहीं बतलाता हूं। आप गांवों में जाइये और १०० किसानों से, जो न किसी पार्टी के हैं और न उनकी किसी से कोई विशेष दिलचस्पी है, उनसे पूछिये कि इस राज्य में जो शासन का ढंग है, क्या उससे वह सन्तुष्ट हैं। श्रीमन्, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं, परन्तु हिन्दुस्तानी अवश्य हूं। जब वह गांव वाला कहता है कि इससे तो कहीं बेहतर अंग्रेजी राज्य था तो यह सुनकर मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है। मैं कहता हूं कि आप किसानों के पास एक निष्पक्ष व्यक्ति

को भेज दीजिये उत्तर प्रदेश के किसी गांव में और वह जाकर इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो उसको १०० आदमियों में ९० और इतने नहीं तो ७५, ८० व्यक्ति ऐसे जरूर मिलेंगे, जो यह कहेंगे कि इससे तो अच्छा अंग्रेजी राज्य था ।

जहां तक एकता और प्रेम बढ़ाने का प्रश्न है अपने देशवासियों के अन्दर, उसके सम्बन्ध में निवेदन क ंगा कि पहले एक साम्प्रदायिकता थी हिन्दू और मुसलमान की और वह धर्म पर आधारित थी । आज अनेक साम्प्रदायिकतायें हैं । वह धर्म की बात तो अब पुरानी हो गई । भाषा की और राज्य की साम्प्रदायिकतायें हैं, एक नई साम्प्रदायिकता को जन्म दिया जा रहा है । वह है वर्ग का । वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, । श्रीमन्, जिस समय मैं चुनाव में मशगूल था, तो कांग्रेस पक्ष से केवल एक बात मेरे विरोध में कही जाती थी कि मैं जालिम जमींदार हूं, मुझको वोट न दिया जाय । वास्तव में मैं जमींदार कभी नहीं रहा । दो पुश्त पहले हमारे यहां जमींदारी टंग चुकी थी । सिवाय इसके और कोई बात कांग्रेस वालों ने मेरे या मेरी पार्टी के विरुद्ध पेश नहीं की थी । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रचार से जो वह चाहते हैं कि एकता हो, भावनात्मक एकता उत्पन्न हो, वह पैदा नहीं होगी । गांधी जी किसी इन्स्टीट्यूशन को बुरा कहते थे ? अंग्रेजी राज्य को वह बुरा कहते थे अंग्रेजों को उन्होंने कभी बुरा नहीं कहा, लेकिन हमारे समाजवादी भाई जब कहीं भी जाते हैं तो इस तरह की बात करते हैं ।

समाजवाद के विषय में बहुत बातें इस सदन में हुई हैं और अगर कोई बाहर का आदमी यहां आकर सुने इधर की और उधर की समाजवाद की बातें तो शायद उसका दिमाग खप्त हो जायगा । कितना अन्तर है तरह तरह के समाजवाद में और कितने प्रकार का है यह समाजवाद । ५, ६ प्रकार का समाजवाद तो मैं ही गिना सकता हूं । एक समाजवाद तो वह था जो रूस में प्रचलित था, वह स्टैलिन का समाजवाद था । अब ख्रुश्चेव का दावा है कि स्टैलिन से उनका समाजवाद अच्छा है । स्टैलिन के समाजवाद को उनके साथ ही कबर में दफना दिया गया था, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जब स्टैलिन की कबर खोदी गई तो, वह समाजवाद मास्को से निकलकर पेकिंग में पहुंच गया । उससे मिलत-जुलती माओ तुत्से तुंग का समाजवाद है । एक मार्शल टीटो का समाजवाद है । एक समाजवाद हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल का है । उसकी एक बड़ी विशेषता यह कही जाती है कि वह बड़ा लचीला समाजवाद है और सम्भव है इसके लचीलेपन पर ही हमारे देश वाले इतना लट्टू हो गये हैं । इसके लचीलेपन का एक नमूना अभी श्री गोविंद सहाय जी ने प्रस्तुत किया था । आपने कहा कि समाजवाद की एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब पूंजीवाद बढ़ जाता है । बताइये कि यह लचीलेपन का उदाहरण है या नहीं ? तो यह लचीला समाजवाद पं० नेहरू का है । चाहे पूंजीवाद की तरफ से आक्रमण करिये या किसी दूसरे तरफ से, यह समाजवाद हर तरफ झुक जायगा । (लाल बत्ती होने पर) आपने मुझे ५ मिनट और देने को कहा था ।

श्री अध्यक्ष—वह कल कहा था । लेकिन आप दो मिनट और ले लें ।

श्री भानुप्रतापसिंह—अब दूसरा समाजवाद प्रजासमाजवादियों का समाजवाद है लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते और इसलिये ऐसा मालूम होता है कि यह कुछ कटीला समाजवाद है । इसके बाद डाक्टर लोहिया का समाजवाद है । वह लड़ाकू समाजवाद है । तो इतने प्रकार के समाजवाद हैं । (व्यवधान) श्रीमन्, मेरे दो ही मिनट बाकी हैं इसलिये मैं अपनी बात कह देना चाहता हूं । मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि वास्तव में समाजवाद लाना है तो टैक्सों का लगना नहीं बंद हो सकता । लाइसेंस, परमिट और कोटा भी हम नहीं बंद कर सकते और फिजूलखर्ची भी नहीं रोक सकते । मैं इस तरफ बैठे समाजवादियों को बतलाना चाहता हूं कि जो वह समझे हैं वह है नहीं । वास्तव में समाजवाद का मतलब, गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी दूर करना नहीं है । अगर ऐसा होता तो इस देश में जो अंतर बढ़ता जा रहा है, वह कुछ घटता । रूस में आज भी करोड़पति विद्यमान हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह बड़ी गलत चीज है । आप लोग नेता होकर इस प्रकार बोलते रहते हैं ।

श्री भानुप्रतापसिंह—दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी सदैव आशाओं पर ही पलते हैं । कोई नहीं कहता कि हमने यह कर दिखाया । गोविन्द सहाय जी कहते है कि हमने प्रयास किया है, बड़ी मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला । आप आगे की बात करते हैं कि इतना टैक्स दे दो तो यह उन्नति कर देंगे । तृतीय योजना में यह कर देंगे, वह कर देंगे । समाजवाद सदैव भविष्य की बातें करता है । कल शायरी हुई थी और इसलिये मैं भी चार पांच लाइनें पढ़ देना चाहता हूं । यह मेरी कविता नहीं है । एक बड़े कवि "दिनकर" की कविता है और इसमें जो देश की इस समय दशा है, वही बतलाई गई है—

"लोग रोते,
त्राण तो हम पा गये पर हाय,
भूखों मर रहे हैं,
और वह कहता कि,
बहुत सी पक रही हैं,
कल्पना की पूरियां,
धीरज धरो, फिर पेट भर खाना ।
लोग कहते,
एक टुकड़ा दे नहीं सकते,
हमें सामान्य रोटी का,
हुक्म वह देता,
नहीं, बैकुण्ठ चल कर ही तुम्हें भोजन मिलेगा ।
और वह सामान्य क्यों,
अद्भुत, अमूल्य, अपूर्व होगा ।"

श्री अध्यक्ष—आपका गद्य पद्य से ज्यादा अच्छा था, महाराज ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री के भाषण को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है । एक उसका आर्थिक पार्श्व है और दूसरा सैद्धान्तिक । आर्थिक पार्श्व पर अनेक आक्रमण हो चुके और सैद्धान्तिक पार्श्व पर अभी तक एक ही वक्तृता हुई भानुप्रताप जी की । मंत्री जी का कथन प्रदेश से ही नहीं, सारे देश से संबंध रखता है कि उनका दल अपने सामने दो लक्ष्य रखता है । पहला लक्ष्य था कि असाम्प्रदायिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के आधार पर संसदीय शासन पद्धति की स्थापना करना । श्रीमन्, असाम्प्रदायिक होने का दावा माननीय मंत्री जी ने किया कि उनकी संस्था असाम्प्रदायिक है क्योंकि उन्होंने असाम्प्रदायिक शासन कायम करने का प्रयास किया है । वह ऐसा करते भी कैसे जब तक असाम्प्रदायिक न होते । लेकिन वह हैं किस प्रकार से असाम्प्रदायिक इसका प्रमाण खोजने के लिये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ।

चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण पूरे देश से संबंधित है, इसलिये पूरे देश को मैं ले आ सकता हूं । केरल में कम्युनिस्टों को आऊस्ट करने के लिये मुस्लिम लीग से गठबन्धन किया गया । वह किसने किया ? वित्त मंत्री जी की संस्था ने या दूसरे किसी ने ? इसके अतिरिक्त मुस्लिम कन्वेन्शन जो हुआ दिल्ली में जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम विधायक सम्मिलित हुये वह क्या कांग्रेस के सिद्धान्तों के विरोध में था या उसके पक्ष में था ? यह दो चीजें हुईं । तीसरी चीज अपने ही प्रदेश में हुई और वह यह कि यू० पी० में ७ जिलों में भाषावार मत-पत्र छापे गये । उनके लिये विशेष लिपि में मत-पत्र छापे गये, जिन्हें देखा जा सकता है । तो यह दावा करना कि हम असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना करने में संलग्न हैं, यह सत्य से परे है । श्रीमन्, इससे नतीजा क्या हुआ कि अपने देश और प्रदेश में रहने वाले एक सम्प्रदाय के अन्दर यह भावना पैदा कर दी गयी कि तुम माइनारिटी में हो, तुम्हारी संख्या कम है, इसलिए तुम अपनी हिफाजत करो । इसी कारण उनके अन्दर यह भावना पैदा होगी कि माइनारिटी के आधार पर उनके लिये एक पृथक राज्य बनाया जाय । इस प्रकार एक बार पुनः देश बटेगा ।

श्रीमन्, अमेरिका में जो हमारे राजदूत हैं—श्री मोहम्मद अली करीम छागला, उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि मुसलमानों को अपने को माइनारिटी में समझना एक महान और घातक भूल है। अगर वे अपने को माइनारिटी में समझेंगे और अपने को माइनारिटी समझकर माइनारिटी का सा व्यवहार करेंगे तो एक दिन वह आयेगा कि वे समाप्त हो जायेंगे। समय चूंकि कम है, इसलिये मैंने ओरीजनल नहीं पढ़ा, उसका भावार्थ कह दिया। यह बात भी, श्रीमन्, सत्य है। अमेरिका को देखा जाय। अगर अमेरिका में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के लोग अपने को माइनारिटी में समझते होते तो क्या उनका आदमी प्रेसीडेंट बन सकता था? ठीक इसी तरह अगर मुसलमान यहां भी अपने को माइनारिटी में समझते रहेंगे तो यह उनके हित में न होगा। जब तक वे घुलमिल कर नहीं रहेंगे वे तरक्की नहीं कर सकते हैं। छागला जी के ही शब्दों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने इसी बात को कहा है और कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने ही मुसलमानों के मस्तिष्क में माइनारिटी की भावना भरी है। यह उनका कहना है। केरल में कम्युनिस्टों को आउट करने के लिये मुसलमानों से गठबन्धन किया, देहली में मुस्लिम कन्वेन्शन हुआ जिसमें यह मांग की गयी कि हमारा पृथक निर्वाचन किया जाय। जैसी पहले गलती हो चुकी है और जिसके आधार पर पाकिस्तान बना, वही गलती फिर की जा रही है। छागला जी ने जो कहा है उसे आप देखें। मैं कहूंगा तो गोविन्द सहाय जी कहने लगेंगे कि यह तो जनसंघी है और इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मुसलमान धारा के साथ नहीं बहेंगे, जब तक वे अपने को इस देश का एक अंग नहीं समझेंगे तब तक उनको कहीं कोई स्थान नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने लेख में शुरू में ही कहा है कि मुसलमान न तो.... (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दे दिये जायं....

श्री अध्यक्ष—सवा चार बजे तक का समय आपको है।

कुंवर श्रीपाल—धन्यवाद।

उन्होंने कहा है कि मुसलमान न तो एक किस्म की जाति है जो भौगोलिक किस्म से अलग की जाय जैसे आयरलैंड में एक सूबा अलस्टर अलग हुआ। उन्होंने कहा कि मुसलमान न अलग एक रेस है जो अलग की जाय क्योंकि वह भारतीय रेस का एक अंग है। उन्होंने कहा है कि उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है जिससे लिंग्वीस्टिक माइनारिटी बनाकर उनको अलग किया जाय। इस तरह से जितने भी आधार माननीय वित्त मंत्री जी की संस्था में अलग करने के लिये समझे हैं उन सब का उन्होंने विरोध किया है। इस प्रकार माननीय वित्त मंत्री जी ने जो असाम्प्रदायिक लोकतंत्र स्थापित करने का ध्येय रखा, है वह सत्य से परे है।

अब श्रीमन्, इनका दूसरा सैद्धान्तिक पार्श्व क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना। उसके बारे में मैं अपनी राय नहीं दूंगा क्योंकि शायद माननीय गोविन्द सहाय जी कहने लग जायं कि जनसंघ की राय है। २१-२-५९ को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में समाजवाद की यह व्याख्या की थी कि समाजवाद के माने यह नहीं होते कि गरीबी का बटवारा किया जाय, सबको गरीब बना दिया जाय बल्कि सबको अमीर बनाना होता है। इस आधार पर यदि अपने प्रदेश की हालत को कसा जाय तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहां हालत क्या है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि जिस देश या प्रदेश के व्यक्ति जितना ज्यादा कृषि पर आधारित होते हैं उतना ही वह गरीब होता है और कृषि मजदूर उससे भी ज्यादा गरीब होता है, क्योंकि वह गरीब का मजदूर होता है। कृषि के सम्बन्ध में जो एक समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट से मालूम होता है कि समाजवाद कहां जा रहा है। खेतिहर मजदूर की आय १९५१ में १०४ रुपये प्रति व्यक्ति थी जो कि १९५९ में घटकर ९९ रुपया रह गई। जहां उसको पहले ९० दिन बेकार रहना पड़ता था, बाद में १२८ दिन बेकार रहना पड़ गया। इसी अवधि में मजदूर की दर १०८ न० पै० से घटकर ९६ न० पै० रह गई। सन् १९५० में इस वर्ग पर ८० करोड़ रुपये का कर्जा था जो १९५६ में १४३ करोड़ हो गया। ऋणग्रस्त कृषि मजदूर परिवारों की संख्या ४५ फीसदी से बढ़कर ६४ फीसदी हो गई। अब इनका यह समाजवाद हो या पूंजीवाद हो, प्रोग्रेसिव हो या पीछे चलने वाला हो, जो कुछ भी हो वही है। असली नक्शा हमारे सामने तभी आता है, जैसा कि

[कुंवर श्रीपाल]

भानुप्रताप जी ने कहा, जब गांव में जाकर देखते हैं । श्रीमन्, एक पुस्तक "उत्तर प्रदेश आंकड़ों में" छपी है सरकार की तरफ से, उसके अनुसार इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सन् १९५६ में २५६.१ रुपया थी जो कि सन् १९६० में घटकर २५५ रह गई । पता नहीं कहां से गोविन्द सहाय जी कह देते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है । हां, दो एक चीजें जरूर बढ़ी हैं । अपने प्रदेश में जरायम बढ़ गये, इसके भी आंकड़े मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष---आपका १ मिनट और बाकी है ।

कुंवर श्रीपाल---एक ही मिनट में सुनाये देता हूं ।

मैं यहां देखता हूं कि कुछ लोगों को लिखकर पढ़ने की आदत पड़ गयी है और वे केवल लिखा हुआ ही पढ़ सकते हैं । तो मैं यह कह रहा था कि आज इस कांग्रेस के राज्य में जो चीज बढ़ना चाहिये थी वह नहीं बढ़ पायी है और जो नहीं बढ़ना चाहिये थी वह बढ़ रही है । किसी ने ठीक ही कहा है---

अपूज्या यत्रपूज्यन्ते, पूज्यानाम च निरादरः,
त्रीणि तत्र वर्तन्ते, दुर्भिक्षं मरणं भयं ।

यह इस मंत्रिमंडल पर बिलकुल ठीक ही लागू होता है जिसमें जो जिस योग्य था उसको वह पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इधर दो तीन दिनों से बजट के संबंध में जो भाषण हो रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रही हूं । सबसे पहले विरोधी दल के नेता और विरोधीदल के भाइयों को मैं बधाई दूंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने इसका अध्ययन किया तथा उसके संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किये और इतना समय उन्होंने उसमें लगाया परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद उनके इस अध्ययन के और प्रयत्न के उन्होंने बजट के संबंध में जो बातें कहीं वे हमारे स्तर को ऊंचा उठाने वाली नहीं हैं; क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तर्क से नहीं समझाई जा सकतीं और जो Case उन्होंने demolish करने की कोशिश की उसमें सफलता नहीं पाई। कुछ दिन पहले कुछ भाइयों ने कहा था कि जो डेटा सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं करते । यह हम जानते हैं कि अभी हमारे देश के लोग स्टैरिस्टिक्स माइन्डेड नहीं ह इसलिये बहुत से डेटा सही नहीं भी हो सकते फिर भी हमारे पास कौन-सा ऐसा साधन है जिसके माध्यम द्वारा हम कम्पेरेटिव स्टडी कर सकते हैं ।

हमारे भाइयों ने खास तौर से समाजवाद पर अपने को सीमित रखने का प्रयत्न किया । मुझे भी उसको सुनकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि समाजवाद मेरा एक पेट सबजेक्ट है । समाजवाद के अन्दर हर एक आदमी को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों के अनुसार समाज का निर्माण करने में सहयोग दे और समानता को लाने का प्रयत्न करे । एक जर्मन वैज्ञानिक ने ठीक ही कहा है---

'It is better to be a pig dissatisfied than to be a human being satisfied' जिस प्रकार हर एक आदमी के दिल में यह आकांक्षा होती है कि वह जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से सोच और समझ सके, उसी प्रकार से हर आदमी का यह अधिकार है कि समाजवाद को वह जिस टाइप में समझ सके उसको समझने का प्रयत्न करे । लेकिन हम कांग्रेसजनों के सामने समाजवाद एक बहुत ही सरल चीज है । उसके द्वारा वे समाज के अन्दर एक प्रकार की समानता लाना चाहते हैं और विषमता को दूर करना चाहते हैं जिससे सारे समाज के लोग एक स्तर के हो जायं ।

आज के जमाने में हम संसार से पिछड़ कर रह नहीं सकते हैं । आज के एटोमिक एज में हम अलहैदा होकर नहीं रह सकते, या तो हम को खत्म हो जाना पड़ेगा या हमें संसार के साथ-साथ चलना पड़ेगा । अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि इन्टरडिपेन्डेट होने के साथ हमें स्वावलंबी

बनना ही होगा और हम तभी स्वावलंबी हो सकते हैं जब हममें से हर एक अपनी जिम्मेदारी को वहन करने में समर्थ होगा। बजट के ऊपर बहस करने का मौका एक ऐसा मौका है जब कि हम विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और उनके माध्यम से जनता में जरूरी बातों को पहुंचा सकते है। हम जिन-जिन चीजों को अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं उनको बजट के माध्यम से लाने का प्रयत्न करते हैं और उस समय यह भी देखते हैं कि पिछले वर्षों में हमने जो लक्ष्य बनाया था उस पर हम चले हैं या नहीं चले हैं।

दूसरी चीज जो इसके द्वारा हम देखते हैं वह यह भी देखते हैं कि जो साधन हमारे पास थे उनको हमने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। इन चीजों को देखने के बाद एक साफ तस्वीर हमारे सामने आती है कि वैलफेयर सोसाइटी की तरफ, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ, जिसके लिये कांग्रेस गवर्नमेन्ट वैडेड है, उस तरफ हम बढ़े हैं अथवा नहीं बढ़े। यह चीज जाहिर है कि जब हर चीज, हर पहलू पर हम अपनी दृष्टि डालते हैं तो हमारे सामने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात आ जाती है। फिर भी यह बात बिलकुल सही है कि जिस रफ्तार से हमको जाना चाहिये उस रफ्तार से हम आगे नहीं जा सके हैं। मैं इससे सहमत हूं और मैं समझती हूं कि इसमें आप लोगों का और विरोधी दल के उन सब भाइयों का सहयोग हमें मिलेगा जो देश को और राज्य को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारा खयाल है कि हर देशवासी के दिल में वही आवाज होगी, वही स्वप्न होगा जो हमारे बजट में है। आज जनता के प्रति आपका भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना हमारा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सामने ही आपके स्वप्न साकार हो जायं तो मैं आप सब भाइयों से उम्मीद करती हूं कि एक कामन प्लेटफार्म बनायें जहां हम सब बैठ कर इस प्रश्न पर विचार करें और देखें कि हमारी रफ्तार क्या रही है और अगर रफ्तार कम रही है तो जैसा कि किसी ने कहा है—"Catch time by the forelock" यानी समय जो चला जाता है वह वापस नहीं आता। हमें समय के साथ चलना है। इसलिये एक-एक सेकेंड के लिये हमें अपनी जिम्मेदारी को वहन करना है और उस पर गंभीरता से विचार करना है।

हमारे यहां बहुत सी कमियां है, बहुत सी खामियां हैं। कल हमारे एक भाई ने कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे यहां जो शिक्षा दी जाती है वह बच्चों को बरबादी की ओर ले जाने वाली है। मैं आपसे कहती हूं कि मैं एक मां हूं, मेरे दिल में बड़ी चोट लगी और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे आशा है कि मेरे वे भाई अपने उन शब्दों पर पुनर्विचार करेंगे। इस मौके पर एक कपलेट में सुना देना चाहती हूं, जो उसी भावना की ध्वनि करेगा जो एक माननीय सदस्य ने अभी प्रदर्शित की है—

"Tears, idle tears, I know not what they mean : tears which from the depth of some divide despair rise from the heart, and brim to the eyes"

आज वही हालत हमारी है। मेरा अपना ऐसा विश्वास है और मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं कि यह सच्ची बात है कि आज गांवों में बहुत कमी है, हमारे शहरों में बहुत कमी है। मैं तो कानपुर म्युनिसिपैलिटी की मेम्बर हूं और जानती हूं कि वहां की हालत क्या है। कई चीजें तो ऐसी होती हैं जिनके लिये इच्छा होती है कि डाइनामाइट लगा कर सबको उड़ा दूं, लेकिन सब चीज समय पर होती है और सब्र करने पर होती है। सब्र के साथ-साथ सबके सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। आज हम लोग डेमोक्रेसी के युग से चल रहे हैं। "विजीलेंस इज दि प्राइस आफ लिबर्टी" स्वतंत्रता की रक्षा के लिये बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है। परन्तु आप सोचें कि जो बजट बना है वह आज का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि आज से १० साल पहले का है और अगर उसमें कोई आदमी रोड़ा अटकाना चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे यहां के एक शहन्शाह ने अपनी बेगम के नाम पर ताजमहल की इमारत बनवायी जिसमें जनता का काफी पैसा खर्च हुआ और उसमें जनता को काफी कष्ट भी उठाने पड़े। उस जमाने में क्रेन नहीं थे जिनमें संगमरमर के पत्थर उठा कर ऊपर रखे जाते। उस समय आदमियों को ही ईंट व पत्थर ऊपर ले जाना पड़ता था। उसी तरह से आज हिन्दुस्तान का जो नक्शा बन रहा है, उसकी इमारत बनाने के लिये हर आदमी का कर्त्तव्य है कि एक-एक ईंट जोड़ने में मदद दे। एक जमाना आयेगा १५–२० साल बाद, जब हिन्दुस्तान के निर्माण में उत्तर प्रदेश के सहयोग देने का मूल्य

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

आंका जायगा। इसके लिये तो मैं आप लोगों को बधाई देती हूं कि आपका प्रयास इधर है और जो सही प्रयास है कि हमारे यहां हर तरह की प्रगति हो। इसके लिये आपको समझ लेना चाहिये कि जब कोई इमारत बनायी जा रही है तो आपका भी धर्म है कि एक-एक ईंट उसमें अपनी भी लगा दें और उसमें मदद दें। ऐसा न करके केवल जनता को गुमराह करते रहें और काम से दूर रहें तो यह उचित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करती हूं।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश करके प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया है। बजट के जो प्रकार हमें मालूम हैं, वे इस प्रकार हैं। एक सरप्लस बजट होता है, दूसरा घाटे का बजट होता है और तीसरा संतुलित बजट होता है। इसको घाटे का बजट कहा जाता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि इसको घाटे का बजट किस आधार पर कहा जाता है। यदि इसके तथ्यों पर विचार किया जाय तो शायद यह अन्त में घाटे का बजट नहीं रह सकता और ऐसी अवस्था में अनुमान है कि यह संतुलित बजट बन जाय। दूर जाने की बात नहीं है अगर हम १९६०-६१ के आंकड़ों को देखें और उस वर्ष की प्राप्तियों को देखें और उसके खर्चे को देखें तो हमें पता लग जायगा कि उसमें १३० करोड़ ६० लाख की हमारी प्राप्तियां थीं १९६२-६३ के बजट में वह प्राप्तियां १७८ करोड़ ६ लाख हो जाती हैं यानी करीब ४७ करोड़ का अन्तर हो जाता है। साथ ही १९६०-६१ के बजट में हमारी १३० करोड़ की प्राप्तियां बढ़कर १४८ करोड़ हो जाती हैं। यदि अनुमान से अधिक प्राप्तियां १९६०-६१ में हो सकती हैं तो निश्चय ही १९६२-६३ में भी बढ़ने वाली प्राप्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है और वे सही भी हो सकती हैं, क्योंकि वह वास्तविकता पर आधारित होंगी। यदि कोई बजट वास्तविकता पर आधारित हो तो वह निश्चय ही घाटे का बजट नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था कि यदि दूरदर्शिता से काम लिया गया होता तो यह बजट घाटे का न होकर एक संतुलित बजट अवश्य हो गया होता।

इस संबंध में मैं दो एक बातें और अर्ज करूंगा। एक तो यह कि खर्च जिस तरह से बजट में रखा गया है, अगर उन खर्चों पर ध्यान दिया जाय तो उसमें जितना वैस्टेज होता है वह रुक सकता है और पैसा बचाया जा सकता है। यदि आप सार्वजनिक निर्माण विभाग में देखें और जो खर्च वहां होते हैं उनकी छानबीन करने की कोशिश करें तो जो भाई गांवों और शहरों में रहते हैं उन सब को मालूम होगा कि जो भी ठेके दिये जाते हैं उनमें दस प्रतिशत लिया जाता है। वह घूस है या किस तरह का नजराना है, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा रिवाज है। यदि दस प्रतिशत ठेकेदार सरकारी अहलकार की जेब में रखते हैं तो वह निश्चय ही 'वेस्टेज' है। मैं चाहता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखकर उचित निगरानी की जाय। इस तरह से जो गैर कानूनी फिजूलखर्ची है उसको हमेशा के लिये रोका जाय।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो समाजवादी समाज की रचना हो रही है उसमें फैलाव अवश्य है, लेकिन इसे किस हद तक होना चाहिये और कहां जाना चाहिये, यह विचारणीय विषय है। ऐसा मालूम तो होता है कि वह फैलाव किसी सीमित जगह तक ही है। अंग्रेजी की कहावत है कि "वाटर फाइन्ड्स इट्स ओन लेविल।" वही कहावत यहां सिद्ध नहीं हो पा रही है। आज धन एक जगह इकट्ठा होता जाता है, उचित होता कि वह पानी उन्हीं गड्ढों में जाता जहां कि उसकी जरूरत है। आज गांवों में बसने वाले ३ प्रकार के लोग हैं, सुखिया, दुखिया और भुखिया। सुखिया वह हैं कि जिनके पास बहुत धन है और सरप्लस हो रहा है, जहां सारा पानी इकट्ठा हो रहा है, इतना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है कि उसके निकास का जरिया नहीं। उसमें सड़न पैदा हो रही है। दुखिया अपनी बात कह नहीं पाता। यह मध्यम श्रेणी का आदमी अपनी इज्जत के डर से अपनी बात, अपनी समस्या और अपना राज खोल नहीं सकता है, वह मर रहा है घुटघुट कर, लेकिन उसके लिये कोई राहत इस बजट में नहीं है। भुखिया तो निश्चित ही भुखमरा है, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास न जमीन है, न झोपड़ी है, न दवादारू का इंतजाम है और न उसके बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध है।

शिक्षा के बारे में अभी एक माननीय सदस्या ने कहा वह "मां" हैं। मैं उनके मातृत्व की कद्र करता हूं, उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। लेकिन क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने सोचा है उनका बच्चा स्कूल में जाना चाहता है। जाना चाहिये उसे लेकिन उस समय वह गांव का गरीब बच्चा गाय चराने के लिये क्यों भेजा जाता है? मां उससे छोटे बच्चे की परवरिश करने के लिये उसको घर में छोड़ जाती है और खुद मजदूरी पर जाती है। मां का काम उस बच्चे या बच्ची को करना पड़ता है। क्या यही मां का धर्म है, यही दुलार है? इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं आपके जरिये, श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करना होगा। समाजवाद या इस बजट के आंकड़ों के झगड़े में पड़ कर जनता की जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो सही बात है उस पर नजर रखनी होगी और इसके लिये जरूरी है कि गांव और शहर में बसने वाले जितने भी बेरोजगारी और निरीह प्राणी हैं उनकी सुरक्षा करना इस राज्य का परम और प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन की होड़ है, जहां औद्योगिक उत्पादन की होड़ कृषि के उत्पादन की होड़ के मुकाबले में लायी जाती है। यहां मैं मानता हूं कि औद्योगिक उत्पादन जरूरी हो सकता है किसी राष्ट्र के लिये, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी कृषि उत्पादन है और अगर वह घाटे पर भी चलाया जाय तो उसकी आवश्यकता पूरी करनी होगी। किसी भी कल कारखाने में आज तक एक भी दाना चना, जौ या गेहूं नहीं पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या वैज्ञानिक, अथवा हवाई जहाज पर उड़ने वाले और इन कुर्सियों पर बैठे हुए लोग भूखे रह सकते हैं? रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली के बारे में कहा गया है कि औद्योगिक कामों के लिये तो बिजली दी जा रही है, लेकिन किसान के काम के लिये, जौ, चना पैदा करने के लिये, जिससे पेट भरता है और हमें अपनी बात कहने की शक्ति मिलती है, बिजली देने में घाटा पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि अन्न उत्पादन के लिये युद्धस्तर पर काम करना होगा। अगर तृतीय योजना को सफल बनाना है, देश को सुखी बनाना है तो निश्चय ही युद्ध स्तर पर अन्न का उत्पादन करना होगा।

दूसरे यह कि आपको डबल सिस्टम आफ राशनिंग जरूर इंट्रोड्यूस करना होगा। इसका मतलब यह है कि बाजार में किसी सीमित रकम तक, २ से ५ रुपये तक अनाज खरीदने वाले आदमी को कंट्रोल रेट पर सामान मिले। उसके ऊपर जो सामान खरीद वह डीकन्ट्रोल रेट पर मिले। मैं याद दिलाना चाहता हूं अभी श्रीमन् श्री नारायण ने जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं, एक वक्तव्य में कहा कि इजिप्ट में इस तरह की प्रथा कायम है। अगर इजिप्ट इस तरह की प्रथा कायम करता है और आगे बढ़ सकता है तो कोई कारण नहीं कि हिन्दुस्तान भी इस सिस्टम को अपना करके गिरते हुए मजदूरों और किसानों को नहीं उठा सकता है। ऐसी स्थिति में मेरे दो सुझाव हैं, एक कृषि उत्पादन में युद्धस्तर पर काम किया जाय और दूसरे डबल सिस्टम आफ राशनिंग इंट्रोड्यूस किया जाय।

तीसरी चीज बेकारी का भत्ता अवश्य देना चाहिये। इससे भुखमरी और बेरोजगारी से प्रताड़ित इंसान को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। आज आप जानते हैं कि कृषि का उत्पादन क्यों कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव में बसने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ नौकर पेशा हैं, कुछ रोजगारी हैं। गांव में रहता कौन है आज? जो जवान हैं वे गांव में आज बसते नहीं हैं। वे रिक्शा लखनऊ और बनारस में खींच रहे हैं और अपनी जवानी बरबाद कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इसे मेन पावर को इकट्ठा कीजिये और इसको गांव में प्रतिष्ठापित कीजिये जिससे उत्पादन बढ़े। वहां लले, लंगड़े और बूढ़े बैठ कर उत्पादन नहीं कर सकते। आप चाहे जितना सिंचाई का, नाज, खाद का साधन जुटा दें, लेकिन अगर मेन पावर नहीं है तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो राष्ट्र की आमदनी नहीं बढ़ सकती और देश का जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं हो सकता।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसी सर्वसाधारण व्यक्ति से उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में अगर आप प्रश्न करें तो सहज भाव से यह कहता है कि "भूल गये राग रंग, भूल गये छकड़ी, तीन चीज याद रहीं, नोन, तेल

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

लकड़ी।" आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति इसी प्रकार की दिखाई पड़ती है क्योंकि सर्वसाधारण ही नहीं, बड़े-बड़े विचारक, बड़े बड़े साहित्यिक इस नोन, तेल, लकड़ी के चक्कर में पड़ कर जीवन के वास्तविक मूल्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। यह ठीक है कि आज हम अपने प्रदेश में नई अर्थव्यवस्था ला रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात की गर्वोक्ति की है, प्रदेश की जनता के सामने समाजवादी व्यवस्था को लाकर कांग्रेस सरकार एक सुखी, समृद्ध व सम्पन्न जीवन प्रस्तुत करेगी। मैं समझता हूं कि यह मूलभूत गलती होगी। समाजवाद के नारे लगाकर हम इस प्रदेश के अन्दर सुख सम्पन्नता नहीं ला सकते। हमें ऐसी योजनायें बनानी पड़ेंगी जिनसे सर्वसाधारण व्यक्ति को काम मिले। हमारी योजनायें देश के कोने-कोने में लागू हों। महात्मा गांधी जी कहा करते थे "आई वांट मास प्रोडक्शन बाई मासेज एज वेल।" आज जनता की समस्या है जन-समाज को काम देने की। जहां प्रजातंत्र में प्रत्येक को वोट देने का अधिकार है उसी तरह से प्रत्येक को काम भी मिले यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है। जितनी योजनायें बनी हैं गत १४ वर्षों में प्रदेश में अपने शासन काल में कांग्रेस ने एक न्यूनतम आय को निश्चित नहीं कर पाया है, न्यायोचित वितरण की व्यवस्था नहीं हो पाई है और न समाज की सुरक्षा का प्रबन्ध ही हो पाया है, इसके आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

बजट के बारे में बहुत विवाद हुआ है। मैं भी बजट का अवलोकन कर रहा था। जहां शिक्षा का अनुदान लिखा है वहां पर मैंने देखा कि हिन्दी साहित्य की जो निधि है उसमें पुस्तकों का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है। आज केवल आर्थिक पहलू को लेकर हम समाज की रचना करना चाहते हैं और प्रदेश के अन्दर सुख, सम्पन्नता लाना चाहते हैं,। क्या कोई अन्य प्रश्न अब शेष नहीं रह गया? मैं कहता हूं कि अगर भाषा के प्रश्न पर हमने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया तो हमारी सारी आर्थिक सम्पन्नता छिन्न-भिन्न हो जायगी और हम कभी भी भावनात्मक एकता इस प्रदेश के अन्दर स्थापित नहीं कर सकते। आप अपने सचिवालय में देखिये, कितना काम हिन्दी में हो रहा है। संविधान के अनुसार सन् १९६५ तक पूरे प्रदेश के अन्दर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को ले लेना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में अगर नहीं हो सकता तो उसका औचित्य तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जहां हम हिन्दी भाषी लोग हैं वहां क्या कारण है कि माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा यह घोषणा की गयी कि सन् १९६५ तक अंग्रेजी में कार्य होता रहेगा और १९६५ से हिन्दी हो जायगी ? क्या यहां के सचिवालय में, भाषा विभाग में और सूचना केन्द्र में हिन्दी की योग्य रीति से व्यवस्था हो रही है ? क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरा कारोबार हिन्दी में होता है ? सूचना विभाग में जो रात्रि को ८ बजे प्रेस नोट दिया जाता है तो हमारे हिन्दी पत्रकार भाइयों को वह अंग्रेजी में दिया जाता है। यह कितना दुर्लक्ष्य अपनी भाषा के साथ किया जा रहा है। आज हमारी सरकार ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसी हुई है। सचिवालय के बड़े-बड़े कर्मचारी जिनका दिमाग अंग्रेजी के संस्कारों में पला है वे आज उनको घुमा रहे हैं। आज योजनायें बनती हैं कि कार्य हिन्दी में होगा, लेकिन सारा कार्य अंग्रेजी में होने लगता है। आज भाषा के प्रश्न पर अगर हमने गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया तो हमारी भाषा नष्ट हो जायगी, हमारे हृदय के अन्दर प्रदेश के लिये त्याग करने के भाव कहां से जागृत होंगे ?

हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने इस बात का आह्वान किया है कि १३ करोड़ ३५ लाख का जो घाटा दिखाया गया है उसको देने के लिये जनता को तैयार रहना चाहिये। वह कौन से प्रेरणा के स्रोत हैं जिनसे हमारे हृदय में इस प्रकार के त्याग की भावना पैदा होगी ? आज माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हम समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ायेंगे। क्या "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्" वाली आपकी नीति है कि खूब खाओ और खूब मौज करो ? क्या इस सिद्धांत के ऊपर भारतीय परम्पराओं को नष्ट करके आप इस प्रदश का उत्थान करना चाहते हैं ? अगर आपको इस प्रदेश का उत्थान करना है तो भारतीय जीवन, भारतीय साधनों,

भारतीय आवश्यकताओं और यहां की मानव शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपने मनुष्य और मशीन के अन्दर एक बड़ा भारी फर्क पैदा कर दिया है। आज हमारे ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनमें मानव शक्ति का उपयोग हो सकता है, लेकिन इस ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। इसलिये मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। आपको सर्वप्रथम हिन्दी के कार्य को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। वही हमको प्रेरणा दे सकती है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने काल में यह घोषित किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जितने उप-कुलपतियों की नियुक्ति हुई उन्होंने माननीय आचार्यजी के सिद्धांत का मखौल उड़ाया और उस बात को नहीं माना। आज हिन्दी विभाग का जो प्राध्यापक है वह जब महान कवि सूरदास की जीवनी को पढ़ाने के लिये स्नातकों के सामने भाव रखते हैं तो अंग्रेजी में कहता है कि "सूरदास वाज एक नोवल पोएट।" हमारी भाषा में इतना ओज और असर नहीं कि हम अपने स्नातकों को किसी एक महान कवि के जीवन के बारे में अपनी ही भाषा में प्रभावित कर सकें। यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश के अन्दर बेकारी बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने कहा, हर एक को काम मिलना चाहिये। हमारी योजनायें ऐसी होनी चाहिये जिससे सबको काम मिले। मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि सन् १९५७ में बेकारों की पंजीकृत संख्या थी ३,४३,६६३, सन् १९५८ में वह हुई ४,१४,३७२, सन् १९४९ में हुई, ४,७३,४३७ और जनवरी सन् १९६१ में थी ५,१८,०००। क्या कारण है? आप कहेंगे कि आबादी बढ़ रही है इसलिये अनइम्प्लायमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारी योजनाओं की भूमिका है उस पर हम सदन में वादविवाद को छोड़कर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आखिर कौन-सी मौलिक भूल है जिसके कारण हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परिणाम बेकारी में बढ़ता है? एक ओर आप कहते हैं कि आय बढ़ी है दूसरी ओर हमारे यहां बेकारी बढ़ी है। जब आय बढ़ेगी तो बेकारी कैसे बढ़ेगी? जब सबको काम मिलेगा तभी आय बढ़ेगी और जब आय बढ़ेगी तो सबको काम मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग चार दिनों से बजट के सिलसिले में वाद-विवाद चल रहा है। माननीय सदस्यों द्वारा तमाम आंकड़े और दलीलें पेश करके सरकार के सामने आज के बजट की खामियां पेश की गयीं। इसमें खास तरीके से यह कहा गया कि हमारे ऊपर बहुत लम्बे बजट का बोझा डाला गया है। इस बात की विरोधी दलों की शिकायत थी कि यह जो १७८ करोड़ का बजट है, जनता के ऊपर इतना ही बोझ नहीं है बल्कि इससे अधिक है। आज अप्रत्यक्ष रूप से, भ्रष्टाचारी शासन में जनता को अधिक भार उठाना पड़ेगा। इसके तमाम नमूने और शिकायतें न केवल विरोधी दल की ओर से बल्कि सदन के माननीय सदस्यों की ओर से पेश की गयीं। इसके उत्तर में कहा गया कि भ्रष्टाचार की कोई बात बताई जाय। मैं इसके सम्बन्ध में एक उदाहरण इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पिछले मार्च, १९६२ में कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में कलेक्शन के नायब तहसील-दार द्वारा १,००७ जाली मुकदमे चलाये गये और तहसील की तरफ से फर्जी नोटिस बिना मुहर और दस्तखत के चपरासियों के द्वारा भेजे जाते थे। इसमें ३ नायब तहसीलदार, १५-२० कलेक्शन अमीन और ४०-५० चपरासी शामिल थे। काश्तकारों को बाहर बुलाकर मुकदमे किये जाते थे और रुपया वसूल किया जाता था। इस तरह की शिकायतें मिलने पर मैं कलेक्टर श्री ज्ञानप्रकाश जी के पास १९ मार्च को गया और जाली नोटिस पश किये जिन पर मुहर व दस्तखत नहीं थे। कुछ नोटिस ऐसे थे जिन पर केवल तहसील की मुहर लगी थी। ५ नोटिस ऐसे थे जिन पर प्रतिलिपि विभाग की मुहर लगी थी, ३ ऐसे थे जिन पर दस्तखत थे, लेकिन मुहर नहीं थी और १९ नोटिस ऐसे थे जिनमें न तो मुहर ही थी और न दस्तखत ही थे जो किसानों के पास भेजे गये थे। मैं कलेक्टर साहब के पास एसे किसान को लकर गया जिसके पास ऐसा

[श्री शिवनाथसिंह]

नोटिस आया था। उसमें एक किसान से १०० रुपये रिश्वत के तय किये गये थे। उस पर करीब ६ बीघे जमीन से बेदखली का नोटिस था। श्री ज्ञानप्रकाश जी ने कम्प्लेंट आफिसर को लिखा। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि ए० डी० एम० आर० ए० साहब के पास चलें, हम दस्तखत करा लें। ए० डी० एम० आर० ए० ने कहा कि समझ में नहीं आता। इसलिये कोर्ट साहब की राय ले लें। उन्होंने कहा कि जो रिश्वत नायब तहसीलदार को दे रहा है उसे रिश्वत देते समय उसकी बात सुनें और नोट देते हुए देखें तभी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। भला कौन आदमी ऐसा है जो यह समझते हुए कि पुलिस गिरफ्तार करने को खड़ी है फिर भी रिश्वत लेगा। इस पर मैं फिर कलेक्टर के पास गया उन्होंने कहा कि मजबूरी है, कुछ सोचेंगे। मजबूर होकर हम चले आये काश्तकार के पास दुबारा चपरासी भेजा गया और उससे कहा गया कि रुपया दे जाओ। मैं उस काश्तकार को लेकर माननीय हुकुम सिंह जी राजस्व मन्त्री के पास २९ मार्च को आया। उन्होंने कलेक्टर साहब से टंककाल मिलाया। मैं बैठ गया इसलिये कि उसमें देर लगी। उन्होंने कहा देखो बच्चा, एक बात है। लम्बी चौड़ी उन्होंने पंजाब की मिसाल दी कि कोई सम्मानित नेता थे ५० हजार रुपये की रिश्वत तय की गयी थी वह कोई विधायक या मिनिस्टर ही थे। उसमें कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनको गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट से जो उसमें फैसला हुआ तो उस जज ने लिखा कि जिस तरह से चिड़िया को दाना फेंककर जाल में फंसा लेते हैं ठीक उसी तरह से एक ईमानदार आदमी के सामने ५० हजार रुपये की लम्बी रकम देकर उसको जाल में फंसाया गया है। इसके आधार पर उस बेचारे कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेन्ट को रिवर्ट कर दिया गया। इसलिये उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से रिश्वत पकड़ी जाती है और अदालत से छोड़ देते हैं तो हमें उस बीच की तनख्वाह उसको देनी पड़ती है। इसलिये आप दरख्वास्त दे दीजिये, हम नायब तहसीलदार को बुलाकर डांट देंगे और भविष्य में कोई परेशानी आवे तो बताइयेगा। अब मैं इससे आगे क्या करता। मेरे साथ वह काश्तकार भी था जो सौ रुपये का नोट लेकर आया था।

श्री अध्यक्ष—यह आप क्या बहस कर रहे हैं?

श्री शिवनाथसिंह—मैं यह भ्रष्टाकार के सिलसिले में कह रहा था। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार की कोई मिसाल दीजिये। तो यही नहीं, इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग पुलिस के द्वारा, कचहरियों में और सभी जगह ठगे जाते हैं। मैं कहता हूं कि यह जितना लम्बा चौड़ा-बोझ जनता के ऊपर है वह दोहरा बोझ है। एक तो सरकार की तरफ से बजट का बोझ आया है और दूसरा बोझ जो भ्रष्टाचार का है जो जनता के ऊपर उससे भी अधिक लदा हुआ है सरकार को इसे देखना चाहिये।

दूसरी स्थिति यह है कि कृषि के सम्बन्ध में लम्बे चौड़े आंकड़े हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों ने दिये हैं। हम उनको आधारभूत मानकर विश्वास तो करेंगे ही, लेकिन हमारा प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है हमारे यहां खासतौर से कृषि की अच्छी तरह से तरक्की नहीं हुई। एक उदाहरण पेश करता हूं। कानपुर जिले के अन्दर बिल्हौर में एक सरकारी बीज गोदाम है। उस गोदाम से १९५६ से लेकर १९६० तक खाद की लाखों बोरियां फर्रुखाबाद, हैदराबाद और मद्रास तक में बेंची गयीं। उसके बारे में हमारी पार्टी के एम० पी० श्री जगदीश अवस्थी ने कलेक्टर साहब को इत्तिला की। उसमें अब तक बीज भंडार के सुपरवाइजर को केवल मुअत्तल किया गया है और कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—४, ५ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है।

श्री शिवनाथसिंह—तो यह सब प्रमाणित बातें हैं। यह बड़ा लम्बा-चौड़ा बजट है और रईसी ठाठ-बाट का बजट है जिसमें दो तिहाई तो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है और जनता पर एक तिहाई पहुंचता है और उसमें भी बंदरबाट होती है। मिसाल के तौर पर

कमलापति जी त्रिपाठी, वित्त मन्त्री के क्षेत्र को देखिये। उनके क्षेत्र को देखिये और उसके बाद पूरे प्रदेश को देखिये। क्या होता है ? हमारे सारे बजट का उनके क्षेत्र में और उनके पिछलगुये जो और मन्त्री हैं, बंटता है और जब बंटने के बाद बचता है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ नाम मात्र पहुंच जाता है। सब के सब अछूते पड़े हैं। कोई काम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई ठिकाना नहीं।

*श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—मोहतरिम अध्यक्ष, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बिलकुल आज के आखिरी वक्त में मुझे इतना वक्त आपने दे दिया कि मैं दो दिन उठक बैठक करूं.....

श्री अध्यक्ष—अगर आदरणीय सदन चाहेगा तो पांच मिनट और बैठ सकते हैं ताकि आपका भाषण समाप्त हो जाय। मतलब यह है कि दस मिनट होंगे आपके। तो ५ बज कर ५ मिनट तक बैठ के हम लोग आपका भाषण सुन लें।

श्री हलीमुद्दीन—मैं गुजारिश कर रहा था कि शायद दस मिनट से ज्यादा मेरा हक है। अभी तक मेरी पार्टी की तरफ से कोई भी शख्स नहीं बोला है और उस हिसाब से मेरे हिस्से में शायद ३०–३२ मिनट आते हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर आप पन्द्रह मिनट मंजूर करें तो ठीक है, वरना जैसा मिजाज चाहे।

श्री हलीमुद्दीन—जैसा भी हुक्म आप दें, मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—तो आपको पन्द्रह मिनट मिल रहे हैं।

श्री हलीमुद्दीन—जैसा कि मैंने कहा कल आपने फरमाया था कि अपोजीशन के हर मेम्बर को एक-एक मिनट हर रोज मिला है, तो एक मिनट रोज के हिसाब से आठ आदमियों के ३२ मिनट चार रोज में हो गये।

श्री अध्यक्ष—आपको सिर्फ आठ मिनट मिल सकते हैं। मैं १५ मिनट सिर्फ आपके लिहाज से दे रहा हूं और वह भी अगर आप अभी से शुरू कर दें तो वरना ५ बज के १० मिनट पर खत्म हो जायगा।

श्री हलीमुद्दीन—अध्यक्ष महोदय, यह कुछ हर उस मुल्क का जहां प्लानिंग हो रही है आम दस्तूर सा हो गया है कि जब वह अपना बजट पेश करता है तो खसारे का बजट दिखाता है और फिर इस बात की कोशिश होती रहती है कि कहीं से बचत हो जाय या किसी तरह वह डेफिसिट पूरा हो जाय। मैं गुजारिश करूंगा कि जहां तक यह तरीका है ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां यह भी चाहा जाता है ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कि अपोजीशन कुछ उनका साथ दें, उनकी मदद करें, उस तमाम प्लानिंग में उनका हाथ बटायें, तो यह तरीका होना चाहिये कि बजाय इसके कि हमें यह हौवा दिखाया जाता रहे कि १३ करोड़ का नुकसान का बजट है, हमारी कुछ हिम्मतें बढ़ायी जायं, कुछ हौसिले बढ़ाये जायं, कुछ हमारे अरमानों को सामने रखकर बातें कही जायं। जहां यह कहा जाय कि १३ करोड़ ३५ लाख का डेफिसिट है, वहां यह भी बताया जाय कि यह १३ करोड़ ३५ लाख रुपया लाया कहां से जायगा। हम अगर मंजूरी दें कि इतना रुपया तुम खर्च करो और उसमें १३ करोड़ ३५ लाख की कमी है तो उसको भी तो कहीं न कहीं से पूरा करना होगा और ऐसी हालत में यकीनन वित्त मन्त्री का यह फर्ज होना चाहिये कि वह बतायें कि इस रुपये को वह कहां से लायेंगे। लेकिन उन्होंने आखिर में केवल एक जुमला कहकर छोड़ दिया है—

"For the present I propose to leave the entire revenue deficit uncovered."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हलीमुद्दीन]

आई प्रोपोज टु लीव अनकवर्ड यह उनका कहना मुनासिब नहीं है। उन्हें कहीं न कहीं इशारा करना चाहिये था कि किस तरफ वह अपनी नजरें डाले हुए हैं, किस क्लास को वह टैक्स करना चाहते हैं, किस जगह से वह इतना रुपया वसूल करना चाहते हैं। जहां तक कि उनकी स्पीच का आखिरी हिस्सा है, वह मैं कहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से जनता से टैक्स मांगने के लिये हमसे कहा है, वह कुछ मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशनली भी शायद वह सही नहीं है।

"We may be confident that none of us can look at that prospect with equanimity. There is accordingly no escape for us from meeting the deficit of Rs.13.35 crores through additional taxation. We should not forget that India is being built up today for the generations to come. We should, therefore, be consumed by a passion for their well-being and shoulder the burden of reconstruction by present sacrifice. Our failure to do so will not be excused at the bar of history."

इंडिया इज बीइंग बिल्ट। अब १३ करोड़ ३५ लाख रुपये के खसारे से पता नहीं इंडिया इज बीइंग बिल्ट या उत्तर प्रदेश इज बीइंग बिल्ट। इसीलिये मैंने कहा कि शायद यह कांस्टीट्यूशनली भी सही नहीं है जिन अल्फाज में कि उन्होंने बाद में कह दिया है और आखिर में बिना उसे साफ किये छोड़ कर चले गये हैं। इन खूबसूरत अल्फाज में यह जरूर है कि हमसे कहा जाता है कि हम टैक्स करने के लिये आमादा हो जायं और टैक्स दें। लेकिन जो आम जनता की हालत है वह आज इस तरह की नहीं है कि जिस पर टैक्स का लगाया जाना कोई इन्साफ की बात हो। उनके गोबर के कंडों पर टैक्स है। उनके भूसे की गठरी पर टैक्स है। जो चारा वह अपनी बकरी और गाय के लिये लाते हैं उस पर भी म्युनिसिपैलिटी टैक्स उनसे ले लेती है। फिर उसके बाद यह उनसे उम्मीद करना कि जनता इस काबिल है कि वह टैक्स दे सकती है तो यह सही बात नहीं है। चूंकि आपकी प्लानिंग की कामयाबी का इसी पर दारोमदार है कि गरीब जनता से टैक्स लिया जाय इस लिये आप इस तरह की बात सोचते हैं। मगर मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह से टैक्स नाफिज करना जनता के लिये बड़ी जबरदस्त ज्यादती होगी। इसके लिये उधर से कहा गया कि जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि हमको धन की जरूरत होगी और अब चूंकि यहां पर इलेक्शन जीत कर आ गये हैं तो हमको टैक्सेशन का अख्तियार है। यह तो हम जानते हैं कि आखिर टैक्स तो जनता पर ही लगाया जायगा। रुपये की जिस कदर जरूरत होगी वह न तो वित्त मन्त्री जी अपने पास से देंगे और न मुख्य मन्त्री जी देंगे। जनता ही उस रुपये को देगी, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि आप जनता की आवाज को सुनें। नहीं तो जिसने यहां पर आपको भेजा है वह फिर आपको याद रखेगी। मुझे यहां पर एक शेर याद आ गया "यहां पर कुछ लोग सरे राह गुजार बैठे हैं" यहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जनता से ३४, ३५ फीसदी ही वोट लेकर सरकार बनाये हुए हैं। उनको जनता ने अपनी महफिल से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी यहां पर वह सरे राह गुजार बैठे हैं। वह हवा में चल रहे हैं और हवा के रुख को नहीं पहचानते हैं। वे लोग ३४, ३६ फीसदी जनता की मंजूरी लेकर इस बात का दावा करते हैं कि जनता ने हमको इस बात की मन्जूरी दे दी है कि हम जनता के ऊपर जितना चाहें अपनी स्कीम्स को पूरी करने के लिये टैक्सेशन करें और टैक्सेशन करने के बाद उन स्कीम्स को कामयाब करें। मैं गुजारिश करूंगा कि अब तो आप यहां पर आ गये हैं और जो चाहे जनता के साथ इन्साफ या बेइन्साफी कर सकते हैं क्योंकि जनता ने आपको इस १९६२ के एलेक्शन में चुनकर भेज दिया है, लेकिन अगर आपने, अपने तरीके हुकूमत को सही नहीं किया तो शायद सन् १९६७ में आपको उस जगह बैठना नसीब नहीं हो सकेगा। मुमकिन है किसी और जगह बैठें या यह मुमकिन हो सकता है कि इस हाउस के अन्दर ही न बैठें। अगर आपका यह खयाल है कि जनता ने टैक्स लगाने की मन्जूरी दे दी है तो यह खयाल बिलकुल गलत है। ३४ फीसदी या ३६ फीसदी वोट पानेवाली पार्टी के लिये यह

कहना कि जनता ने हमको इस बात की मन्जूरी दे दी है कि उसके ऊपर टैक्स लगायें और टैक्स लगाकर स्कीम्स को कामयाब बनायें तो यह मेरे नजदीक बहुत ही बेइन्साफी की चीज है। जनता ने इस चीज का फैसला कर दिया है कि आप इस काबिल नहीं हैं या आप उनकी वोटिंग के मुस्तहक नहीं हैं क्योंकि आपकी कीमत उनकी नजर में अब नहीं रह गई है कि आप उनकी वोट को लेकर यहां आयें और इस तरह का फैसला करें।

यह हकीकत है कि आज हिन्दुस्तान की बेशतर जनता गांवों में रहती है । गांव वालों के लिये आज रोटी और कपड़ा तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं तो समझता हूं उनको आज साफ पानी भी पीने के लिये नहीं मिलता है । यह सरकार उनके लिये पानी का भी बन्दोबस्त नहीं कर सकती है । इसके लिये आप कहेंगे कि उनके लिये पानी का इन्तजाम कर दिया गया है नदी और दरिया की बाढ़ से । जब वहां पर बाढ़ आ जाती है तो उससे जरूर वह अपना काम चलाते हैं, लेकिन वह इतना पानी होता है कि उस पानी में वह बेचारे डूबने लगते हैं । अगर आप इस टैक्सेशन की जनता से मंजूरी लें और इसी बात पर यहां आयें तो मैं समझूंगा कि आपने जनता को अच्छी तरह से रीड कर लिया है और आप टैक्स लगाने के मुस्तहक हैं लेकिन दरअसल हकीकत यह नहीं है। जनता ने आपको कोई इस किस्म की मंजूरी नहीं दी है । लेकिन जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है उनके लिये रुपये की जरूरत है, अगर उनकी असलियत को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि वह सब कागजी नक्शा है, कुछ कमजोर दीवारें हैं और कच्ची छतें हैं कि तेज हवा आने पर दीवार गिर जाती है । भाखरा डाम को जवाहरलाल जी अपनी औलाद की तरह मानते हैं और बच्चों की तरह से समझते हैं, लेकिन आप सबको अखबारों के जरिये से इल्म होगा कि वहां पर भी जो बात होनी चाहिये थी वह अभी तक उस अहम डाम में पैदा नहीं हो सकी। हमारे वित्त मंत्री जी कहीं की मिसाल दें कि फलां मुकाम पर इतना पायेदार पुल या सड़क बन गयी । आज सड़कों में गड्ढे पड़ गये हैं, पत्थर उखड़ गये हैं, मोटर और गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है । हां, योजना जरूर आपने पूरी कर दी आज हिन्दुस्तान की आबादी में ४५ मिलियन आदमी ऐसे हैं कि जिनको ४ घंटे फी योम काम मिलता है और २० मिलियन ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम ही नहीं है । प्लानिंग के दौरान में ७० मिलियन आबादी बढ़ी है, लेकिन आप एम्प्लायमेंट कुल ८ मिलियन लोगों को ही दे सके हैं । तो इससे क्या यह साबित होता है कि प्लानिंग कामयाब हुई है ? आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर जनता का रुपया बर्बाद ही हुआ है ।

खुद प्लानिंग कमीशन ने तसलीम किया है कि—

"In terms of unemployment, the economy suffered significant deterioration in the last five years."

यह सर्टिफिटेक पाने के बाद भी आपकी प्लानिंग कामयाब हो रही है, यह कहना बिलकुल गलत है । सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप में खुद कुर्बानी का जज्बा होना चाहिये । आप खुद देखिये कि जो इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर वगैरह हैं वे क्या काम कर रहे हैं । आपने कुछ वर्गों को, मिसाल के लिये कुछ टाप सर्विसेज हैं, इम्पोर्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऊंचा कर रखा है और एक नया तबका पैदा हो गया है पालिटीशियन्स का । ये सब मिल कर जनता का जो पैसा इकट्ठा होता है उसे अपनी जेबों में रख रहे हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं । इसके बाद भी टैक्स लगाने की बात करना मुल्क की तरक्की के नाम पर मेरी समझ में नहीं आता ।

इसके बाद एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जुह और दिलाना चाहता हूं । आप लोगों को खुद ही उस तरफ नजर डालनी चाहिये थी । मुस्लिम कंवेंशन इसलिये नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से कोई समझौता कर रखा था । वह इसलिये हुआ कि जबलपुर में जो वाकयात हुए थे वह मुसलमानों के लिये नाकाबले बरदाश्त थे और इसलिये मुसलमानों ने यह सोचा कि अगर इसी तरह के वाकयात होते रहे तो मुसलमान कैसे अपनी जिन्दगी

[श्री हलीमुद्दीन]

यहां गुजार सकेगा । मैं समझता हूं कि मुसलमान का इस तरह से बैठ कर सोचना बिलकुल ठीक था । इसके लिये हमारे पंडित जी ने भी कहा है :—

"We have had, this House has had, the great task of moulding them into a single entity that is India, that is the people of India, maintaining at the same time their special features and this House gives them every opportunity to protect them and cherish those features, yet finally preserving the unity of India."

इसके बाद अगर कहीं मुसलमान अपने स्पेशल फीचर्स को मेन्टेन करने के लिये कोई कंवेंशन करें तो उसके लिये किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिये और न उसका एहसास और न उसकी शिकायत कहीं होनी चाहिये जब कि अब तक किसी भी शख्स ने यह नहीं कहा कि हमें मुसलमानों की तरफ भी कोई तवज्जुह देनी चाहिये । मुसलमान की आज एक सेकिंड ग्रेड शहरी की हैसियत हो गयी है । उसकी जेहनी हैसियत जो है उसके मुताल्लिक मैंने एक खत माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था और उसकी तरफ फिर मैं एक बार उनकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं । वह एक शेर में है कि :

"हद से बढ़ जाती है जब आदमी की मजबूरी,
अमन पसंद बगावत की बात करते हैं ।"

यह सही है कि अमन पसन्द के लिये बगावत करने की बात करना जुर्म है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इलाहाबाद में जो कुछ हुआ वह इसी का एक नजारा था कि वह मारा गया ।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ । अब हम उठते हैं और २३ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१९ अप्रैल, १९६२

नत्थी 'क'

तालिका

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३ पर)

सेस तथा क्रय-कर का विवरण जो कि प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक २८ –२– ६२ को देय शेष था (लाख रुपयों में)

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	सेस तथा क्रय कर का देय बाकी जो २८–२–६२ को देय था	क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	सेस तथा क्रय कर का देय बाकी जो २८–२–६२ को देय था
१	२	३	१	२	३
१	सरदारनगर	२२. ३७	२८	बुरहवल	३.२७५
२	पिपराइच	१३.६९५	२९	बाराबंकी	१६. २३
३	घुघली	७. ०८	३०	शाहगंज	६. १८
४	सिववाबाजार	७. ३५	३१	बिस्वां	५. ५५
५	फरेंदा	९.९७५	३२	हरगांव	१४.६०
६	परताबपुर	८. १०	३३	महोली	६.७७५
७	बेतालपुर	११. ००	३४	मसौधा	९. ८७
८	गौरीबाजार	४.८७५	३५	हरदोई	३. ८५
९	देवरिया	९.३७५	३६	ऐरा	१. ८५
१०	कैपटेनगंज	९.४५५	३७	गोला	११.७६५
११	खड्डा	१९. १२	३८	रौजा	२. २९
१२	छितौनी	१०.४५५	३९	बरेली	१५. ४६
१३	लक्ष्मीगंज	१४. ५६	४०	बहेरी	१०.१०५
१४	रामकोला (के)	२१. ४३	४१	पीलीभीत	१०.७१५
१५	रामकोला (पी)	१२.३२५	४२	बिजनौर	२१. ५३
१६	पडरौना	३.९५५	४३	धामपुर	१२.४७५
१७	कठकुइयां	२.७४५	४४	सेवहारा	१०.३५५
१८	सेवरही	१०. २१	४५	डोइवाला	४. ७३
१९	मुन्डारुवा	४. ९६	४६	देवबन्द	३२.९३५
२०	बस्ती	४. ७३	४७	लक्सर	१. ७८
२१	वाल्टरगंज	४.५६५	४८	सहारनपुर	१४. ९६
२२	खलीलाबाद	५. ०५	४९	इकबालपुर	५४.९४५
२३	बभनान	०. ७१	५०	अब्दुल्लापुर	०. ४१
२४	नवाबगंज	५.९७५	५१	मन्सूरपुर	३२.६६५
२५	बलरामपुर	२. ८४	५२	खतौली	२८. ४७
२६	तुलसीपुर	३.१९५	५३	रोहानाकलां	११. २८
२७	अरवलरोड	१४.८६५	५४	शामली	४३.२४५

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	सेस तथा क्रय कर का देय बाकी जो २८-२-६२ को देय था
१	२	३
५५	सखौती टांडा	९. ४०
५६	दौराला	२. ११
५७	मवाना	१. ६७
५८	जसवन्त	४. ९४
५९	मोहीउद्दीनपुर	५.४१५
६०	मोदीनगर	२. ५१
६१	सिम्भौली	३. १७
६२	पन्नीनगर	११.९३५
६३	काशीपुर	८.३७५
६४	न्यौली	७. ९५
६५	अमरोहा	१५.३०५
६६	बिलारी	८. ७५
६७	रामपुर	३. ०८
६८	भटनी	९.१२५
६९	बाजपुर	२३.४०५
७०	बागपत	८.१८५
	योग	७५८.५८५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

क्रम-संख्या	पद का नाम		पदों की संख्या	वेतन दर	महंगाई भत्ता	रिक्त स्थान
१	अभियन्ता प्रबन्धक	..	१	५००–१२०० रु०	कुछ नहीं	नहीं
२	उप-प्रबन्धक	..	१	४००–१००० रु०	४५० रु० वेतन तक ४० रु०	,,
३	सहायक अभियंता	..	३	२५०–८५० रु०	४० रुपये	एक
४	रिसर्च अधिकारी	..	१	,,	,,	नहीं
५	वेलफेयर अधिकारी	..	१	२००–४०० रु०	,,	एक
६	सहायक प्रबन्धक	..	१	२५०–८५० रु०	,,	एक
७	सहायक लेखा अधिकारी	..	२	२२०–६७५ रु०	,,	नहीं
८	फोरमैन तथा सहायक फोरमैन	..	७	२००–३५० रु०	ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डरों का और दूसरों के लिये २००–३०० रु०	दो
९	चार्ज मैन स्टोर	..	१	१५०–२५० रु०	३५–४०	एक
१०	चार्ज मैन फाउन्ड्री	..	१	,,	,,	एक
११	सेल्स इन्चार्ज	..	१	१२०–३०० रु०	,,	नहीं
१२	हेड स्टोर कीपर	..	१	१२०–२५० रु०	,,	एक
१३	आशुलिपिक	..	४	१००–२०० रु०	,,	एक
१४	मुख्य लिपिक	..	१	१००–१७० रु०	,,	नहीं
१५	लेखपाल (एकाउन्टेन्ट)	..	३	८०–१३० रु०	,,	,,
१६	खजाञ्ची (कैशियर)	..	२	८०–१३० रु०	,,	,,
१७	ज्येष्ठ लिपिक	..	५	८०–१३० रु०	,,	,,
१८	स्टोर कीपर	..	२	८०–१३० रु०	,,	,,
१९	स्टोर कीपर टूल्स	..	१	६०–१०० रु०	,,	,,
२०	लिपिक	..	१५	६०–११० रु०	,,	,,
२१	ड्राइवर	..	१	४०–६५ रु०	३५ रुपए	,,
२२	दफ्तरी	..	१	३२–३७ रु०	,,	,,
२३	रेलवे दफादार एवं ट्रेजरी दफादार	..	३	३२–३७ रु०	,,	,,
२४	गेट कीपर	..	१	३२–३७ रु०	,,	,,
२५	प्रहरी (वाच ऐंड वार्ड)	..	९	२७–३२ रु०	,,	,,
२६	स्टोर हेल्पर	..	१	३२–३७ रु०	,,	,,
२७	अर्दली तथा चपरासी	..	७	२७–३२ रु०	,,	,,
२८	मजदूर	..	२	२७–३२ रु०	,,	एक
२९	स्वीपर	..	१	२७–३२ रु०	,	नहीं

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

तालिका

जिसमें देवरिया जिले की प्रतापपुर तथा भटनी चीनी मिलों पर गन्ने का मूल्य व सोसाइटी कमीशन के रूप में १५-३-६२ तक तथा क्रय कर के रूप में २८-२-६२ तक जो रकम बकाया है उसका विवरण दिखाया गया है

चीनी मिल का नाम	गन्ना मूल्य (१५-३-६२ तक) (लाख रुपयों में)	सोसाइटी कमीशन (१५-३-६२ तक) (लाख रुपयों में)	सेस तथा क्रय कर (२८-२-६२ तक) (लाख रुपयों में)
१—भटनी ..	७.८४	०.७९	९.१२
२—प्रतापपुर ..	३.६०	०.२४	४.५७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

पद	वर्तमान वेतन-क्रम	पुलिस आयोग द्वारा सिफारिश किया गया वेतन-क्रम	सरकार द्वारा स्वीकार किया गया वेतन क्रम-क्रम
१—सब-इंस्पेक्टर	१२०-६-१४४-द० रो०-६-१७४-द०रो०-६-१८०-१०-२०० रु०	१५०-५-२००-द० रो०-१०-२५० रु०	१५०-५-१७५-द० रो०-५-२००-द० रो०-१०-२५० रु०
२—हेड-कान्सटेबुल	५०-१-६५ रु०	६५-२-८५-द० रो०-३-१०० रु०	६५-२-७३-द०रो०-२-८३-द०रो०-२-८५-२ २ १/२-९० रु०
३—कांसटेबुल	३०-१-४५ रु०	४५-१ १/२-६०द० रो०-२-८०	४५- १ १/२-५१ द० रो०-११/२-६० द० रो०-२-७० रु०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विशेष वेतन में वृद्धि

पद तथा विशेष वेतन	वर्तमान विशेष वेतन की दर	आयोग द्वारा सिफारिश किये गये विशेष वेतन की दर	सरकार द्वारा स्वीकार किये गये विशेष वेतन की दर
	रु०	रु०	रु०
१—प्रोफीशियेन्ट हेड कांसटेबुल ..	४	५	५
प्रोफीशियेन्ट कांसटेबुल ..	३	५	५
२—पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद—			
(क) ज्येष्ठ शिक्षक तथा अनुदेशक (इंसपेक्टर की कोटि के) ..	२०	७०	६०
(ख) इंसपेक्टर की कोटि के अन्य शिक्षक ..	१५	५०	४०
३—सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटर तथा सब-इंसपेक्टर, शिक्षक और अनुदेशक और सहायक चीफ ड्रिल अनुदेशक ..	१२	२५	२५
४—हेड-कांसटेबुल अनुदेशक ..	१०	१५	१०
५—सशस्त्र ट्रेनिंग स्कूल, सीतापुर—			
(क) हेड मास्टर, पब्लिक प्रासीक्यूटर	१५	५०	४५
(ख) सब-इंसपेक्टर (सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटर शिक्षक अनुदेशक)	८— १२	२५	२५
(ग) प्लान ड्राइंग अनुदेशक ..	—	१५	१५
(घ) हेड—कांसटेबुल अनुदेशक	१० ८	१५	१०
६—मोटर ट्रांसपोर्ट भत्ते—			
(क) हेड-कांसटेबुल ..	१०	१०	१०
(ख) कांसटेबुल ..	७	१०	१०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५३ एल० प्र०—१६६२—८४५ ।